खण्ड-371, अंक-4
गुरूवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1907
(1 अगस्त, 1985 ई0)

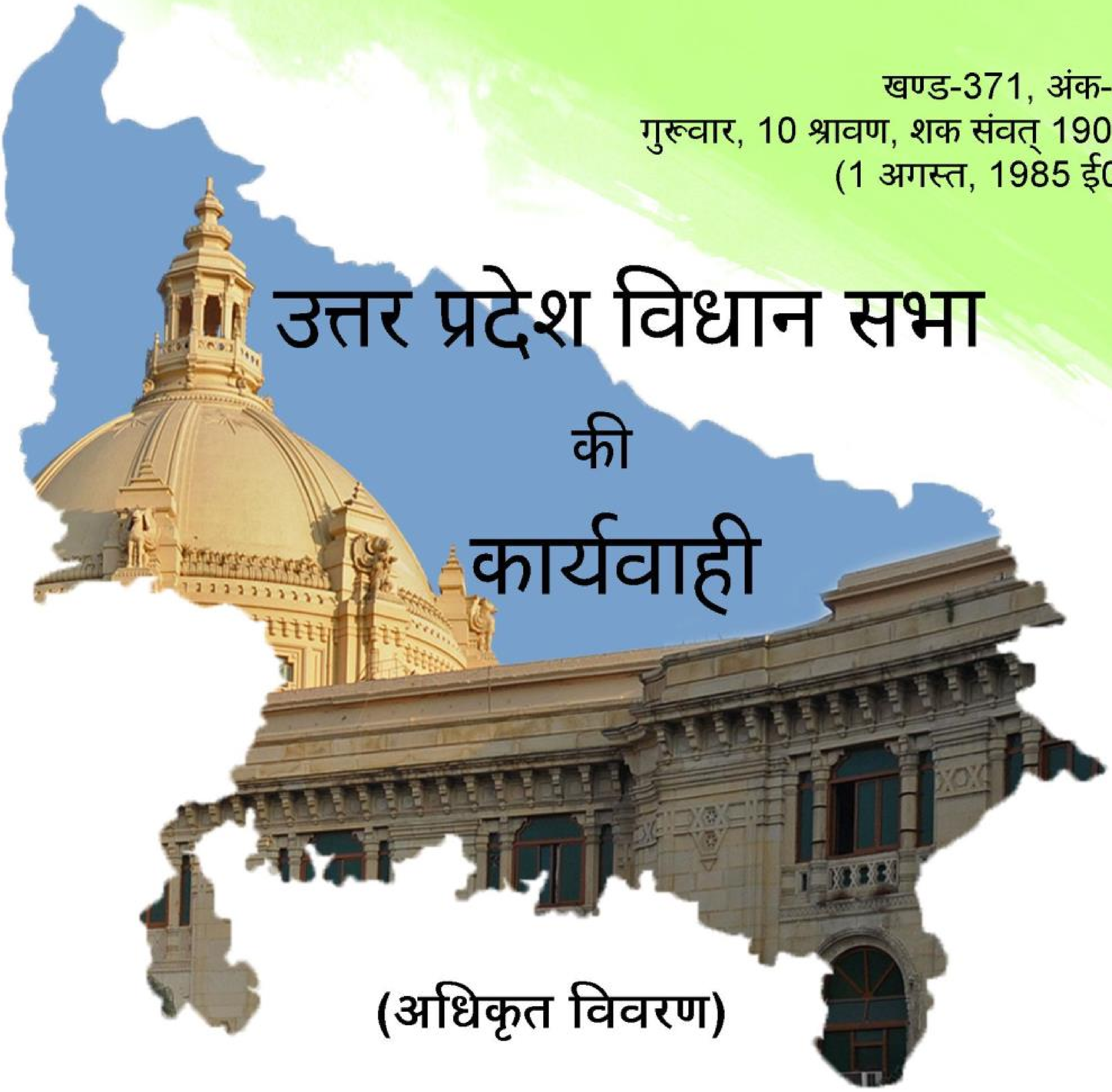

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	2
प्रश्नोत्तर ..	3–44
सार्वजनिक निर्माण विभाग, यांत्रिक खंड द्वारा रोड रोलरों की खरीद में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	44–45
रामनगर बस्ती में कुवानों नदी के शिवाघाट पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45
थानाध्यक्ष बदौसा, बांदा के अमानवीय बर्ताव से बांदा न्यायालय बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	45–46
कस्बा करहल, मैनपुरी से गुजरने वाली सड़क के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46
फर्रुखाबाद जनपद के क्राइमपुर सौरिक विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	46–47
बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपये का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47
सीयर, बलिया में उद्योग इकाइयां स्थापित करने के नाम पर सरकारी धन के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	47–48
हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा समय से बजट साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	48–50
एक वर्ष में विधान सभा का 90 उपवेशन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	50–51
सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये सदन के सदस्यों की समिति न बनाकर अधिकारियों की समिति बनाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	51
औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय ..	51–52
आयातित नान-लेवी चीनी के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	52–53
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	53–64
1985–86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 79—सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81—हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जारी) ..	64–65

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास ..	65
वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (जारी)	65-102
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम से सम्बन्धित पुस्तिका सदस्यों को वितरित न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	102-106
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	106-113
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	113
हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास फैक्ट्री, इलाहाबाद में कार्बन डाई आक्साइड गैस से तीन मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	113-118
सहारनपुर के दंगे के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य को समाप्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	118
नस्थियां ..	119-125

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 1 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :

अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अर्जुन सिंह यादव, श्री (जौनपुर)
अशोक सेहरा, श्री (आगरा)
आर० एन० पाठक, श्री (कानपुर)
इकबाल अहमद, श्री (आजमगढ़)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
कुशल पाल सिंह, श्री (मथुरा)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
जगदीश नरायन, श्री (हमीरपुर)
जगवीर सिंह, श्री (अलीगढ़)
जयराम वर्मा, श्री (फैजाबाद)
जवाहर सिंह यादव, श्री (इलाहाबाद)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
नियाज हसन, श्री (प्रतापगढ़)
नेक चन्द्र पान्डेय, श्री (कानपुर)
पद्मा सेठ, श्रीमती (सीतापुर)
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री (कानपुर)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
बंगाली सिंह, डा० (अलीगढ़)
बलदेव सिंह, कैप्टेन (अलीगढ़)
बलवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
मुस्तमन्द अली खां, श्री (मथुरा)
मेनेजर सिंह, श्री (बलिया)
मोहम्मद असलम खां, श्री (सहारनपुर)
मोहम्मद मसूद खां, श्री (आजमगढ़)
मोहम्मद वसीम अंसारी, श्री (रायबरेली)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रजनी कान्त, श्री (वाराणसी)
रमाकान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
विक्रमादित्य पांडेय, श्री (बलिया)
विजय लक्ष्मी, श्रीमती (बलिया))
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरीगढ़वाल)
शैलेन्द्र कुमार, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, राजकुमार (सुल्तानपुर)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
हर नारायण सिंह, श्री (रायबरेली)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

उपस्थान सभा
मुदेश्वर

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 1 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में चालू फसल बीमा योजना एवं प्रीमियम दर

**1--श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री मित्रसेन कुंवर, रेवती रमण सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन फसलों पर बीमा योजना लागू है ? बीमा की प्रीमियम दर क्या है ? बीमा के अन्तर्गत आने वाली फसलों की प्रति एकड़ क्षति कितनी मानी गई है ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)--

वर्ष 1985-86 से भारत सरकार ने फसल बीमा योजना की रूप-रेखा में कतिपय संशोधन किये हैं। भारत सरकार द्वारा तैयार की गई नई फसल बीमा को लागू किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा जो संशोधित फसल बीमा योजना सरकार के विचाराधीन है, वह किन-किन जिलों में और किन फसलों पर लागू होनी है, बीमा की दर क्या है, प्रति एकड़ क्षति के निर्धारण का आधार क्या होगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह जो केन्द्र सरकार द्वारा नई बीमा योजना प्रस्तावित की गई है वह धान, गेहूं, मक्का, बाजरा और दलहनी फसलों पर लागू होगी।

दूसरे जो श्री हरीश जी ने पूछा कि प्रिमियम क्या है, तो इसके संबंध में विचार हो रहा है और जैसे ही फैसला ले लिया जायेगा, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस बारे में बहुत जल्द निर्णय लेने जा रही है और उनको उस जानकारी से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि 1985-86 में भारत सरकार की बीमा योजना में कतिपय संशोधन किये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके पहले पूर्ववर्ती सरकार ने, जनता सरकार ने, इसका फैसला किया था और एक समिति बनायी थी, तो वह फैसला क्या था ? और श्री यशपाल सिंह, भूतपूर्व कृषि मंत्री ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में फसल बीमा योजना लागू किया था, तो वह क्या थी और आपकी योजना जो संशोधित किया इसमें फर्क क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह सही है कि पहले भी हमारे यहां फसल बीमा योजना चल रही थी और उसे पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा था लेकिन इस बीच केन्द्र सरकार ने जो संशोधन किये उस पर विचार विमर्श हुआ तो जो हमारे यहां फैसला किया गया तो यह पाया कि कुछ मामलों में वह योजना किसानों के लिए उतनी उपयोगी नहीं है जितनी होनी चाहिये, इसलिए इसको केन्द्र सरकार को संदर्भित किया, अब वहां से उत्तर आ गया है और हम लोग उस पर कोई फैसला लेने वाले हैं और जैसे ही फैसला ले लिया जायेगा कि किन जिलों में लागू किया गया बता दिया जायेगा। यदि मान्यवर, कहें तो पिछली योजना और अब जो केन्द्र सरकार द्वारा योजना भेजी गई है, उसका विवरण पढ़ दूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्ष 1983-84 व 1984-85 में कहां और किन-किन फसलों पर आपने

अपनी योजना लागू की और उसमें प्रीमियम किस प्रकार था? और प्रति एकड़ नुकसान जानने का आपका मानक क्या रहा था? और उस योजना को आगे लागू करने में आपको कौन-कौन कठिनाइयां अनुभव हुई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना हमारे यहां 1983-84 में लागू की गई थी, उसमें 3 वर्ष के उत्पादन को देखकर निश्चित किया गया था और जहां तक क्षति का प्रश्न है कि कितनी क्षति पूर्ति की गई, उनका भी बड़ा लम्बा विवरण है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

उसका आप निचोड़ बता दें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृषि मंत्री जी, आप कृपया सिर्फ निष्कर्ष बता दें?

(व्यवधान)

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह मान्यवर, खरीफ 1983-84 म 52 तहसीलों में और रबी, 1983-84 में 181 तहसीलों में लागू की गई। खरीफ 1984-85 में 93 तहसीलों में और रबी, 1984-85 में 222 तहसीलों में लागू की गई। बीमा कराने वाले कृषकों की जो संख्या है, उसमें सीमान्त एवं लघु कृषक खरीफ 1983-84 में 3322 और रबी, 1983-84 में 11651 हैं। इसी तरह यह 1984-85 के खरीफ में 10363 और रबी में 3,25,615 लोग हैं और अन्य खरीफ में 1983-84 में 364 और रबी में 1453 हैं। फिर 1984-85 के खरीफ में इनकी संख्या 10363 है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आगे लागू करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की गई, उसका उत्तर नहीं आया?

श्री अधिष्ठाता--

अभी मंत्री जी उत्तर दे रहे ह आप बैठ जाइये कृपया।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

इस तरह से जितनी भूमि में की गई, उसका विवरण इस प्रकार है। 2971 हेक्टेयर भूमि में 1983-84 के खरीफ में की गई और रबी में 13,249 हेक्टर में किया गया था। 1984-85 खरीफ में 10,515 हेक्टर में और रबी में 3,12,748 हेक्टर भूमि पर बीमा किया गया। अभी प्रीमियम हमारे मित्र पूछ रहे थे कुल प्राप्त प्रीमियम 199·57 हजार रुपये। इस तरह से 1983-84 में खरीफ पर रुपये 379 हजार का प्रीमियम प्राप्त हुआ।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

प्रति हेक्टेयर प्रीमियम क्या है वह बता दें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, 1983-84 में विभिन्न स्थानों पर एक प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक प्रीमियम लेवी किया गया था। और हमारे जो माननीय वर्मा जी पूछ रहे थे कि क्या-क्या कठिनाइयां हैं। पहले तो सभी फसलों को इसमें कवर नहीं किया गया है। जैसे आलू है, हम लोग चाहते हैं कि आलू की फसल इसमें आ जाय लेकिन आलू की फसल नहीं थी। जो नई योजना केन्द्र ने भेजी है और जो हमारी पुरानी योजना थी उसमें एक फर्क यह है कि हमारी जो पाइलेट योजना थी उसमें 3 वर्षों के उत्पादन को देखकर

90 प्रतिशत तक उसको कम्पेन्सेट करते थे। लेकिन अब जो केन्द्र ने योजना भेजी है उसमें 10 वर्ष के उत्पादन को देखकर और 80 प्रतिशत कम्पेन्सेट करने की बात है। तो यह कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिन पर विचार कर रहे हैं और जैसे ही पूरा विवरण तय हो जायगा वह सदन के सामने पेश कर दिया जायगा और आपको अवगत करा दिया जायगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो केन्द्र से योजना आयी है उसमें जैसा कि आपने बताया कि बहुत सी बातें व्यवहारिक नहीं हैं, जैसे 10 साल का उत्पादन और 80 प्रतिशत कम्पेंसेशन देने की बात है। तो जो पुरानी योजना थी उसको फिर से लागू कर देने में तत्काल क्या दिक्कत है? दूसरा प्रश्न यह है कि पूरे प्रदेश में इस योजना को कब तक लागू कर दिया जायगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैंने बताया कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। जो केन्द्र ने योजना भेजी है और जो हमारे यहां पाइलेट योजना चल रही थी उसमें कुछ फर्क है। जो इसमें दिक्कत है उसको दूर करने के बारे में, हमारी प्रदेश सरकार के सामने यह मामला विचाराधीन है और जैसे ही तय हो जायगा हम आपको पूरी तरह से अवगत करा देंगे। दूसरा जो प्रश्न माननीय रेवती रमण सिंह जी ने किया है कि कब तक इसको पूरे प्रदेश में लागू करा देंगे तो जहां तक इस संबंध में निर्णय लेने का सवाल है तो अभी हम 10-15 दिन के अन्दर फैसला लेने वाले हैं और पूरे प्रदेश में जितनी जल्दी संभव हो सकेगा इसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो उन्होंने बताया कि किन-किन वर्षों में पाइलेट प्रोजेक्ट में बीमा योजना लागू किया और फसलों का बीमा किया। तो इन सारी फसलों में कुल कितनी बीमा धनराशि प्राप्त की और कुल कितनी क्षतिपूर्ति काश्तकारों को दी। दूसरा सवाल यह करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी बताया कि नई बीमा योजना में पिछले 10 वर्षों को आधार माना जायगा तो सभी जानते हैं कि हर वर्ष कृषि की पैदावार बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में 50 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। अगर 10 वर्षों को आधार मानेंगे तो आधी फसल का बीमा हो पायेगा। तो क्या पुराने 3 वर्षों के आधार को बरकरार रखने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, बरार साहब ने अभी जो प्रश्न किया कि कृषकों को कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ, उसके उत्तर में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि खरीफ में वर्ष 1983-84 में बहुत थोड़ा प्रीमियम प्राप्त हुआ, जो कि 268 रुपया है और रबी में 23,504 रुपया और जो मोआवजा दिया गया वर्ष 1983-84 में, खरीफ में 11,932 रुपया और रबी में वर्ष 1983-84 में 1 लाख, 9 हजार, 43 रुपया और वर्ष 1984-85 में अभी तक खरीफ में कृषकों से प्राप्त प्रीमियम की धनराशि 34,402 रुपया और क्षतिपूर्ति की गई 2,84,221 रुपया।

कृषि उत्पादन मण्डी समितियों में चिट टेन्डर प्रणाली लागू करने पर विचार

**श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समितियों

में कृषि उत्पादन की बिक्री के लिए सरकार चिट टेन्डर प्रणाली लागू करने पर बिचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मण्डी परिषद् का सुझाव प्राप्त हुआ है और उसका परीक्षण हो रहा है ।

नवीन मण्डी स्थल में बिक्री हेतु लाये जाने वाले कृषि उत्पाद की आवश्यकतानुसार सफाई छनाई की जायेगी । बिक्रेता के एक उत्पाद के सभी बोरों को एक लाट संख्या दी जायेगी । प्रत्येक लाट की तौल-पर्ची तीन प्रतियों में बनायी जायेगी तथा इस पर बिक्रेता से हस्ताक्षर लिए जायेंगे । तौले गए लाटों को उनकी संख्या के अनुसार नीलामी चबूतरे पर प्रदर्शित किया जायेगा प्रत्येक लाट का वर्गीकरण भी किया जायेगा और इसका वर्ग लाट संख्या के साथ उल्लिखित किया जायेगा । लाइसेंस-धारी व्यापारी या उनके प्रतिनिधि को एक लाट लिस्ट दी जायेगी जिसमें लाटों का विवरण होगा तथा वे प्रत्येक लाट की आवश्यकतानुसार जांच करेंगे प्रत्येक लाट के लिए व्यापारी अपनी बोली पर्चियों पर अंकित कर निर्धारित समय से बोली पेटिका में डालेंगे निर्धारित समय पर बोली पेटिका सचिव मन्डी समिति या अधिकृत कर्मचारी द्वारा खोली जायेगी और बोली पर्चियां एकत्र कर प्रत्येक लाट के लिए प्राप्त बोली पर्चियों की तुलना के पश्चात सबसे ऊंची बोली जो क्रेता द्वारा लगायी गयी है, घोषित कर दी जायेगी । यदि घोषित भाव बिक्रेता को स्वीकार नहीं है तो उसे अपने लाट को रोके रखने का अधिकार होगा । तौल पर्ची पर क्रेता का नाम, भाव तथा कृषि उत्पन्दन का मूल्य अंकित कर इन्हें पूर्ण कर लिया जायेगा । तौल पर्ची की दो प्रतियां विक्रेता को दे दी जायेगी जिन्हें वह भुगतान प्राप्त करने हेतु क्रेता को प्रस्तुत करेगा ।

क्रेता द्वारा तौल पर्ची को मुल प्रति से ली जायेगी तथा विक्रेता को कृषि उत्पाद के मूल्य को सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा । क्रेता द्वारा मण्डी समिति के कर्मचारी को भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर उत्पाद बोरे सहित क्रेता को दे दिया जायेगा । इसके बाद क्रेता उपज को अपने बोरे में हस्तान्तरित कर लेगा । जब क्रेता मन्डी शुल्क व तुलाई का व्यय मन्डी समिति भुगतान कर देगा तत्पश्चात् वह नीलामी चबूतरे से खरीदा हुआ उत्पाद उठाकर ले जा सकेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह बहुत विस्तार से दिया है उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो शासन के अधीन परीक्षण हो रहा है वह उन पर लागू होगा, जो सामान मन्डी को ले जाते हैं मंडी शुल्क के अन्तर्गत 195 जिन्स देते हैं इनकी बिक्री अन्य स्थानों पर होती है, तो यह सिर्फ मंडी के बारे में लागू होगा या और जो चीजें हैं उन पर भी यह प्रक्रिया लागू होगी ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के बाद जब हम इसको लागू करेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, कृषि उत्पादन मंडियां काश्तकारों के हित के लिए बनाई गई हैं जो टेन्डर प्रणाली है अगर क्रेता अपनी वैल्ट बना लें तो क्या इससे काश्तकार का अहित नहीं होगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जो नियमों में प्रथा है उसमें अक्सर यह देखा जाता है कि बोली बोलने वाले क्रेता लोग जो हैं यह आपस में मिल

जाते हैं। इसलिए इसमे परीक्षण किया जा रहा है। जिससे किसान को अधिकार मिल सके।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि कानपुर में डेढ़ करोड़ की लागत से मंडी समिति बनी हुई हैं। कृषि उत्पादन का जो सामान है, उसमें किसानों से लाखों रुपये महीनें का शुल्क अधिकारी वसूल कर रहे हैं। इस तरह से अधिकारी भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। इसमें मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

सम्मानित सदस्य मनोहर लाल जी का प्रश्न कुछ भिन्न है। कानपुर मंडी को शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और कई बैठक अधिकारियों के स्तर पर हो रही हैं। मनोहर लाल जी भी कानपुर के ही रहने वाले हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्य में सहयोग दें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के कतिपय जिलों में वर्षा ऋतु में मलेरिया का प्रकोप

*1--श्री सरदार सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री की जानकारी में है कि वर्षा ऋतु में मथुरा, अलीगढ़, आगरा एवं तराई के इलाकों में मलेरिया भयंकर रूप से फैलता है जिसके कारण प्रतिवर्ष अनेक मौतें होती हैं? यदि हां, तो शासन इस महामारी से आगामी बरसात में बचने के लिए कौन-कौन सी तैयारी कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

कथित जनपदों एवं तराई के इलाकों में बरसात के दिनों में मलेरिया रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है, जिसके रोक थाम के लिए निरोधात्मक कार्यक्रम प्रभावी कर दिये हैं। मलेरिया के प्रकोप के नियंत्रित रखने तथा रोगियों को उपचार देने के कार्य को और तीव्र कर दिया गया है। प्रश्नगत सभी जनपदों में छिड़काव एवं सर्वेक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी कर दिया गया है। कीटनाशी औषधियां सभी प्रभावित जिलों में पहुंचा दी गई हैं व इनके छिड़काव का एक चक्र पूरा किया जा चुका है और द्वितीय व तृतीय चक्र का भी प्रबंध किया जा चुका है। सभी जिलों में मलेरिया के उपचार की औषधियां भी उपलब्ध करा दी गई हैं। मलेरिया निरोधात्मक औषधियों का निःशुल्क वितरण करने की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है।

श्री सरदार सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने निरोधात्मक उपाय किये हैं, इसका कोई असर नहीं हो रहा है ? हमारा जिला मथुरा मलेरिया के प्रकोप से ग्रस्त है। क्या कोई मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, जो दूर दराज के इलाके में जाकर दवा का वितरण करें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हर गांव के गांव सभापति को मलेरिया की दवा भेज दी जायगी।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

हम लोग तराई बेल्ट से आते हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी वहां का बहुत दौरा करते हैं जैसा आपने कहा सारी दवाओं की व्यवस्था कर दी गई है, यह आपका वक्तव्य है, कोई दवा पहुंची नहीं है। गांवों में क्लोरोक्विन की टेबलेट तक

नहीं पहुंची होगी। मैं जानना चाहता हूं कि हर जिले में कितने स्लाइड परीक्षण के लिए और कितनी कामाक्विन टेबलेट दी गई हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हर विकास खंड को दी गई है। उत्तर प्रदेश के 26 जिले ऐसे हैं जहां मलेरिया का प्रकोप होता है और 14 जिले ऐसे हैं जहां फाइलेरिया का प्रकोप होता है। अन्य जिलों में अभी यह बीमारी नहीं है। स्लाइड हर विकास खण्ड के पी0 एच0 सी0 मण्डल में दी गई है। मेरठ मण्डल में 5 जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा मण्डल में आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, हर जिले में यह भेजी गई हैं। कहें तो सबके नाम बता दूं। हर जगह स्लाइड दे दी गई है, हर माह उनकी रिपोर्ट आती है। सदन को अवगत कराते हुये मुझे खुशी है कि 80-81 के मुकाबले 1984-85 और 1985-86 में 31 मई, 1985 तक 9 प्रतिशत मलेरिया के घनत्व में कमी आई है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मैंने पूछा था कितनी कामाक्विन टेबलेट दी गई ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

जैसा कि स्वास्थ्य विभाग को समय समय पर यह शिकायत मिलती रही है और माननीय सदस्य पाण्डेय जी ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। मलेरिया में प्रयोग आने वाली दवायें मरीजों तक नहीं पहुंचती हैं बाजारों में बिक जाती हैं। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि आपके विभाग से और केन्द्र सरकार द्वारा मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली जो गोलियां मिलती हैं वह बाजार में बिक जाती हैं। जो फार्मास्युटिकल कंसर्न हैं उन गोलियों को पीस कर दूसरा लेवल लगाकर बेचते हैं। उन गोलियों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैंने बताया कि मलेरिया के घनत्व में कमी हुई है, दवाओं का वितरण सही हो रहा है किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से मैं यह बताना चाहूंगा कि मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम फेल होने का कारण कामाक्विन की जगह कैल्शियम की गोली मिलती है, यह है। दूसरी बात मान्यवर यह है कि मलेरिया प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट से हटाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दे दिया गया है। तीसरी बात मान्यवर, यह है कि हम इन्तजार करते हैं कि मलेरिया फैले और तब काम शुरू हो। इसके अलावा अस्पतालों में सब-स्टैंडर्ड दवाएं दी जाती हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था करें कि सरकार के माध्यम से जो दवाएं वितरित की जायं, वे अच्छी दवाएं वितरित की जायं।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, किस प्रश्न का उत्तर दूं। कुनैन का, डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया प्रोग्राम का या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का। जिसका उत्तर चाहें मैं दे दूं।

डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, पहली बात सब स्टैंडर्ड दवाओं की है। मेरी जानकारी है कि सब स्टैंडर्ड दवाओं का छिड़काव किया जाता है। क्या माननीय मन्त्री जी ऐसा कदम उठायेंगे कि प्रशासन की ओर से सब स्टैंडर्ड दवाएं न खरीदी जायं और जो खरीदी जा चुकी हैं, उनका वितरण रोका जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जहां तक छिड़काव का प्रश्न है, इसमें डी0 डी0 टी0 और बी0 एच0 सी0 का प्रयोग किया जाता है, उनका घनत्व कम कर दिया गया है, क्योंकि उसके लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संस्तुति की है। जहां तक मलेरिया की दवाओं का प्रश्न है, उसमें कोई सब-स्टैंडर्ड दवा नहीं दी जा रही है। अगर माननीय सदस्य के पास और क्षेत्र में ऐसी दवा उपलब्ध हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सब स्टैंडर्ड दवा दी गयी हो तो उसे बता दें, उसके लिये अवश्य दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में उपलब्ध चीनी एवं वितरण की व्यवस्था

*2—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी तथा श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि इस समय प्रदेश में चीनी का संकट व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश की प्रमुख सहकारी संस्था पी0 सी0 एफ0 प्रदेश के चीनी मिलों से चीनी उठा सकने में अक्षम है ? यदि हां, तो उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य राज्य मन्त्री (श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट)—

जी नहीं।

प्रदेश में समुचित मात्रा में चीनी उपलब्ध है और प्रदेश की प्रमुख सहकारी संस्था पी0 सी0 एफ0 प्रदेश की चीनी मिलों से लेवी चीनी उठा सकने मे सक्षम है।

प्रदेश में लेवी चीनी का वितरण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने प्रदेश को आयातित नान लेवी चीनी आवंटित की है जिसका भी वितरण कराया जा रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, माननीय मन्त्री जी पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं और सीधी सच बात करने वाले हैं, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि चीनी का संकट नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में लोक सभा में प्रश्न हुआ था तो केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने स्वीकार किया कि चीनी का घोर संकट है और दाम बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उसे इस वर्ष 1.10 लाख टन चीनी आवंटित की गयी थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश ने मात्र 9, 474 टन चीनी ही उठायी है। जुलाई माह के लिये कहा कि 16,747 टन चीनी का आवंटन किया गया था लेकिन उत्तर प्रदेश ने केवल 8,900 टन चीनी ही उठायी है। मान्यवर, बाजार में देख लें, मैंने आज खरीदी तो 8.00 रुपये किलो मिली। माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि चीनी का कोई संकट नहीं है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय मन्त्री जी ने जो यह कहा है कि आवंटन किया गया है और उत्तर प्रदेश शासन ने नहीं उठाया, तो उसका क्या कारण है और दूसरी बात यह कि पी0 सी0 एफ0 ने कुल कितनी चीनी उठायी है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने केन्द्रीय कृषि मन्त्री की किसी बात का जिक्र किया है, उसकी मुझे सूचना नहीं है। लेकिन, मैंने उन्हें कल पत्र लिखा है और स्थिति बता दी है, वित्त मन्त्री को भी पत्र लिख दिया है।

माननीय राव वीरेन्द्र सिंह जी को जो पत्र लिखा है, उस पत्र की बाबत यह भी मने निर्देशित किया कि उसकी

कापी उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को भी उपलब्ध कर दी जाय, ताकि वे भी वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें ।

मैं स्वयं इस विषय में वक्तव्य देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी कृपया उत्तर दे दें ।

श्री वासुदेव सिंह--

जो पहला प्रश्न है, उसका उत्तर वक्तव्य में आ जायेगा । कितनी चीनी मिली, कितनी एजेन्सियों से हमने बांटी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न सीधा है कि केवल 9474 टन चीनी ही उठा सके । पूरी आबंटित चीनी न उठा सकने के क्या कारण रहे ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य को इस प्रश्न का जवाब हम वक्तव्य में बतलायेंगे । जो उनके पास सूचना है और जो हमारे पास स्थिति की सूचना उपलब्ध है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है । वे कुछ भ्रमित हैं, हम उस भ्रम को दूर करेंगे ।

मान्यवर, जो आवंटन की स्थिति है, वह इस प्रकार है :

माह फरवरी, 1985-50,470 मी0 टन, माह मार्च, 1985-50,470 मी0 टन, अप्रैल, 1985-46,394 मी0 टन, मई, 1985-48,809.1 मी0 टन, जून, 1985-56,876 मी0 टन ।

जो उठाने की स्थिति है, वह इस प्रकार है--

फरवरी, 1985-65,109 मी0 टन, इसमें अवशेष जो था, वह भी उठाया, मार्च, 1985-53,955 मी0 टन, अप्रैल, 1985-45,645 मी0 टन, मई, 1985-48,809 मी0 टन आवंटित था, उठान हुआ 44,315 मी0 टन इसमें कम हुआ । जून, 1985 में 56,876 मी0 टन आवंटित था, 57,407 मी0 टन उठान हुआ ।

मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि यह बात सही नहीं है कि आवंटित मात्रा में चीनी को हमने उठाया नहीं । दूसरे, पैसे की कमी हमारे पास नहीं है, यह उत्तर में भी बताया है ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । मान्यवर, व्यपगत कोटा जो अप्रैल, मई का हुआ है उसमें जो प्रमुख कारण बताया है, वह यह है कि लेवी चीनी का पूरा कोटा न उठाने का प्रमुख कारण रेल वैगन का समय से उपलब्ध न होना, मिलों द्वारा चीनी देने से इंकार करना, कतिपय मिलों द्वारा रेलवे लदान में अरुचि । इसमें अंत में दिया है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता । मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि चीनी मिलों ने आपके साथ सहयोग नहीं किया ।

श्री वासुदेव सिंह--

किसी चीनी मिल या किसी सीमेंट फैक्ट्री का साहस है कि वे इंकार कर दें ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

आपके उत्तर में ही दिया है ।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वह एक तरह से ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रेलवे रैक्स की कमी की वजह से हमने चीनी नहीं उठाई । रेलवे रैकों की कमी की वजह से ही हमने 75 किलोमीटर की जगह पर 300 किलोमीटर सड़क से

दूसरी चीज यह है कि कभी-कभी हमको प्राथमिकता के आधार पर चलना पड़ता है। जैसे बिजली का संकट हो गया है तो उस समय हमें रेलवे रैकों की आवश्यकता कोयला लाने के लिए अधिक होती है, जिसकी वजह से भी रेलवे रैकों की कमी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम माल नहीं उठाते हैं। हम माल उठाते हैं सड़क से लाते हैं।

(एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर चर्चा करवा दी जाय।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि इस पर वक्तव्य देने को कहा गया है। अब मैं आगे के प्रश्न को लेता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आइसोप्रोटुरान की खरीद में अनियमितता की जांच

*1--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने गत वर्ष अनावश्यक 7 करोड़ रुपये के आइसोप्रोटुरान की खरीद का मामला शासन के ध्यान में लाया था और जांच की मांग भी की थी ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कृषि मंत्री जी पूरा विवरण बताने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

जी नहीं।

जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि वर्ष 1983-84 में कृषि विभाग द्वारा मांग के अनुसार रु0 7 करोड़ का नहीं वरन् 3.4 करोड़ रु0 का आइसोप्रोटुरान दर अनुबंधन के आधार पर नियमानुसार क्रय किया गया था।

प्रदेश में लगभग 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से लगभग 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गेंहुआं खरपतवार से प्रभावित था। इस खरपतवार से भारी क्षति को देखते हुए संसाधनों के अनुसार कृषि विभाग द्वारा 180 मै0 टन आइसोप्रोटुरान रसायन का क्रय किया गया, जिसका कुल मूल्य रु0 3.4 करोड़ था। चूंकि यह खरीद पूर्णतया नियमानुकूल एवं दर अनुबंधन के आधार पर हुई थी। अतः इसमें किसी प्रकार के जांच का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले पर बहुत बारीकी से परदा डालने की माननीय मंत्री जी ने नापाक कोशिश की है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में दिया है कि 180 मैट्रिक टन आइसोप्रोटुरान की खरीद हुई है। क्या यह सही है कि आपके तत्कालीन सचिव ने इफको, तराई बीज विकास निगम को और पी0 सी0 एफ0 को यह निर्देश दिया था कि तुम लोग इतना-इतना टन आइसोप्रोटुरान को खरीदो। उन्होंने खरीदा भी। उसकी जो टोटल फीगर है वह 84 मट्रिक टन पी0 सी0 एफ0 की, 13 मीट्रिक टन तराई बीज विकास निगम की और 15 मीट्रिक टन इफको की है, जो इन्होंने खरीदा है। उस समय कोआपरेटिव में इस पर बहस हुई थी। उन्होंने जांच करवाई। कृषि विभाग ने 54 मीट्रिक टन वापस ले लिया। इतने बड़े स्कैन्डिल को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि 1982-83 में पूरे प्रदेश में केवल 10 मीट्रिक टन आइसोप्रोटुरान की खरीद की आवश्यकता थी, परन्तु आपने 292 मीट्रिक टन आइसोप्रोटुरान खरीदा। आइसोप्रोटुरान का जो छिड़काव किया जाता है वह टेक्नीकल ढंग से किया जाता है। गेहूं बोने के 35 दिन के अन्तर्गत उसका छिड़काव हो जाना चाहिए। 292 टन खरीद करके आपने 99 टन का छिड़काव किया। आपने अपने नियंत्रण में दूसरी संस्थाओं को निर्देश देकर तथा अपने अधिकारियों को गाली-गलौज देकर उन्हें मार-पीटकर और उनके वेतन से कटौती करके 292 मीट्रिक टन आइसोप्रोटुरान खरीदने के लिए बाध्य किया। वह कौन परिस्थितियां थीं, जिसकी वजह से आपको 10 मीट्रिक टन की जगह पर 292 मीट्रिक टन आइसोप्रोटुरान खरीदना पड़ा ?

आइसोप्रोटुरान का छिड़काव गेहूं बोने के 35 दिन के अन्दर होता है तो जो क्रय किया गया वह किस महीने में ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा 180 मीट्रिक टन खरीदा गया लेकिन इसके अलावा पी0 सी0 एफ0 ने 87 मीट्रिक टन और डी0 डी0 सी0 ने और इफको ने 13 मीट्रिक टन, 295 मीट्रिक टन कुल खरीद है। यह कहना कि इसको छिपाने की कोई नापाक कोशिश हो रही है, मैं इस नापाक शब्द पर आपत्ति करता हूं उन्हें यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी तरफ से किसी तरह से किसी भी गलती को छिपाने का प्रयास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। दूसरा प्रश्न जो सम्मानित मित्र ओझा जी ने कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी उत्तर प्रदेश में कि 80 लाख हेक्टेयर में करीब गेहूं उस वर्ष बोया गया और उसमें से यह टार्गेट रखा गया कि 17 लाख हेक्टेयर में कम से कम इसका निदान किया जाय ताकि उपज को बढ़ा सकें। 17 लाख हेक्टयर का उपचार करने के लिए उसमें खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए 350 मी0 टन आइसोप्रोटुरान की जरूरत थी लेकिन जब जिलों से मांग की गई कि किस जिले में कितना चाहिए तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 180, अलग-अलग जिलों का है, कहिये तो पढ़ कर सुना दूं, मी0 टन चाहिए और कृषि विभाग ने खरीदा और जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी खरीदा। इस जगह में यह भी बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों हुई। मान्यवर, खरपतवार से हमारे प्रदेश में, खासतौर से गेहूं की खेती में, बड़ा नुकसान होता है। इसको बचाने के लिए हरियाणा में इन्होंने 1983-85 में जो मांग की थी केन्द्र से वह 552 मी0 टन की थी और जब कि वहां का एरिया बहुत थोड़ा है। पंजाब ने मांग की थी।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

बहस यह नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आपने पूछा ज्यादा क्यों मांगा ? उसका उत्तर दे रहे हैं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

और मान्यवर, पंजाब ने एक हजार मी0 टन की मांग की और हमारे प्रदेश ने 350 मी0 टन चाहा था, कृषि विभाग ने सिर्फ 180 मी0 टन क्रय किया था। दूसरे प्रदेशों में जो पैदावार गेहूं की बढ़ रही है उसी तरह से कृषि विभाग यहां पर बढ़ाना चाहता था इसलिए यह क्रय किया गया था। विभाग की ओर से इस तरह की कोई गलती नहीं थी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

आइसोप्रोटुरान खरीद के सम्बन्ध में आगरा जनपद के विधायकों ने एक

पत्र आपको लिखा था और उसके जवाब में आपने मुझे बताया था कि इस समूचे प्रकरण की जांच निदेशक, कृषि विभाग को सुपुर्द कर दी गई है। मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि आइसोप्रोटुरान के सम्बन्ध में आगरा में इसका वितरण उस समय हुआ जब गेहूं की फसल कट चुकी थी तो क्या जो फसल कट गई तो खरपतवार कैसे पैदा हो गया, इसकी जांच करायेंगे आप ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, अभी वर्मा जी ने जो प्रश्न किया, उनका जो शिकायती-पत्र आया था उसे मैंने कृषि निदेशक को भेजा हुआ है जांच के लिये जैसे ही उनकी जांच की रिपोर्ट आ जायेगी उससे मैं उनको अवगत करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

प्रश्न यह है कि जितने पेस्टीसाईड की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता से अधिक उसे खरीद लिया गया, तो क्या इसके सम्बन्ध में किसी कृषि वैज्ञानिक की राय थी कि इसे इतना अधिक खरीद लिया जाय ? कितनी निर्धारित मात्रा में आपने उसे खरीदा, कितना सामान उसमें से वितरित किया गया और जो बचा है उसके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह 1983-84 में 180 मैट्रिक टन क्रय किया गया था। इसके विपरीत कृषि विभाग द्वारा 71.900 मैट्रिक टन उपयोग में लाया गया। शेष जो बचा वह अगले साल 1984-85 में उपयोग में लाया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 385 मट्रिक टन की आवश्यकता थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1983-84 में केवल 99 टन खर्च हुआ तो इतना ह्यूज एमाउन्ट बजट का जो इस सदन ने पास किया था, दूसरी मदों के व्यय को अपने करटेल करके इसे इतना खरीद लिया ? क्या इतना ज्यादा खरीदा जाना जरूरी था जब आप उतना खर्च नहीं कर पाये। 54 मैट्रिक टन आपने पी0 सी0 एफ0 से क्यों वापस ले लिया ? इस सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि प्राईवेट मैन्युफैक्चरर्स को भी फिर आपने क्यों दे दिया जबकि उनके पास पेस्टीसाईड दवाओं का कोई लाइसेन्स नहीं है। इसमें भारी घोटाला किया गया है, क्या आप इसकी जांच इस माननीय सदन की कोई समिति से या फिर सी0 बी0 आई0 से कराने का आश्वासन देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

इसमें किसी तरह का घोटाला हुआ है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह सही है कि 17 लाख मैट्रिक टन उपचारित करने का इरादा था। यह योजना कृषि विभाग ने बनायी थी। कुछ जोश भी था अधिक पैदावार करके दिखाने का।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जोश नहीं बल्कि होश नहीं था और पैदावार बढ़ाने की जगह बरबादी करने का इरादा था।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

ऐसी बात नहीं है, जोश ही था कि ऐसा करने से पैदावार अधिक होगी। लेकिन इसमें से कुछ बेकार नहीं गया, अगले साल उसका पूरा उपयोग हो गया। मैं समझता हूं कि इस प्रकरण में पूरी तरह से नियम के अनुसार खरीद हुई है, किसी और जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रकरण को जो कमीशन के उद्देश्य से अधिक क्रय किया गया है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह खरीद किसी कमीशन की वजह से की गयी थी। इसलिये इसकी जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरे जो भी प्रश्न थे किसी का जवाब मन्त्री जी ने नहीं दिया है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को क्यों यह वितरित की गयी इसका भी कोई जवाब नहीं आया है। मान्यवर, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्राइवेट मैन्युफैक्चर को आपने क्यों दिय ? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। 99 प्रतिशत वितरित हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ ? इसका कोई जवाब नहीं आया। मेरी निजी जानकारी है कि 40 मेट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अतः इस पर नियम 49 में आधे घंटे की चर्चा करवा दें। मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया लिखकर दे दें।

गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

*2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हर्ष वर्धन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विशेष स्वास्थ्य सचिव, डाक्टर बी० एन० श्रीवास्तव ने दिनांक 23-24 अगस्त, 1982 को गोरखपुर स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी सतर्कता निवारण समिति द्वारा लगाये गये 31 सूत्रीय आरोपों की जांच की थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

31 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट का उद्धरण संलग्न है।

दोषी एवं अन्तर्ग्रस्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है :--

1--सेब काण्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है :--

क--डा० पी० एन० अवस्थी।

ख--डा० आनन्द खन्ना।

ग--डा० हरिहर सिंह।

घ--डा० आई० के० खां।

ङ--डा० जे० एन० तिवारी।

च--डा० एस० के० श्रीवास्तव।

छ--श्री पी० एस० श्रीवास्तव।

ज--श्री एम० पी० सिंह।

झ--श्री ए० एस० श्रीवास्तव।

य--डा० पी० सी० पाण्डेय का देहान्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

2--डा० आर० एस० गोयल की सेवायें समाप्त कर दी हैं।

3--कु0 रेनू रोशलीन, स्टाफ नर्स को निलम्बित कर दिया गया।

4--श्रीमती बेन्चुरा (सिस्टर) से 1,879.75 रु0 की वसूली पूर्ण हो चुकी है।

5--स्टाफ नर्स माया जोसेफ से 16,419.00 रु0 की वसूली पूर्ण हो चुकी है।

6--फार्मासिस्ट बुद्धि सागर से 7,000.00 रु0 की वसूली की जा चुकी है।

7--निम्नलिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया :--

क--डा0 एस0 के0 श्रीवास्तव, अधीक्षक।

ख--श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आशुलिपिक।

ग--श्री पी0 एस0 श्रीवास्तव, लेखाकार।

घ--श्री एम0 पी0 सिंह, लेखा लिपिक।

ङ--श्री हरि राम लाल, आशु-लिपिक।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 119 पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मान्यवर, यह बड़ा पुराना मामला लम्बित है और 74 में यह मामला इसी सदन में उठाया गया था और उसमें लोगों को आश्चर्य हुआ था कि दो-दो, ढाई-ढाई साल के मासूम बच्चों को दिखाया गया था कि उनको सेब दिया गया जब कि उस वक्त सेब की कीमत दो रु0 किलो थी और 16 रु0 की खरीद हुई। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया और जो जांच हुई उसमें बताया गया कि 7-7 हजार रु0 की रिकवरी हुई तो मान्यवर, इतने बड़े घपले के जो सरगना है उनसे मात्र 7 हजार रु0 वसूल करके छोड़ दिया गया, उनको वहां से न हटाये जाने का क्या कारण था?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जितना धन उसमें उनसे सम्बन्धित था, सब से उसी के अनुपात में वसूल कर लिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

जिन अधिकारियों के तबादले की बात कही गई है, उन्हें पुनः गोरखपुर में ही पदासीन करा दिया गया है, क्या इसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी को है?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अगर वह पुनः गोरखपुर आ गये होंगे तो हटा दिये जायेंगे।

[बृहस्पतिवार, 1 अगस्त, 85 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*1--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सैकड़ों होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त हैं, जिनके लिए निदेशालय द्वारा विज्ञापन भी किया जा चुका है? क्या यह भी सत्य है कि 1982-83 से अब तक राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो सकी है? यदि हां, तो शासन होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

जी नहीं, वर्ष 1982-83 में माह जनवरी, 1983 में ही 154 होम्योपैथिक

चिकित्साधिकारियों के पदों पर तदर्थ नियुक्तियाँ की गई थीं और अब इस वर्ष भी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु चयन सम्बन्धी कार्यवाही प्रचलित है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, कुल कितने पद रिक्त हैं प्रदेश में और मान्यवर, यह 1982-83 जो 83 फरवरी में आपने भर्ती की यह आवेदन पत्र आपको कब मिले थे और यह कब के आवेदन पत्र थे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

अब के या उस समय के ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माह फरवरी, 1983 में जो तदर्थ नियुक्तियां की गयीं तो इसके आपको आवेदन पत्र कब मिले थे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी--

1982 में संभवतः अंतिम महीना नवम्बर था ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, यह आवेदन पत्र 1979-80 में मिले थे विज्ञापन हुआ था, यह आप दिखवा लेंगे और सुधार कर लेंगे । तो मेरा यह कहना है कि 80 का आपने 83 में किया तो अब जो आवेदन पत्र आपको मिले हैं इन आवेदनपत्रों की कोई तिथि निश्चित है और कब तक आप करा देंगे ? दूसरा यह है कि क्या डिप्लोमा और डिग्री को बराबर मानकर ही उनकी नियुक्ति करेंगे ? अलग-अलग नहीं करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन् इसके आवेदन दिसम्बर या जनवरी में मांगे गये थे सम्भवतः फरवरी या मार्च को आखिरी तिथि थी और उसको 15 अप्रैल तक बढ़ाकर किया गया था । इसमें 5 साढ़े 5 हजार आवेदनपत्र आये थे । 250 पद चिकित्साधिकारी के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त हैं । 150 पद तीसरे मेडिकल आफिसर होम्योपैथिक के रिक्त हैं जो पी0 एच0 सी0 में नियुक्त होंगे । 26 अगस्त, 1985 से उनका साक्षात्कार प्रारम्भ होगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, बड़ी मंथर गति से चल रहा है स्वास्थ्य विभाग । मान्यवर, 1979 में जो विज्ञापन हुआ था उनका साक्षात्कार हुआ 1981 में और नियुक्ति 1983 में हुई । जो इस समय इन्होंने निर्णय लिया है तो मैं दो बातें इनसे जानना चाहता हूं । एक तो यह जो लोगों के साक्षात्कार करने का 26 अगस्त इन्होंने तय कर दिया है । मान्यवर, चयन समिति की नियुक्ति कर दी गयी है ? दूसरा यह कि 150 जो थर्ड एम0 ओ0 को लेना है उनकी नियुक्ति भी इसी साक्षात्कार में हो जायेगी । तीसरा केन्द्रीय परिषद् जो होम्योपैथिक का है, उसके मुताबिक जो उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं उनको समकक्ष मानने की सिफारिश की थी तो उसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी नियुक्तियों को करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

पहला मान्यवर, 26 अगस्त तिथि निर्धारित कर दी गयी । दूसरा चयन समिति का गठन हो गया है, उसके आदेश हो गए हैं, सूची निकलती होगी । तीसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 150 होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का चयन इसके साथ होगा । चौथा डिग्रीधारी और डिप्लोमाधारी का मामला शासन के विचाराधीन है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस नियुक्ति में

जो होने जा रही है, केवल प्रदेश के ही लोग नियुक्त किए जायेंगे, बाहर के लोगों को नहीं नियुक्त किया जाएगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, अगर उत्तर दे दूंगा तो रिट हो जायेगी। अगर यह आदेश हो कि अखबार नही छापेंगे तो उत्तर दे दूं, मान्यवर, रिट हो जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एलोपैथिक तथा आयुर्वेद में जिस तरह की व्यवस्था है कि बाहरी प्रदेशों के लोगों की भरती नहीं हो सकती है, उसी तरह से क्या होम्योपैथिक में भी करने का कष्ट करेंगे ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले चयन के सम्बन्ध में निदेशक के विरुद्ध तमाम अनियमिततायें बरतने की शिकायतें थीं तो क्या इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो चयन बोर्ड बन रहा है, उसमें वह न रखे जायें ?

श्री अधिष्ठाता—

चयन बोर्ड तो बन गया है।

प्रदेश में जिलेवार खोले गये आलू क्रय केन्द्र

*2—श्री सरदार सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने किसान को आलू समर्थन मूल्य 50 रु0 प्रति कुंटल देने के लिए जिलों में आलू को स्वयं खरीदने के लिए क्रय केन्द्र खोले हैं ? यदि हां, तो जिलेवाइज खोले गए केन्द्रों की संख्या क्या है तथा कितना-कितना प्रत्येक केन्द्र से किसानों से आलू खरीदा गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

सूचना संलग्न है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत जिलेवाइज खोले गये क्रय केन्द्र तथा उन पर क्रय किए गए आलू की मात्रा का विवरण है, जिसमें इस बात का विवरण है कि कहां पर कितने केन्द्र हैं और कितना आलू खरीदा गया। कहिए तो पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता—

पढ़ दीजिए।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

फर्रुखाबाद में 9 क्रय केन्द्र खोले गए हैं और....

श्री सरदार सिंह—

इसको मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 120 पर)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, इस वर्ष किसानों को आलू के सिलसिले में बड़ी दिक्कत हुई है। शासन ने जो लिस्ट दी है, वह फर्जी लिस्ट है। 19 जिलों में दिखाया गया है, कि वहां पर खरीदारी हुई है, लेकिन मात्र 10 जिलों में ही हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर आलू अधिक उत्पन्न हुआ है, जैसे मथुरा, बस्ती हैं, किसान ने आलू के खेतों में जोत दिया तो ऐसे स्थानों पर क्रय केन्द्र न खोले जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि इस साल आलू में किसानों को बड़ी कठिनाई हुई और जो कीमत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है।

सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया गया कि किसानों को अधिक से अधिक लागत मिल सके और उसके लिये क्रय केन्द्र खोले गये। जिन-जिन जिलों से मांग आयी और जहां पर अधिक आवश्यकता थी वहां पर क्रय केन्द्र खोले गये और माननीय सदस्य सरदार सिंह जी ने मथुरा की ओर ध्यान आकर्षित किया है, अगले वर्ष जब इस पर विचार होगा तो मथुरा में भी क्रय केन्द्र खोलने पर विचार किया जायेगा।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क--

अधिष्ठाता जी, मैं आलू के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर आम तौर से यह स्थिति है कि किसानों का आलू सड़ता रहा और उसकी खरीदारी नहीं की गयी है, तो आइन्दा माननीय मंत्री जी अश्योरेंस देंगे कि इसमें जो खामी हुई है और आलू का नुकसान हुआ है, तो इसका शासन जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। क्या इस बात को कबूल करते हुये आप आइन्दा इस बात का आश्वासन देंगे कि इस तरह का नुकसान न हो ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, वर्क साहब की चिन्ता स्वाभाविक ही है लेकिन मान्यवर, सरकार की ओर से पूरा प्रयास हुआ है। पिछले वर्ष 7940 कुं0 आलू खरीदा गया और इस वर्ष 1,85,000 कु0 आलू खरीदा गया है और मान्यवर, पिछले वर्ष 4254 बंगन आलू बाहर भेजा गया था और इस वर्ष 5134 बंगन आलू बाहर भेजा गया। सरकार की ओर से पूरा प्रयास है, किसान की मदद के लिये....

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 60 लाख में से एक लाख कुं0 आलू उत्तर प्रदेश के अन्दर खरीदा गया। क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि आने वाले वर्ष में आलू का समर्थन मूल्य पूर्व में ही घोषित करके सरकार किसान का आलू खरीदने की व्यवस्था करायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आलू की समस्या जो इस वर्ष किसान के साथ रही उस पर विचार करने के लिये हमने 6/7 जुलाई को एक विचार गोष्ठी की थी। उसमें आलू से सम्बन्धित तमाम पहलुओं पर विचार किया गया कि किस तरह से आगे आने वाले दिनों में किसान को आलू का लाभप्रद मूल्य मिल सके। इसके सम्बन्ध में अनुशंसायें आ चुकी हैं और उन पर कार्यवाही करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो यह है कि शायद आपको यह रिपोर्ट नहीं मिली है कि आगरा और मथुरा जिला आलू के क्षेत्र में फर्रुखाबाद से पीछे नहीं है, आगे है। तो क्या आप एक सर्वेक्षण कराकर कि आगरा और मथुरा में कितना आलू पैदा होता है उसको क्रय करने के लिये वहां पर आप क्रय-केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें। आप सदन के सामने यह स्पष्ट कर दें। आप वहां पर कितने क्रय-केन्द्र खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आलू का जो घटता हुआ मूल्य है उसको देखते हुये यह आवश्यक है कि आलू से सम्बन्धित जो अन्य उत्पादन हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, उनके सम्बन्ध में औद्योगिक इकाइयों के प्रश्न पर भी आप विचार कर रहे हैं या नहीं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जहां तक भविष्य में केन्द्र खोलने का सवाल है, जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से केन्द्र खोले जायेंगे।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैं सर्वेक्षण कराने की बात भी पूछ रहा था।

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, यह अच्छा सुझाव है। हमारे विभाग में इसकी जानकारी है। हम सर्वेक्षण करा लेंगे कि आगरा और मथुरा में कितना आलू पैदा होता है और वहां पर किस तरह की मदद की किसान को जरूरत है। जहां तक आलू से सम्बन्धित पोटैटो बेस्ड इन्डस्ट्री का ताल्लुक है उसके लिये मैंने बताया कि अभी 6/7 जुलाई को हमने जो सेमिनार किया था उसमें अनुशंसायें की गई हैं और इस तरह का प्रयास किया जायेगा कि आलू जिन उद्योगों में····

(व्यवधान)

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय किरनपाल सिंह जी, कृपया बैठ जायं।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, हमारा प्रयास है और हमारा जो होर्टिको है वह इस बारे में प्रयत्नशील है। हमें पूरी उम्मीद है कि आलू की खपत के लिये कोई न कोई उद्योग लगाने में हम समर्थ होंगे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जनपद फर्रुखाबाद में आलू का उत्पादन कितने मीट्रिक टन हुआ सरकार का खरीद का लक्ष्य कितना था और कुल खरीद कितनी हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, फर्रुखाबाद में कितना आलू खरीदा गया। ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। हमारी मंशा यह थी कि खरीद उतनी ही की जाय जिससे किसान को अच्छी कीमत मिलने लगे और उसको घाटा न हो, यह प्रयास था।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि वहां पर कितने मीट्रिक टन उत्पादन हुआ और कितनी खरीद हुई ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, उत्पादन के आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा। खरीद की बात मैं बता सकता हूं। इसमें विवरण दिया हुआ है पी0 सी0 एफ0 द्वारा लगभग 5756 क्विंटल आलू विपणन समिति, फतेहगढ़ द्वारा 6953 क्विंटल, जिला सहकारी संघ लि0, फर्रुखाबाद द्वारा 6540 क्विंटल, जिला सहकारी संघ लि0, मुहम्मदाबाद द्वारा 1251 क्विंटल, सहकारी क्रय विक्रय समिति, कमालगंज द्वारा 2132 क्विंटल, सहकारी क्रय विक्रय समिति, गुरुसहायगंज द्वारा 1706·70 क्विंटल, सहकारी क्रय विक्रय समिति, कन्नौज द्वारा 572 क्विंटल, सहकारी क्रय विक्रय समिति, छिबरामऊ द्वारा 139·00 क्विंटल।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

एक प्रतिशत भी नहीं खरीदा गया।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, आलू की समस्या पूरे प्रदेश में है जिसकी माननीय मंत्री जी को भी चिंता है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि खाली खरीदने की बात नहीं है बल्कि उन किसानों की आर्थिक दशा सुधारने की बात है जो आलू पैदा करते हैं उसके लिए क्या माननीय मंत्री जी आलू को रा-मैटीरियल मानते हुए उस पर आधारित कोई उद्योग लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

अभी माननीय सदस्य राणा जी ने जो प्रश्न किया उसका जवाब मैंने दिया पोटैटो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने का प्रयास हो रहा है प्राइवेट में भी और पब्लिक सेक्टर में भी हम चाहते हैं। इसके लिए तमाम लोगों से बाहर से भी बात हो रही है जैसे ही कोई निष्कर्ष निकलेगा यह करेंगे ताकि आलू के किसान को आने वाले दिनों में कठिनाई न हो।

रानीखेत में उद्यान एवं फल उपयोग निदेशालय के भवन का निर्माण

*3—श्री पूरन सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि रानीखेत में उद्यान एवं फल उपयोग विभाग का निदेशालय होने पर भी वहां पर कोई निदेशक नहीं रहता है ? क्या वहां पर निदेशालय भवन बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक बनकर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्तमान समय में मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों का एकीकरण उद्यान एवं फल उपयोग विभाग के लिए कर दिया गया है। दोनों क्षेत्रों के लिए एक ही निदेशक हैं। वर्तमान में निदेशक उद्यान का पद विशेष सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन के पास है, जिनको मुख्यालय लखनऊ में रहना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर निदेशक रानीखेत भी जाते हैं।

वैसे पर्वतीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निदेशक का एक पूर्णकालिक पद है, जो रानीखेत में स्थित है।

जी हां, प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री पूरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों को देख कर और उद्यान की प्रगति को देख कर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री स्वनामधन्य भारत रत्न पं० गोविन्द बल्लभ पंत ने सन् 52 में इसके लिए प्रथम निदेशालय की स्थापना की थी वहां पर निदेशालय न रख कर यहां लखनऊ में संयुक्त सचिव को इस पद पर अनिवार्यरूप से बैठाये रखना क्या उनकी भावनाओं के संग खिलवाड़ नहीं है। क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग और मैदानी क्षेत्र के लिए अलग निदेशालय बनाने का जैसा कि पूर्व में होता आया है पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पहाड़ों के लिए रानीखेत में अतिरिक्त कृषि निदेशक का पद है।

और मान्यवर, आज वहां पर संयुक्त निदेशक कार्यरत हैं। शीघ्र ही वहां पर अतिरिक्त निदेशक को नियुक्त किया जायेगा।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं संजय गांधी इन्स्टीट्यूट में माइक्रो बाइलाजी एवं बायोकेमिस्ट्री के अलग विभाग खोलने का औचित्य

*4—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में पैथालाजी विभाग के अन्तर्गत जो माइक्रोबाइलाजी तथा बायोकेमिस्ट्री

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

के अलग-अलग विभाग खोले गए हैं इसका औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट में यह सब विभाग हैं ? यदि हां, तो अलग उक्त विभागों को चालू कर व्यय-भार बढ़ाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मेडिकल काउंसिल आफ इन्डिया की संस्तुतियों के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कालेज में शिक्षण कार्य के लिए माइक्रो-बायलोजी तथा बायोकेमिस्ट्री के विभाग अलग-अलग होने अनिवार्य हैं। शिक्षण कार्य के लिए इनका होना आवश्यक भी है।

संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्युएट इन्स्टीट्यूट तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज अलग-अलग संस्थायें हैं। दोनों में सभी आवश्यक विभाग अलग-अलग ही होंगे।

*5--श्री जयदीप सिंह बरार--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति में डिग्रीधारकों को वरीयता

*7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की नियुक्तियों में डिग्रीधारियों को डिप्लोमा-धारकों के मुकाबले वेटेज मार्क्स (बोनस अंक) अब तक दिए जाते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या पुनर्विचार कर इसे समाप्त करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है।

प्रदेश में फसलों में पायरिला रोग फैलने की चेतावनी

*8--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश की सरकार को माह सितम्बर, 1984 में फसलों में पायरिला की महामारी फैलने की चेतावनी दी थी ? यदि हां, तो उसकी रोकथाम न किए जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

मेरठ जनपद के मवाना व दौराला क्षेत्र में पाइरिला के प्रकोप की सूचना मिली थी।

सूचना प्राप्त होते ही युद्धस्तर पर नियंत्रण कार्य किया गया।

प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की दुकानों को स्थापित करने की योजना

*9--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा प्रस्तावित नवीन दुकानों को खोलने के क्या-क्या मानक निर्धारित हैं ? क्या सरकार उत्तराखंड के सीमान्त जनपदों में कम से कम प्रत्येक तहसील स्तर पर इन दुकानों को शीघ्र खोलने हेतु अतिशीघ्र कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्तमान समय में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में राज्य कर्मचारियों को उचित

घर पर दैनिक उपयोग की वस्तुयें उपलब्ध कराने हेतु उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा संचालित एक स्टोर स्थापित करने की नीति है। वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए अभी तहसील स्तर पर स्टोर स्थापित करना सम्भव नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

*10--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

ईदगाह रेलवे स्टेशन, आगरा में पकड़ी गई अवैध खाद की जांच कार्यवाही

*11--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि उदयपुर (राजस्थान) से लदे हुये सुपर-फास्फेट 16 प्रतिशत डबल हार्स ब्रांड के खाद के 39 रेलवे वैगन ईदगाह रेलवे स्टेशन, आगरा पर आगरा प्रशासन द्वारा दिनांक 22-11-83 को प्रातः 8 बजे पकड़े गए थे? क्या यह भी सही है कि भारत सरकार द्वारा उक्त किस्म के खाद को उ0 प्र0 में बेचने की स्वीकृति भी नहीं दी गई है? यदि हां, तो इस खाद को माह फरवरी या मार्च, 84 में खाद मालिक के पक्ष में छोड़ने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

वस्तुस्थिति यह है कि आगरा प्रशासन की सूचना के क्रम में जी0 आर0 पी0 आगरा फोर्ट ने ईदगाह माल गोदाम पर सिंगिल सुपर फासफेट 16 प्रतिशत डबल हार्स ब्रान्ड खाद के 40 वैगन अपने अधिकार में दिनांक 8-12-1983 को लिए थे।

भारत सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमशः दिनांक 22-9-83 एवं 30-1-84 द्वारा खरीफ एवं रबी 83-84 के लिए अनुमति दी गई थी।

इस खाद को फरवरी-मार्च, 1984 में नहीं छोड़ा गया, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला पूर्ति अधिकारी के नाम 8 लाख रुपये की पंजाब नेशनल बैंक की गारन्टी देने पर 4 दिसम्बर, 1984 को मालिक के पक्ष में छोड़ा गया है।

*12--श्री विष्णु देव--

[5वें मंगलवार में तारा0 प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कतिपय अनाजों की प्रदेश के बाहर बिक्री पर रोक

*13--श्री रणजीत--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से बाहर बिक्री हेतु ले जाने के लिए सरकार द्वारा किन-किन अनाजों के व्यापार पर रोक लगाई गई है तथा प्रदेश में अनाजों के गिरते भावों को ध्यान में रखते हुए उस रोक को हटाने का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु ले जाने के लिए केवल धान पर पूर्णतया तथा चावल पर आंशिक प्रतिबन्ध लागू है। शेष खाद्यान्नों जैसे गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, कोदों, कुटकी तथा सभी तरह की दालों पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। धान की खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत तथा चावल की खरीद लेवी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाती है, जिससे प्रदेश में इन खाद्यान्नों के भाव निर्धारित मूल्यों से नीचे गिरने का प्रश्न नहीं है।]

ऐसी स्थिति में प्रदेश के बाहर बिक्री हेतु ले जाने के लिए धान तथा चावल पर लगे पूर्ण/आंशिक प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

*14--श्री कुशलपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 16 स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन रिक्तियों को अभी तक न भरने के क्या कारण हैं और शासन इन स्थानों को कब तक भरने की कृपा करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सम्प्रति क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के 14 पद रिक्त हैं । ये पद लोक सेवा आयोग के विचार क्षेत्र के हैं और उनके भरे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पतालों में समुचित उपचार हेतु धन की व्यवस्था

*15--श्री शारदा प्रताप--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में स्थित आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पतालों के स्टाफ पर प्रति वर्ष अनुमानतः छत्तीस हजार रुपये व्यय किया जा रहा है जबकि जनता के उपचार हेतु दवाओं में उन अस्पतालों पर केवल 25 हजार रुपए प्रति वर्ष व्यय किया जा रहा है जिससे जनता को समुचित उपचार हेतु दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता के समुचित उपचार हेतु अतिरिक्त धन की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

चिकित्सालयों के कर्मचारियों वेतन व भत्तों आदि पर व्यय होता है जो अपरिहार्य है । रोगियों के उपचार हेतु औषधि आदि हेतु प्रति चिकित्सालय के लिए 2,500 रु0 वार्षिक की धनराशि आवंटित है । इस प्रकार जनपद लखनऊ में स्थित 21 चिकित्सालयों पर रु0 52,500 वार्षिक हुआ ।

जनता के समुचित उपचार व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार इन चिकित्सालयों को अतिरिक्त औषधियों की आपूर्ति भी की जाती है ।

जिला परिषद् चिकित्सालयों को सरकार द्वारा अधिगृहीत करने की कार्यवाही

*16--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के अन्दर जिला परिषदों के चिकित्सालयों को सरकार अधिगृहीत करने की कार्यवाही पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त अस्पतालों को अधिगृहीत कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

शासन केवल उन्हीं जिला परिषदों के अस्पतालों के प्रान्तीयकरण पर विचार करता है, जिनके प्रस्ताव जिला परिषदें स्वेच्छा से उपलब्ध कराती हैं । अधिग्रहण/प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में निर्णय गुणावगुण के आधार पर लिया जाता है ।

वित्तीय साधनों की कठिनाई के द्वारा प्रति वर्ष सीमित संख्या में ही चिकित्सालयों का अधिग्रहण किया जाता है ।

*17--श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

प्रदेश में उर्वरक बनाने के लाइसेन्सदारों से लिए गये नमूनों की जांच

*18—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उर्वरक बनाने के कितने लाइसेन्सदार किस-किस जनपद में हैं ? क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उर्वरकों का स्तर न गिरने देने के लिए चेकिंग हेतु उनके नमूने लेकर सरकार द्वारा प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में किस-किस उर्वरक के नमूने कहां-कहां लिए गये और किस-किस के सब स्टैंडर्ड पाए गये ? इन सब स्टैंडर्ड नमूनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने के 35 निबन्धनधारी 23 जनपदों में हैं, जिसकी सूची संलग्न है ।

जी हां ।

पिछले दो वर्षों 1983-84 तक 84-85 में क्रमशः 16 व 18 उर्वरक कम्पनी के नमूने फैक्ट्री परिसर से लिए गये । कम्पनियों की सूची संलग्न है ।

3 फर्म सर्वश्री मे0 इनकेन अर्टि0 एंड केमिकल्स, रायबरेली, मे0 उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेड लि0, बाराबंकी तथा मे0 केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडिया, रामपुर के नमूने निम्नस्तरीय पाये गये । मे0 डी0 आर0 केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गोरखपुर के नमूने अमानक पाये गये ।

(1) उक्त के फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 के अनुसार मे0 इनकेन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, रायबरेली का उर्वरक बनाने हेतु स्वीकृत (लाइसेन्स) निबन्धन प्रमाण-पत्र दिनांक 14-2-1985 से समाप्त कर दिया गया ।

(2) मे0 उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेड लि0, बाराबंकी का निबन्धन प्रमाण-पत्र दिनांक 21-12-1984 को निलम्बित किया गया जो अपील पर अपीलेट प्राधिकारी, उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1957 द्वारा, दिनांक 21-1-1985 को बहाल कर दिया गया ।

(3) मे0 केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडिया, रामपुर का विक्रय निबन्धन प्रमाण-पत्र, दिनांक 6-4-1983 से निलम्बित किया गया तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 17 के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है । संस्था द्वारा विश्लेषण परिणाम को चुनौती देने के कारण सम्बन्धित नमूने पुनः परीक्षण के अन्तर्गत हैं ।

(4) मे0 डी0 आर0 केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गोरखपुर के नमूने में नत्रजन तथा फास्फोरस, निर्धारित मानक से अधिक थे किन्तु पोटाश थोड़ा मानक से कम था ।

अतः उसको मिक्सिंग में सावधानी बरतने को हेतु चेतावनी दिनांक 12-10-1983 तथा 5-6-1984 को दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ... पर ।)

नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में चलाया जा रहा कैम्पस स्कूल

*19—श्री मित्रसेन—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के परिसर में विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा 'कैम्पस स्कूल' एक प्राइवेट संस्था है ? यदि हां, तो कृषि विश्वविद्यालय को आवंटित बजट 'राज्य सरकार आयोजनागत' की धनराशि को कैम्पस स्कूल में व्यय किये जाने का

क्या औचित्य है ? इस सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

कैम्पस स्कूल विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जा रहा है । यह प्राइवेट संस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बन्धित कतिपय विधायकों के ज्ञापन पर कार्यवाही

*20--श्री महाराज सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 मार्च, 85 को प्रदेश के 17 विधायकों ने उन्हे कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के विषय में एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां ।

ज्ञापन में मुख्य बातें यह थीं कि डा0 एच0 एन सिंह को इनसे वरिष्ठ अधिकारियों के होते हुए भी जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि वह इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता धारित नहीं करते तथा वर्ष 1976 में प्रतिनियुक्ति पर जाने हेतु कार्यमुक्त करते हुए उन्हें कुलपति द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में उनका कोई गहन नहीं रखा जायगा और न उन्हें विश्वविद्यालय में वापसी का अधिकार होगा । किन्तु आठ वर्ष के पश्चात् विश्वविद्यालय में पुनः उन्हें वापस लेकर उच्च पद दे दिया गया है ।

अध्यक्ष, जेनेटिक्स एवं प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग का पद अभी भी रिक्त है और उस पर नियमित चयन की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है । केवल कार्य संचालनार्थ इस पद का कार्य अपने कार्यभार के अतिरिक्त उक्त विभाग में वरिष्ठतम अधिकारी होने के कारण डा0 एच0 एन0 सिंह देख रहे हैं । डा0 सिंह पी0 एच0 डी0 (मेजरिंग इन प्लान्ट ब्रीडिंग एवं माइनरिंग इन बाटनी) हैं ।

डा0 सिंह तत्कालीन कृषि विज्ञान संस्थान में राजकीय अधिकारी थे । विश्वविद्यालय की वर्ष 1975 में स्थापना के पश्चात् तत्कालीन कृषि विज्ञान संस्थान के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से विश्वविद्यालय की सेवा में संविलीन होने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विकल्प मांगा गया । डा0 सिंह प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद विश्वविद्यालय में संविलीन होने तक तत्कालीन कृषि विज्ञान संस्थान के शासकीय अधिकारी बने रहे और विश्वविद्यालय की सेवा में संविलयन हेतु विकल्प देने हेतु सक्षम थे । डा0 सिंह ने कानपुर कृषि विश्वविद्यालय की सेवा में संविलयन का अपना विकल्प जून, 1982 में दिया था जिसे मई, 1983 में स्वीकार किया गया ।

विश्वविद्यालय में संविलयन के पूर्व डा0 सिंह शासकीय अधिकारी थे न कि विश्वविद्यालय के । अतः प्रतिनियुक्ति पर जाते समय विश्वविद्यालय में गहन व पुनः वापसी सम्बन्धी शर्त विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लगाई जा सकती थी ।

डा0 सिंह को विश्वविद्यालय में वापसी सामान्य नीति के तहत है ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री मनोहर लाल--

[4ये शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ में नियुक्त कतिपय चिकित्साधिकारियों के वेतन का भुगतान

2--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में माह अप्रैल ,

1984 में नियुक्त कितने चिकित्साधिकारियों (एलोपैथिक) को ड्यूटी पीरियड का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक भुगतान करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

लखनऊ जनपद के केवल एक ही चिकित्सा अधिकारी के अप्रैल, 1984 के वेतन का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। उसका बिल कोषागार में प्रस्तुत है। पास होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री आर० के० अवस्थी, लिपिक, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

3--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० के० अवस्थी, लिपिक, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ० प्र०, लखनऊ के विरुद्ध 1-1-1982 से 30-3-1985 तक कितनी शिकायतें स्थानीय पत्रकारों द्वारा की गयी हैं ? मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

उक्त अवधि में स्थानीय पत्रकारों से कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में नसबन्दी के फालोअप का कर्मचारियों में वितरण

4--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में वर्ष 1984-85 में 4201 नसबन्दी हुयी ? क्या प्रति नसबन्दी फालोअप का एक रुपया प्रति कर्मचारी को मिलता है ? यदि हां, तो क्या प्रति नसबन्दी के अनुसार 4201 रु० कर्मचारियों को वितरित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां।

फालोअप कार्ड जमा न करने, दोबारा नसबन्दी होने व कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण 1022 मामलों में प्रश्नगत धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। शेष 3179·00 का भुगतान कर दिया गया है।

5--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

[25-7-1985 को अता० प्र० सं० 46 द्वारा उत्तरित]

सिविल अस्पताल लिजीगंज, फर्रुखाबाद में डाक्टरों की संख्या वृद्धि पर विचार

6--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिविल अस्पताल लिजीगंज, फर्रुखाबाद में इस समय अधीक्षक के अतिरिक्त कुल कितने डाक्टर हैं ? क्या सरकार मरीजों की संख्या को देखते हुए डाक्टरों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक डाक्टरों की संख्या बढ़ा दी जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सिविल अस्पताल, लिजीगंज, फर्रुखाबाद में इस समय अधीक्षक के अतिरिक्त एक दन्त चिकित्सक कार्यरत है।

प्रान्त के चिकित्सालयों में स्टाफ के मानकों में संशोधन करने हेतु शासन ने एक समिति गठित की है। उस समिति की रिपोर्ट आने पर ही इस विषय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

7--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद उन्नाव में उपस्वास्थ्य केन्द्रों को कतिपय सामान हेतु धनराशि का आवंटन

8—श्री राम सरन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 305 उप, स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 1984–85 में, प्रति उपकेन्द्र को 150 रु0 तौलिया माचिस, साबुन, मिट्टी के तेल, झाड़ू आदि के लिए दिया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1984–85 में किन-किन उप स्वास्थ्य केन्द्रों को उक्त देय धनराशि प्रदान नहीं की गयी और क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, वर्ष 1984–85 तक जनपद उन्नाव के 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत 281 उपकेन्द्र स्थापित थे न कि 305 उपकेन्द्र। 281 उपकेन्द्रों में से 7 उपकेन्द्रों, जिनकी स्थापना वर्ष 1984–85 में हुई थी, को धनराशि 150 रु0 प्रति उपकेन्द्र आवंटित नहीं की गई थी क्योंकि उन उप केन्द्रों के लिए स्वीकृत कर्मचारियों की नियुक्तियां वर्ष 1984–85 में न की जा सकी थी।

श्री डी0 के0 दीक्षित, कारागार उद्योग निदेशक का मूल विभाग में प्रत्यावर्तन

9—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह गांधी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि कारागार उद्योग निरीक्षक के पद पर श्री डी0 के0 दीक्षित प्रतिनियुक्ति पर 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या श्री दीक्षित को उक्त कार्यकाल में तीन प्रतिकूल प्रविष्टियां मिली हैं ? इनका कार्य अच्छा न होने के उपरान्त भी इन्हें उक्त पद पर अवैध रूप से क्यों रखा जा रहा है ?

राजनैतिक पेंशन एवं कारागार मन्त्री (श्री रघुवीर सिंह यादव)—

5 वर्ष से अधिक से श्री दीक्षित कारागार उद्योग निदेशक के पद पर कार्यरत हैं कारागार उद्योग निरीक्षक के पद पर नहीं।

जी नहीं। केवल एक प्रतिकूल प्रविष्टि वर्ष 1981–82 में दी गयी।

ऐसी बात नहीं है।

श्री दीक्षित को उद्योग विभाग को प्रत्यावर्तित करने पर शासन विचार कर रहा है।

जनपद उन्नाव में कतिपय उप केन्द्रों के कर्मचारियों को कतिपय सामानों का आवंटन

10—श्री हृदयनारायण दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत 305 उपकेन्द्र हैं और प्रति उपकेन्द्र 150 रुपए कान्टो-जेंसी हेतु सरकार द्वारा दिया जाता है ? यदि हां, तो उपकेन्द्रों में कार्य करने हेतु कर्मचारियों को साबुन, मिट्टी का तेल, दियासलाई, झाड़ू, तौलिया आदि इसी 150 रुपए में प्रति उपकेन्द्र के हिसाब से खरीद कर वर्ष 84–85 में दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उपकेन्द्रों को उपरोक्त वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1984–85 तक जनपद उन्नाव के 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत कुल 281 उपकेन्द्र स्थापित किये जा चुके थे न कि 305 उपकेन्द्र। 281 उपकेन्द्रों में से 7 उपकेन्द्रों की वर्ष 1984–85 के अन्त में स्थापना होने के कारण कर्मचारियों की नियुक्तियां न की जा सकी थी अतएव निर्धारित

कन्टीजेन्सी धनराशि रु0 150 प्रति उपकेन्द्र उन 7 उपकेन्द्रों को आवंटित नहीं की गई। शेष उपकेन्द्रों में से 24 आई0 सी0 डी0 एस0 योजनान्तर्गत स्थापित उपकेन्द्रों को रुपए 125 तथा अन्य को रु0 150 की धनराशि आवंटित की गई जिससे आवश्यकतानुसार वस्तुओं का क्रय किया गया।

श्री एस0 डी0 अवस्थी डिप्टी जेलर, हरदोई के विरुद्ध शिकायतें एवं स्थानान्तरण

11—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी जेलर, जिला हरदोई के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आपने श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका के पत्र पर दिनांक 31-5-1985 को कोई आदेश करके महानिरीक्षक को भेजा है ? यदि हां, तो उसका अनुपालन अब तक न किए जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी विलम्ब करने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जी हां।

श्री एस0 डी0 अवस्थी को स्थानान्तरित करने के आदेश हो चुके हैं किन्तु उनके आवेदन पर विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण आदेशों का कार्यान्वयन चार माह के लिये स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त डिप्टी जेलर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अप्रैल/मई, 1985 में शासन के कारागार विभाग द्वारा महानिरीक्षक को कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उक्त पत्र के सम्बन्ध में अनुपालन किया जाएगा ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

जी हां।

पत्र में श्री अवस्थी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करवाने तथा वार्षिक स्थानान्तरण के समय उन्हें हरदोई से स्थानान्तरित करने पर विचार करने के लिए लिखा गया।

जी हां।

शिकायतों की जांच प्रारम्भ कर दी गयी है तथा श्री अवस्थी के स्थानान्तरण आदेश भी निर्गत किये गये जिन्हें उनके आवेदन पत्र में व्यक्त की गयी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये चार माह के लिये स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

13—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी जेलर, हरदोई जनपद में कब से तैनात हैं ? इस अवधि में इनका स्थानान्तरण कितने बार किया गया और कितने बार किन-किन कारणों से रोका गया तथा इनका स्थानान्तरण कब तक किया जाएगा ? इतनी लम्बी अवधि तक इन्हें हरदोई जिले में रोके रहने का क्या औचित्य है ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

दिनांक 3-7-1976 से तैनात हैं।

इनको स्थानान्तरित करने का आदेश पहली बार 29-6-1985 को किया गया और यही आदेश उनकी पुत्री का अक्टूबर, 85 में होने वाले विवाह के कारण उनकी प्रार्थना पर चार माह के लिये स्थगित किया है।

प्रशासनिक कारणों से एवं श्री अवस्थी के अनुरोध पर ।

14--कुंवर मानवेन्द्र सिंह --

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 डी0 अवस्थी, डिप्टी जेलर, हरदोई द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1 जनवरी, 1985 से अब तक कितने शिकायती-पत्र जनता व विधायकों के प्राप्त हुए ? उन पर कारागार विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी तुरन्त इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुवीर सिंह यादव--

तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुए ।

शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा में, प्रभारी डाक्टर, स्वास्थ्य केन्द्र, अछनेरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

15--श्री बदन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अछनेरा के लेखा लिपिक द्वारा प्रभारी डाक्टर स्वास्थ्य केन्द्र, अछनेरा (आगरा) द्वारा बरती गयी अनियमितताएं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दिनांक 8-4-85 को लिखा हुआ पंजीकृत पत्र अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 8-4-85 स्वास्थ्य निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ । अतः उस पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

डा0 आर0 पी0 रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर के विरुद्ध आरोपों पर कार्यवाही

16--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डा0 आर0 पी0 रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर का स्थानान्तरण चार वर्ष पूर्व जिला चिकित्सालय, जौनपुर से किया गया था तथा डा0 रस्तोगी अनवरत चार वर्षों से जौनपुर में ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सुल्तानपुर ने भी शासन को डा0 रस्तोगी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

डा0 रस्तोगी का स्थानान्तरण सुल्तानपुर से दिनांक 25-7-84 को शाहजहांपुर कर दिया गया था जहां पर उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया और अवकाश प्रार्थना-पत्र भेज रहे हैं ।

इनके विपरीत लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर व सुल्तानपुर का इस सम्बन्ध में शासन को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री मोहन लाल, स्वास्थ्य सहायक, द्वारा हाट, अल्मोड़ा की पदोन्नति

17--श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि श्री मोहन लाल, स्वास्थ्य सहायक, कपड़ा, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा लगभग 17 वर्षों से अपने वर्तमान पद पर ही कार्यरत हैं जबकि उनसे कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति सी0 एच0 ओ0 के पद पर हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी मोहन लाल को तत्काल सी0 एच0 ओ0 के पद पर पदोन्नति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सी0 एच0 ओ0 के पद पर अभी किसी की पदोन्नति नहीं की गई है ।

प्रदेश की बढ़ती आबादी रोकने के उपाय

18--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी आबादी किस गति से बढ़ रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय 10 वर्षीय वृद्धि दर 25 प्रतिशत एवं उत्तर प्रदेश की 25·49 प्रतिशत है । आसाम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम तथा त्रिपुरा की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक है तथा हिमांचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की जनसंख्या वृद्धि दर कम है ।

प्रदेश में आलू का उत्पादन एवं खरीद

19--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष 1984-85 में आलू का कितना उत्पादन हुआ और कितना आलू सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के द्वारा खरीदा और कितना कोल्ड स्टोरेज में रखा गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

वर्ष 1984-85 में प्रदेश में अनुमानतः 60 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ । सरकार ने पी0सी0एफ0 और नैफेड के माध्यम से 1,85,008·29 कुन्तल आलू खरीदा और अनुमानतः 22 लाख टन आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा गया ।

20--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

श्री एस0 पी0 सिंह, उप निदेशक, कृषि, वाराणसी के विरुद्ध आरोपों की जांच

21--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 पी0 सिंह, उप निदेशक, कृषि, वाराणसी जब फैजाबाद में उप निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे, उस समय उनके विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार एवं खाद में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में सतर्कता विभाग में जांच चल रही थी ? यदि हां, तो उसकी जांच आख्या क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

श्री सूर्य पाल सिंह, उप कृषि निदेशक के विरुद्ध उनके फैजाबाद के कार्यकाल (1-8-1980 से 22-2-1983) से सम्बन्धित अवधि में सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

22--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

उपनिदेशक कृषि वाराणसी मण्डल को कतिपय कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग

23--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, कृषि वाराणसी मन्डल, को सन् 1983-84 व 1984-85 में कृषि गोदामों की मरम्मत एवं नए भवन बनाने तथा लिंक रोड के लिए कई लाख रुपए का आवंटन किया गया था? यदि हां, तो क्या उस रुपये का प्रयोग किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

जी हां।

उप कृषि निदेशक, वाराणसी के अधीनस्थ मण्डल के सम्बन्धित जिला कृषि अधिकारियों को वर्ष 1983-84 में कृषि गोदामों की मरम्मत एवं नये भवन बनवाने के कुल 37 कार्यों के लिए 23,55,000 रुपया एवं 1984-85 में कृषि गोदामों की मरम्मत, नए भवन एवं लिंक रोड बनवाने के 39 कार्यों के लिए 19,63,000 रुपये का आवंटन किया गया था। इनमें से वर्ष 1983-84 में 14.92 लाख रु0 के 12 कार्य और 1984-85 में 3.19 लाख रुपये के 2 कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को सौंपे गये हैं।

उक्त आवंटित धनराशि का प्रयोग कृषि गोदामों के मरम्मत एवं भवन निर्माण तथा लिंक रोड बनवाने में किया जा चुका है।

गाजीपुर बफर गोडाउन लिंक रोड हेतु आवंटित धनराशि

24--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि गाजीपुर बफर गोडाउन लिंक रोड को कितना रुपया दिया गया? क्या इसकी जांच सरकार करायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह--

गाजीपुर जनपद में बफर गोदाम के लिंक रोड के लिए वर्ष 1984-85 में मु0-93,400 रुपया दिया गया था जिससे निर्माण कार्य कराया जा रहा है जो प्रगति पर है तथा शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा। अतः वर्तमान में इसकी जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

25--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

निर्माणाधीन संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट में शेरे कश्मीर इस्टीट्यूट की तरह प्राविधान पर विचार

26--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट कब तक बनकर तैयार हो जायगा तथा उसके स्वरूप को प्रदेश सरकार जैसा कि श्रीनगर जम्मू काश्मीर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट है, उस तरह का प्राविधान यहां भी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में प्रथम चरण में स्थापित की

जाने वाली 6 अति विशिष्टतायें तथा सम्बद्ध इकाइयों के लिए अपेक्षित भवन जून, 1986 तक बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट के वांछित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण इस बिंदु पर उत्तर देना सम्भव नहीं है । वैसे जिस प्रकार की सुविधायें श्रीनगर के पी0 जी0 आई0 व देश के अन्य ऐसे संस्थानों में हैं वैसी ही यहां भी दी जायेगी ।

27—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कतिपय सामानों की नीलामी एवं सत्यापन

28—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 के नजारत से किसी भी सामान की विगत 29 वर्षों से जैसे टाइपराइटर, कूलर, गोदरेज की आलमारी, सीलिंग एवं टेबल फैन, फ्रिज, मेज, कुर्सी, पेट्रोमैक्स आदि की कोई नीलामी की गयी ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त सभी सामान वर्तमान में उपयोग लायक हैं ? क्या उपरोक्त सामानों का हर वर्ष सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1980 से पहले जो डेड स्टाक सामान क्रय किया गया था उसका पूर्ण सत्यापन करने के उपरान्त ही नीलामी योग्य वस्तुओं की नीलामी की जायेगी । उक्त सामान की अभी तक कोई नीलामी नहीं हुई है ।

वर्ष 1980 में व उसके बाद जो सामान खरीदा गया उसका प्रतिवर्ष सत्यापन कराया जा रहा है । यह सभी सामान उपयोग लायक है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से कतिपय सामानों को गायब किये जाने के सम्बन्ध में जांच

29—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के नजारत से पंखे, मशीनें, टाइप राइटर, कूलर, फ्रिज, टुल्लू पम्प, मेज कुर्सी आदि जिसकी कीमत लगभग पचास लाख रुपए है, गायब हो गया है ? उपरोक्त सामान के गायब होने में किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हाथ है ? क्या सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । वर्ष 1980 से पहले सभी खरीदे गये डेड स्टाक जैसे टाइपराइटर, पंखे, टुल्लू पम्प, मेज कुर्सी आदि का सत्यापन कराया जा रहा है तभी वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी ।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में पैथालोजी की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट एवं सुधार की कार्यवाही

30—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के 80 प्रतिशत से अधिक मरीज प्राइवेट पैथालाजी से जांच कराकर चिकित्सालय में निदान करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्तमान सीनियर पैथालाजिस्ट के कार्यकाल में पैथालाजी प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट ठीक नहीं होती है जिसके कारण वह मरीजों की जांच बाहर से करा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

जी नहीं। केवल विशेष परीक्षण जो बलरामपुर चिकित्सालय में नहीं होते हैं, के0 जी0 मेडिकल कालेज लखनऊ से कराये जाते हैं।

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सही ढंग से जांच न किये जाने के कारण ही स्वास्थ्य मंत्री जी एवं उनके परिवार के सदस्यों का खून आदि की जांच वहां के वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा माडर्न पैथालोजी (प्राइवेट प्रयोगशाला) से कराई जाती है? क्या बलरामपुर चिकित्सालय की पैथोलोजी प्रयोगशाला में सुधार लाकर मरीजों की सुविधा हेतु सरकार कार्यवाही करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

बलरामपुर चिकित्सालय की पैथालोजी प्रयोगशाला में मरीजों की सुविधा हेतु पर्याप्त व्यवस्था है।

32—श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें गुरुवार के लिये स्थगित]

33—श्री हरिशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

[दिनांक 18-7-85 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

प्रा0 स्वा0 केन्द्र बिलग्राम, हरदोई में कतिपय सुविधाओं हेतु योजना

34—श्री हरिशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र बिलग्राम, जिला हरदोई में दन्त विभाग, एक्सरे आदि की सुविधा हेतु योजना मंडल स्तर से पारित होकर शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत हो जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत प्रस्ताव अभी शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

जनपद आगरा में कतिपय प्राइवेट फर्मों के विरुद्ध शिकायतें

35—श्री विजय सिंह राणा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील बाह के ज्येष्ठ हट निरीक्षक ने आर0 एफ0सी0, आगरा को दिनांक 21-4-85 को कस्बा जरार में स्थापित श्याम ट्रेडर्स, मोहन ट्रेडर्स श्रीकृष्ण ट्रेडर्स तथा दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी नामक कुछ प्राइवेट फर्मों के विरुद्ध अपनी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है? रिपोर्ट का विषय क्या है और उसमें फर्म के विरुद्ध क्या कोई अनियमितताएं प्रस्तुत की गई हैं? यदि हां, तो क्या?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां।

रिपोर्ट का विषय प्रश्नगत फर्मों के विरुद्ध विभिन्न लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन, मंडी समिति की रसीद के आधार पर खाद्यान्नों की गाड़ियां बाहर भेजने और बिक्रीकर की चोरी किये जाने के सम्बन्ध में है।

जी हां।

रिपोर्ट में फर्मों के विरुद्ध उक्त विषयक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है?

तहसील खास, जनपद आगरा में अस्पताल खोलने की योजना

36—श्री विजय सिंह राणा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मुख्यालय पर एक 30 शैय्याओं का अस्पताल खोले जाने वाली शासकीय योजना के अन्तर्गत आगरा जिले की तहसील खास के अन्तर्गत ग्राम

अस्पताल कहां और किस स्थान पर स्थापित होने जा रहा है और कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

आगरा जिले की तहसील खास में 30 शैय्याओं का अस्पताल खोले जाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

मृत श्री झम्मन सिंह, गोदाम चौकीदार, जिला मथुरा की बीमा राशि का भुगतान

37- श्री विजय सिंह राणा:--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर मार्केटिंग इंन्सपेक्टर, मथुरा (गोपालगंज) के अधीन गोदाम नं0 50 के चौकीदार, श्री झम्मन सिंह की मृत्यु विगत 31 अक्तूबर, 1982 को हो गई और इसकी विभागीय बीमा की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार उन्हें बीमा की धनराशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री झम्मन सिंह, गोदाम चौकीदार, कार्यालय ज्येष्ठ हाट निरीक्षक, मथुरा दिनांक 31-10-82 को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा निवृत्त किये गये तथा उनकी मृत्यु दिनांक 1-11-82 को प्रातः 9 बजे हुई थी । इस प्रकार उन्हें केवल इनके सेवाकाल में सामूहिक बीमा के अन्तर्गत काटी गई धनराशि जीवन बीमा विभाग द्वारा देय है । सामूहिक बीमा के वांछित प्रपत्र विभाग द्वारा जीवन बीमा निदेशालय, लखनऊ को दिनांक 31-5-85 को भेज दिये गये हैं ।

सी0 एम0 ओ0, बरेली एवं लिपिक त्यागी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच एवं कार्यवाही

38--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कौंसिल के मन्त्री श्री शम्भू दत्त बेलवाल का शिकायती-पत्र दिनांक 15-4-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें सी0एम0ओ0, बरेली और उनके कार्यालय के खाद्य अनुभाग के लिपिक श्री त्यागी के विरुद्ध क्या शिकायतें की गई हैं और शासन ने उन शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां, उसमें मुख्य शिकायतें निम्न हैं :—

1--मुख्य चिकित्साधिकारी बरेली, डा0 के0 के0 सिंहल की खाद्य अपमिश्रण निवारण सम्बन्धी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली होना ।

2--मिलावटी नमूनों को व्यापारियों से मिलकर दबाया जाना ।

3--न्यायालय द्वारा सी0एम0ओ0 कार्यालय के विपरीत टिप्पणी के बावजूद भी कार्य में कोई सुधार न लाया जाना ।

4--नमूनों को केन्द्रीय प्रयोगशाला-चन्डीगढ़ जांच हेतु न भेजा जाना ।

उक्त शिकायतों की जांच तत्कालीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मन्डल द्वारा की गई । फलस्वरूप दोषी पाये गये खाद्य लिपिक श्री ए0 पी0 त्यागी को बरेली जनपद से शाहजहांपुर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं और उन्हें कार्यमुक्त भी किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली, डा0 के0 के0

सिंघल का भी स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

39—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में खाद्य मिलावट सम्बन्धी मुकदमें 1—मुकदमा नं0 656/83 सरकार बनाम होरी लाल, 2—मुकदमा नं0 813/81 सरकार बनाम रक्षपाल सिंह, 3—मुकदमा नं0 1461/81 सरकार बनाम मुरारी लाल व मोदी वनस्पति कम्पनी में सम्बन्धित न्यायालयों ने सी0एम0ओ0 तथा लिपिक को दोषपूर्ण प्रणाली पर विपरीत टिप्पणी की हैं ? यदि हां, तो टिप्पणी क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, वे संक्षेप में निम्नवत् हैं :—

मुकदमा नं0 656/83 में मुल्जिम को सही पते पर रजिस्ट्री न भेजना, मुकदमा नं0 813/81 व मुकदमा नं0 1461/81 में मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के कार्यालय में नमूनों की शीशियों का ठीक से रख-रखाव न किया जाना ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बरेली के कार्यालय के सम्बन्धित खाद्य लिपिक श्री ए0 पी0 त्यागी के स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश भी जारी कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0 के0 के0 सिंघल का स्थानान्तरण भी कर दिया गया है ।

जनपद आगरा में कतिपय जगहों पर आलू विक्रय केन्द्र खोलने की घोषणा

40—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एतमादपुर तहसील के खन्दौली और पचोखरा, आगरा मण्डल के आलू उत्पादन के प्रमुख केन्द्र पर विक्रय केन्द्र खोलने हेतु शासन ने फरवरी, 1985 में घोषणा की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में होम्योपैथिक डाक्टरों को अन्य डाक्टरों के समान वेतन

41—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब प्रदेश में एलोपैथिक डाक्टरों तथा आयुर्वेदिक व यूनानी डाक्टरों के वेतन में समानता है ? यदि हां, तो यही समानता होम्योपैथिक डाक्टरों के वेतन में न बरतने के क्या कारण हैं ? इस सम्बन्ध में शासन की नीति क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में जिला समादेष्टा (होमगार्ड) का रिक्त पद

42—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जनपद में पृथक् होमगार्ड के लिए जिला समादेष्टा का पद लगभग तीन वर्ष से न भरे जाने का क्या कारण है ? इस पर कब तक नियुक्ति हो जायगी ?

श्री रघुवीर सिंह यादव—

सितम्बर, 1982 में जिस अधिकारी की तैनाती के आदेश किये गये वह व्यक्तिगत कारणों से योगदान नहीं कर पाया और अन्तरिम व्यवस्था के रूप में सीतापुर में तैनात एक डिप्टी-

कलेक्टर को समादेष्टा के पद पर नियुक्त किया गया। दिनांक 5-8-83 से होमगार्ड के एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। उसने दिनांक 25-6-84 तक कार्य किया। उसके स्थानान्तरण पर होमगार्ड का पूर्ण कालिक अधिकारी उपलब्ध न होने की वजह से दिनांक 26-6-84 से निकटवर्ती क्षेत्र के जिला समादेष्टा को सीतापुर जिले का कार्यभार भी सौंपा गया। 27-6-85 से होमगार्ड विभाग के एक अधिकारी ने नियमित रूप से जिला समादेष्टा होमगार्ड, सीतापुर के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

43—श्री रिछपाल सिंह बन्सल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जहांगीरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फैजाबाद के उच्चीकरण का प्रस्ताव

44—श्री कृष्ण कुमार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहांगीरगंज, प्राथमिक केन्द्र (फैजाबाद) के उच्चीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त चिकित्सालय का उच्चीकरण कब तक करा दिया जायगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहांगीरगंज के उच्चीकरण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

45—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला अस्पताल उन्नाव में कतिपय कार्यों हेतु स्वीकृत ठेके की जांच

46—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के जिला अस्पताल के अधीक्षक, डाक्टर बी0 एस0 सलूजा द्वारा मात्र तीन व्यक्तियों के अन्दर टेंडर की प्रक्रिया, अवकास दिवसों में पूर्ण कर मतदान दिवस (2-3-85 व रविवार) में अनियमित व भ्रष्ट तरीके से मरम्मत, भवन बनवाने, गेट लगवाने का ठेका स्वीकृत किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में एस0 एम0 आई0 गोदाम से अनियमित बिक्री से सम्बन्धित कर्मचारियों का निलम्बन

47—श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद एस0 एम0 आई0 के गोदाम से वर्ष 1984-85 में सात बोरे चावल अवैध रूप से बेचने के लिए निकालते हुये पकड़े गये बोरे थाना सिहानी गेट में जमा हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मामले में श्री सीताराम, हा0 नि0 को निलम्बित किया गया परन्तु प्रभारी व गोदाम चौकीदार को निलम्बित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

कथित सात बोरों में से पुलिस को घटनास्थल पर केवल पांच बोरे प्राप्त हुए जो थाना सिहानीगेट में जमा हैं। श्री सीताराम हाट निरीक्षक को इस मामले में निलम्बित किया गया परन्तु प्रभारी व गोदाम चौकीदार को इसलिए निलम्बित नहीं किया गया क्योंकि प्रारम्भिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि केन्द्र प्रभारी उस समय केन्द्र

से मेरठ गये हुए थे तथा गोदाम चौकीदार को श्री सोहाराम हाट निरीक्षक द्वारा उक्त घटना के समय अन्यत्र भेज दिया गया था।

जनपद गाजियाबाद में कतिपय हाट निरीक्षकों की कार्यरत रहने की अवधि

48--श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सत्य पाल सिंह, हा० नि० व सरफराज खां व श्री महाबीर सिंह चौहान, हा० नि० कितने समय से गाजियाबाद जनपद में कार्यरत हैं ? श्री सत्यपाल सिंह हा० नि० कितने समय से बैरियर हिन्डन पर हैं और नियमानुसार कितने समय तक रखा जा सकता है ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री सत्यपाल सिंह, हाट निरीक्षक श्री सरफराज खां, हाट निरीक्षक एवं श्री महाबीर सिंह चौहान, हाट निरीक्षक क्रमशः दिनांक 20 जुलाई, 1981, 16 जून, 1981 एवं 1 सितम्बर, 1981 से गाजियाबाद जनपद में कार्यरत हैं।

श्री सत्यपाल सिंह, हाट निरीक्षक दिनांक 28 जून, 1982 से 10 अगस्त, 1983 तक हिन्डन बैरियर पर कार्यरत रहे थे। तदोपरान्त वे पुनः दिनांक 23 नवम्बर, 1983 से अब तक हिन्डन बैरियर पर कार्यरत हैं। सामान्यतः एक स्थान पर तीन वर्ष तथा विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष तक कर्मचारियों को रखने की नीति है।

प्रदेश से बाहर अनियमित रूप से गेहूं भेजने के विरुद्ध कार्यवाही

49--श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कितनी मात्रा में गेहूं प्रदेश के बाहर लेवी दिए बिना भेजा गया, विश्लेषण परिणाम समय से न भेजे जाने के कारण कितने कर्मचारी निलम्बित किए गये ? मेरठ क्षेत्र में बरेली क्षेत्र की भांति ऐसे मामलों में कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 1983-84 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रदेश के बाहर लेवी दिये बिना भेजे गये गेहूं की मात्रा शून्य है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि बरेली और मेरठ सम्भागों में भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रदेश से बाहर गेहूं नहीं भेजा गया है अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेश पाल सिंह राणा, हा० नि० मेरठ के स्थानान्तरण आदेश का निलम्बन

50--श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेश पाल सिंह राणा, हा० नि०, मेरठ को आदेश में ही दिनांक 29 अगस्त, 1984 को झांसी क्षेत्र के लिए स० खा० नि० मेरठ द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था लेकिन संभागीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ ने आदेश पुनः रद्द करके उन्हें वहीं रोक लिया, जबकि अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर रूप अपनाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री नरेश पाल सिंह राणा, हाट निरीक्षक, मेरठ को स्थानान्तरण आदेश में ही दिनांक 29 अगस्त, 1984 को झांसी क्षेत्र के लिए सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक मेरठ द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया था परन्तु तदुपरान्त उनके इस आशय के प्रार्थना-पत्र पर कि उनकी विधवा एवं वृद्ध माता मानसिक रोग से पीड़ित हैं

और उनका इलाज मानसिक चिकित्सालय शाहदरा (दिल्ली) में चल रहा है तथा उनकी देखभाल करने के लिए उनके अतिरिक्त अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके परिवार में नहीं है, उन्हें इन विशेष परिस्थितियों में मानवीय आधार पर मेरठ सम्भाग में ही बना रहने दिया गया।

श्री राणा के साथ स्थानान्तरित किये गये अन्य किसी कर्मचारी द्वारा अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन नहीं प्रस्तुत किया गया।

51—श्री चन्द्रभान मौर्य—

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

हिण्डेन बैरियर, गाजियाबाद में पकड़ी गयी चीनी के मुकदमे से संबन्धित श्री शिशुपाल सिंह सिरोही का स्थानान्तरण

52—श्री रिछपाल सिंह बंसल तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 जून, 1981 व 19 जून, 1981 को हिण्डेन बैरियर, गाजियाबाद पर प्रदेश के बाहर अवैध रूप से चीनी जाते हुए पकड़ी गयी थी जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध पंजाब में सब जज पटियाला के न्यायालय में वसूली हेतु वाद चल रहे हैं, जिसकी पैरवी श्री शिशु पाल सिंह सिरोही, प्रतिवादी नम्बर 4, 5 कार्यालय संभागीय खाद्य नियन्त्रक मेरठ सभी पक्षकारों की ओर से विभागीय अधिकारी एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पैरवी कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उस दौरान मुकदमा इन्हें संभागीय खाद्य नियन्त्रक, मेरठ द्वारा बगैर किसी कर्मचारी की नियुक्ति एवं चार्ज के झांसी मंडल के लिए कार्यमुक्त किया गया है, जबकि जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने इन्हें अपने पत्र दि0 20 अगस्त, 1984 के द्वारा मेरठ मण्डल में ही मुकदमे के दौरान रोकने के लिए लिखा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

दिनांक 18 जून, 1981 एवं 19 जून, 1981 को हिण्डन बैरियर (गाजियाबाद) पर प्रदेश के बाहर अवैध रूप से चीनी जाती हुई पकड़ी गयी थी। उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के विरुद्ध पंजाब में सब-जज पटियाला के न्यायालय में वसूली हेतु वाद चल रहे हैं। इन वादों की पैरवी श्री शिशुपाल सिंह सिरोही प्रतिवादी नं0 4, 5 की ओर से जिलाधिकारी गाजियाबाद के निर्देशानुसार कर रहे थे।

श्री सिरोही को खाद्य आयुक्त द्वारा अगस्त, 1984 में मेरठ संभाग झांसी संभाग को स्थानान्तरित किया गया और उन्हें संभागीय खाद्य नियंत्रक मेरठ द्वारा दिनांक 29-8-84 को कार्यमुक्त कर दिया गया था। यह सही है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद ने अपने पत्र दिनांक 20-8-84 के द्वारा श्री सिरोही का स्थानान्तरण रोकने के लिए अनुरोध किया था, परन्तु श्री सिरोही का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किये जाने के कारण उसे रोकना उचित नहीं समझा गया।

केन्द्र द्वारा प्रदेश को लेवी चीनी का आवंटन एवं वितरण

53—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को माह अप्रैल व मई, 1985 हेतु केन्द्र से लेवी चीनी का कितना कोटा आवंटित हुआ ? इसमें से कितनी चीनी सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा नहीं उठाई गयी ? चीनी का पूरा कोटा न उठाने के क्या कारण हैं तथा शासन इसके

लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ।

श्री बासुदेव सिंह--

केन्द्र द्वारा इस प्रदेश को माह अप्रैल व मई, 1985 में क्रमशः 46394.0 एवं 48809.1 मी0 टन लेवी चीनी का कोटा आवंटित किया गया ।

इसमें से माह अप्रैल व मई, 1985 में क्रमशः 2612.3 एवं 4494.1 मी0 टन चीनी नहीं उठाई गई ।

लेवी चीनी का पूरा कोटा न उठाने का प्रमुख कारण रेल वैगन का समय से उपलब्ध न होना, मिलों द्वारा चीनी देने से इन्कार करना, कतिपय मिलों द्वारा रेलवे लदान में अरुचि तथा माननीय उच्च न्यायालय में मिलों द्वारा रिट याचिकायें दायर कर स्टे लिया जाना आदि रहा है ।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

54--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कानपुर (देहात) के कतिपय गावों में अस्पताल खोलने की व्यवस्था एवं महिला चिकित्सक की नियुक्ति

55--श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत रसूलाबाद के चिकित्सालय में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने तथा गांव औरों ताहरपुर व गांव तिश्ती और गांव ककवन में नए अस्पताल खोले जाने हेतु किसी विधायक का पत्र 14 मार्च, 1985 से 21 मार्च, 1985 के मध्य प्राप्त हुआ था और उसपत्र पर उपरोक्त सभी व्यवस्थायें किए जाने का आपने आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उन आदेशों का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद कानपुर (देहात) के अन्तर्गत रसूलाबाद के चिकित्सालय म महिला चिकित्सक की तैनाती के विषय में श्री हनुमान प्रसाद कुरील विधायक का पत्र प्राप्त हुआ था जो स्वास्थ्य सेवा निदेशक को दिनांक 16-3-85 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था । रसूलाबाद में कोई महिला चिकित्सालय नहीं है, अतः वहां पर महिला चिकित्सक की तैनाती का प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामों औरों ताहरपुर में एक राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तथा ग्राम ककवन में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से स्थापित हैं । ग्राम तिश्ती में कोई अस्पताल नहीं है । अब नये अस्पताल खोलने का निर्णय संबन्धित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा लिया जाना है ।

चतुर्थश्रेणी लिपिकों की ज्येष्ठता सूची एवं पदोन्नति में अनियमितता

56--श्री त्रिलोक चन्द्र--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी लिपिकों की ज्येष्ठता सूची सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्रमांक 604 की पदोन्नति हाट निरीक्षक के पद पर न करने का क्या कारण है ? जबकि उनसे कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नत कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह--

चतुर्थ श्रेणी लिपिकों की ज्येष्ठता सूची को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अंतिम रुप प्रदान किया गया है ।

ज्येष्ठता के आधार पर क्रमांक 604 के कर्मचारी अभी पदोन्नति के पात्र नहीं हुये हैं। उनसे कनिष्ठ केवल अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की ही पदोन्नतियां उनका कोटा पूर्ण किए जाने हेतु की गयी हैं।

पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्सकों को विशेष सहायता भत्ता

57—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में यात्रा भत्ता की दर क्या है? क्या सरकार को ज्ञात है कि मैदानी व तराई क्षेत्रों में साइकिल से गांव-गांव पहुंचना सरल है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में केवल पैदल ही रास्ता तय करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पृष्ठभूमि में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपद के चिकित्सकों को विशेष सहायता भत्ता देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैदानी क्षेत्र में स्वचालित वाहनों के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से यात्रा हेतु सड़क भत्ता की निम्न दरें निर्धारित हैं :—

कोटि 1, 2 व 3 के शासकीय सेवक—	दर
(1) पेट्रोल/डीजल चालित वाहनों के अलावा अन्य वाहनों से की गई सड़क यात्राओं के लिए	रु0 0.50 प्रति किलोमीटर इस प्रतिबंध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिए रुपये 50 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(2) कोटि 4 के शासकीय सेवक—	
वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिए	तदेव

पैदल की गई यात्राओं के लिए भी उपरोक्त सड़क भत्ता स्वीकृत है। प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवकों को उपर्युक्त उल्लिखित सड़क किलोमीटर भत्ता की दरों पर 33 1/3 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत है। पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्सकों को विशेष सहायता भत्ता देने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

डिप्टी जेलर हरदोई, श्री एस0 डी0 अवस्थी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

58—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी जेलर हरदोई, श्री एस0डी0 अवस्थी के विरुद्ध श्री सरदार सिंह, विधायक का पत्र जो सतर्कता सचिव को सम्बोधित था, गृह सचिव के माध्यम से सतर्कता सचिव को अप्रैल/मई, 85 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन तथ्य हैं? क्या सरकार उन पर बिन्दुवार जांच सतर्कता विभाग द्वारा करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रघुवीर सिंह—

जी हां।

पत्र में श्री एस0 डी0 अवस्थी द्वारा काम में रुचि न लेने, हरदोई में 7-8 वर्ष से तैनात रहने, अवैध रूप से हरदोई में भूखंड खरीदने, अवैध धनोपार्जन से टी0 वी0, फ्रिज जैसी वस्तुयें खरीदने, बन्दियों को परेशान करके धन प्राप्त करने, कार्यवाही शाखा में हेराफेरी कराने, पुराने जनसंघ (आर0 एस0 एस0)

को समर्थक होने, सरकार विरोधी राजनीति में भाग लेने तथा कर्मचारियों से जेल एसोसियेशन के नाम से चन्दा वसूल कर उसका गबन करने का उल्लेख किया गया है ।

स्थायी प्रक्रिया के अनुसार शिकायतों की विभागीय जांच कराई जा रही है । उसके परिणाम को देखकर, यदि आवश्यक हुआ, तो सतर्कता विभाग से जांच कराई जायेगी ।

पर्वतीय क्षेत्र में मेडिकल आफिसरों एवं फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

59—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में मेडिकल आफिसरों फार्मेसिस्टों के कब से कितने पद रिक्त हैं और रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं तथा कब तक पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में मेडिकल आफिसरों/फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां हो जायेंगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पर्वतीय क्षेत्रों में एलोपैथिक, एकीकृत, तृतीय चिकित्साधिकारी एवं होम्योपैथिक के 436 एवं फार्मेसिस्ट के 36 पद दिनांक 30-6-85 तक रिक्त थे । ये पद विभिन्न तिथियों से रिक्त हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त किए गए अधिकांश मेडिकल आफिसर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं । अतः रिक्तियां बनी हुई हैं ।

लोक सेवा आयोग से कुछ चिकित्सकों की सूची प्राप्त हो गई है, उसमें से मेडिकल आफिसर्स की पर्वतीय क्षेत्र की रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जावेगा ।

फार्मेसिस्टों की कमी है । प्रशिक्षित फार्मेसिस्ट उपलब्ध होने पर इन पदों को भरा जायेगा ।

गृह दर्शक श्री नरेश कुमार वर्मा को वेतन भुगतान एवं गोरखपुर में सृजित गृह दर्शक पद

60—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पिछले दो वर्षों में कार्यरत गृह दर्शक श्री नरेश कुमार वर्मा को किस आधार पर वेतन दिया जा रहा है ? क्या जिला मलेरिया अधिकारी, गोरखपुर के वहां गृह दर्शक एवं सर्वेलेन्स निरीक्षक का पद सृजित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री नरेश कुमार वर्मा, गृह दर्शक के पद पर कार्यरत हैं । अतः श्री वर्मा को वेतन दिया जा रहा है । गोरखपुर जनपद में गृह दर्शक एवं सर्वेलेन्स निरीक्षक के पद सृजित हैं ।

स्व0 श्रीमती रामकली, ग्राम तुलसीपुर, बार बंकी के मृत्यु विवाद की जांच

61—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्रीमती रामकली, निवासिनी ग्राम तुलसीपुर, विकास खंड सूरतगंज, तह0 फतेहपुर, जिला बाराबंकी की मृत्यु विवाद का कोई प्रकरण मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी के यहां वर्ष 1983 से विचाराधीन हैं । यदि हां, तो क्या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्देशित बी0 डी0 ओ0 अथवा पंचायत अधिकारी की जांच रिपोर्ट से मृतक का मृत्यु दिनांक 8-2-83 में होना सही पाया गया है ? यदि हां, तो गलत रिपोर्ट देने तथा हेराफेरी करने के लिए दोषी

वहां के प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (श्री जहीर अहमद) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु, दिनांक अंकित करने के आदेश कब तक हो जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, प्रश्नगत मृत्यु विवाद प्रकरण जनवरी, 1984 से विचाराधीन था। जांच किये जाने पर श्रीमती रामकली की मृत्यु की तिथि 10 मार्च, 1983 होना पाई गई है। प्रश्नगत मृत्यु दिनांक सम्बन्धी गलत सूचना देने के लिए दोषी पाये गये श्री जहीर अहमद, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी गई है और उन्हें बाराबंकी मुख्यालय से अन्यत्र स्थानान्तरित भी कर दिया गया है। मृत्यु रजिस्टर में मृतक की मृत्यु दिनांक 10 मार्च, 1983 अंकित करने के आदेश 25 जुलाई, 1985 को चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी ने दे दिए हैं।

श्री दयाराम, स्थायी लेबोरेटरी सहायक, सहारनपुर के बकाया वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

62—श्री किशन लाल दिलेर—

अष्टम विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के तीसरे गुरुवार के अता० प्र० सं० 75 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दयाराम, स्थायी लेबोरेटरी सहायक, एस० बी० डी० अस्पताल सहारनपुर के 28-6-77 से 15-11-1981 तक के वेतन के बकाए के भुगतान के सम्बन्ध में श्री डी० सी० चन्दानी, एडवोकेट द्वारा 24-12-1981 तथा श्री सुभाष चन्द्र जैन एडवोकेट द्वारा 1-12-1983 को शासन को कोई नोटिस दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय जनपदों में दवाओं की बिक्री की समुचित व्यवस्था

63—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों, विशेषकर तराई क्षेत्र में नकली दवाइयों के विक्रय को रोकने हेतु शासन ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए हैं ? विगत तीन वर्षों से किन-किन अपराधियों को इस सम्बन्ध में दंडित किया जा चुका है ? क्या सरकार दवाई विक्रय हेतु सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पर्वतीय जनपदों, विशेषकर तराई क्षेत्र में नकली दवाओं की बिक्री रोकने हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारियों को औषधि विक्रय इकाइयों के निरीक्षण हेतु पदेन औषधि निरीक्षक बना दिया गया है तथा औषधि निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर तत्परतापूर्वक निरीक्षण किये जाने और दवाओं के नमूने राजकीय विश्लेषक की जांच हेतु भेजे जाने में सतर्कता अपनाये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अलावा औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा पुलिस के साथ संयुक्त छापे समय-समय पर डाले जाने की भी व्यवस्था की गई है।

विगत 3 वर्षों में प्रश्नगत क्षेत्र में कोई अपराधी इस सम्बन्ध में दंडित नहीं किया गया है।

जी हां। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह निर्देश दिये जा

चुके हैं कि वे सहकारी संस्थाओं को औषधि विक्रय लाइसेन्स लेने हेतु प्रेरित करें। यदि सहकारी संस्थायें ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स ऐक्ट की शर्तों को पूरा करते हुये लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र देती हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाइसेन्स स्वीकृत किया जायेगा।

अप्रशिक्षित लैब असिस्टेंटों की तरह फार्मेसिस्ट एवं नर्सों की पदोन्नति

64--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत अप्रशिक्षित लैब असिस्टेंट जिनकी शिक्षा जूनियर हाई स्कूल है तथा सेवाकाल 7 वर्ष हो चुकी है, को प्रशिक्षित लैब असिस्टेंट के समान वेतनमान दिये जाने लगा है ? यदि हां, तो 14 वर्षों से फार्मेसिस्ट एवं स्टाफ नर्स के पदों पर कार्य कर रहे प्रशिक्षित मेडिकल अटेंडेंट को उन्हीं पदों का वेतनमान या पदोन्नति क्यों नहीं प्रदान की जाती है जिन पदों की अपेक्षा में इनका स्थायीकरण किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्टाफ नर्स श्री आर0 पी0 शुक्ला, राजकीय क्षयरोग आश्रम भवाली नैनीताल के प्रावीडेंट फण्ड का भुगतान

65--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान राजकीय क्षय रोगाश्रम भवाली, जिला नैनीताल का प्रान्तीयकरण किये जाने के पूर्व जब वह एक निजी ट्रस्ट था उस समय कार्यरत स्टाफ नर्स (श्री आर0 पी0 शुक्ला) द्वारा प्रावीडेंट फण्ड के रूप में अपने वेतन का जो भाग जमा कराया गया था तथा ट्रस्ट के प्रान्तीयकरण होते समय वह रुपया नैनीताल ट्रेजरी में जमा कर दिया गया वह रुपया राजकीय सेवा से अवकाश ग्रहण करने के बाद भी अब तक श्री शुक्ल को क्यों नहीं दिया गया है इसे कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद में देवारा शिवपुर अस्पताल के निर्माण की तिथि एवं डाक्टरों की नियुक्ति न होने से असुविधा

66--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित देवारा शिवपुर डिस्पेंसरी का निर्माण कब हुआ और तब से आज तक वहां कौन-कौन से डाक्टर नियुक्त हुये और कितने-कितने दिन कार्य किया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ में देवारा शिवपुर नाम की कोई डिस्पेन्सरी कार्यरत नहीं है।

67--श्री काजी कलीमुर्रहमान--

क्या यह सही है कि सुदूर देवारा क्षेत्र में स्थित होने के कारण कोई डाक्टर दो महीने से ज्यादा वहां नहीं टिकता है ? जिसके कारण ग्रामीणों को भारी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी व्यवस्था करायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

देवारा शिवपुर में कोई अस्पताल नहीं है। अतः डाक्टर की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री गजराज सिंह, सफाई मजदूर नेत्र चिकित्सालय बुलन्दशहर की पदोन्नति का निरस्तीकरण

68—श्री किरनपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री गजराज सिंह, सफाई कर्मचारी, नेत्र चिकित्सालय, बुलन्दशहर की पदोन्नति वार्ड ब्वाय के पद पर श्री आर0 के0 भटनागर, अपर जिलाधिकारी, विकास अवैतनिक मन्त्री, नेत्र चिकित्सालय, बुलन्दशहर के आदेश पत्रांक 560, दिनांक 12-2-85 के द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्री गजराज सिंह के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी ने अपने पूर्व आदेश को निरस्त करके एक अन्य आदेश पत्रांक 865, दिनांक 30-4-85 को किया है ? यदि हां, तो वह आदेश क्या है तथा ऐसा करने पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सेठ गोपीमल जिला परिषद् नेत्र चिकित्सालय बुलन्दशहर, सरकारी अस्पताल नहीं है। अपर जिलाधिकारी (विकास) व बुलन्दशहर इस अस्पताल के अवैतनिक मन्त्री हैं। इनके आदेश संख्या 5601, दिनांक 12-3-85 द्वारा श्री गजराज सिंह, सफाई कर्मचारी की पदोन्नति वार्ड ब्वाय के पद पर अस्थाई रूप से की गयी थी। बाद में आदेश संख्या 365, दिनांक 30-4-85 के द्वारा वार्ड ब्वाय का चार्ज लेने के पूर्व श्री गजराज सिंह को स्वीपर के पद से त्यागपत्र देने हेतु कहा गया था परन्तु बाद में त्रुटि ज्ञात होने पर इस आदेश को निरस्त कर दिया गया था और आदेश संख्या 954/एच0 सी0, दिनांक 21-6-85 द्वारा श्री गजराज सिंह की वार्ड ब्वाय के पद पर प्रोन्नति दे दी गई। इस स्थिति में उक्त अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

69—श्री कामेश्वर उपाध्याय—

[दिनांक 25-7-85 को अता0 प्र0 सं0 23 द्वारा उत्तरित।]

70—श्री काशी सिंह ऐरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग, यांत्रिक खण्ड द्वारा रोड रोलरों की खरीद में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत हमें 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं—जिसमें 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं और वे हैं—

1—श्री देव कुमार यादव,
2—श्री कर्नल केशरी सिंह,
3—डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा,
4—श्री बाबू राम यादव,
5—श्री गया प्रसाद वर्मा,
9—डाक्टर दिनेश जौहरी,
7—श्री शारदा नन्द अंचल।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के यांत्रिक खंड द्वारा इस वर्ष मार्च, अप्रैल व मई के महीनों में 100 रोड रोलरों को खरीदने के लिये देश की विभिन्न फर्मों को आर्डर दिये थे, एक रोड रोलर की कीमत करीब 1·50 लाख रुपया अदा की गयी है लेकिन इनमें से अधिकांश नये रोड रोलर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनकी प्रमाणिकता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है। इन रोड रोलरों की ढुलाई में भी व्यापक पैमाने में हेरा फेरी, जालसाजी व गबन किये जाने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

इसलिये लोक महत्व के इस महत्व-पूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

रामनगर, बस्ती में कुवानों नदी के शिवाघाट पर पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कर्नल केशरी सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं शासन के ध्यान में रामनगर (बस्ती) के सम्बन्ध में एक लोक महत्व की सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुवानों नदी पर शिवाघाट में कोई पुल नहीं है जिससे सड़कें नदी के दोनों ओर पूरी होने के बावजूद उनका उपयोग नहीं हो पाता है। जनता ग्रामीण ढंग की छोटी-छोटी नावों से नदी पार करती है जो खतरनाक है। गत वर्ष ही शिवाघाट पर एक नाव दुर्घटना में 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी।

मान्यवर, इस पुल के न होने से मेरे विधान सभा क्षेत्र से प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी लगभग 50 कि0 मी0 अधिक तय करनी पड़ती है जो वहां की गरीब जनता के साथ न्याय संगत बर्ताव नहीं कहा जा सकता है।

मान्यवर, मैं आपके एवं इस आदर-णीय सदन के माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुवानों नदी पर शिवाघाट पर प्राथमिकता के आधार पर पुल बनाया जाय, जिससे उक्त प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके तथा जन-जीवन की हानि को बचाया जा सके।

थानाध्यक्ष बदौसा, बांदा के अमानवीय बर्ताव से बांदा न्यायालय बन्द होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मैं इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

मान्यवर, बांदा जनपद के कर्बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आशुलिपिक की आकस्मिक जीप दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर थानाध्यक्ष, बदौसा ने लाश को मय सरकारी जरूरती कागजातों के साथ बिना जरूरी शिनाख्त कार्यवाही किये बर्बरता पूर्वक नदी में फेंकवा दिया। अगर पुलिस बदौसा ऐसी जीपों का प्रबंध चलना रोकती और तुरन्त मौके पर पहुंचकर उपचार संबन्धी आवश्यक कार्यवाही करती तो न दुर्घटना होती और न ही आशुलिपिक मरता और न मृतक को लावारिस लाश की तरह नदी में फिकवा दिया जाता।

इस उपरोक्त थानाध्यक्ष बदौसा के हठधर्मी और बर्बर रवैया से बांदा न्यायालय 20 जुलाई को बन्द रहे। इसी कड़ी में कुछ महीना पहले बदौसा के ही थाना क्षेत्र मजरा पियार के मुखियन पुरवा में 7 हरिजन परिवारों पर पड़ी डकैती एवं बलात्कार की घटना को दर्ज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं किया गया और बाद में जनप्रतिनिधियों के द्वारा मामला उठाये जाने पर लगभग एक माह के बाद मामला दर्ज किया गया। इस बर्बरतापूर्ण रवैये से क्षेत्र में आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है। अतः थानाध्यक्ष, बदौसा का निलम्बन करते हुये सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।

कस्बा करहल, मैनपुरी से गुजरने वाली सड़क के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबूराम यादव--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल के नागरिकों का नारकीय जीवन प्रारम्भ हो गया है। करहल कस्बे के मध्य से गुजरती हुई इटावा-मैनपुरी सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की है पूर्ण रूपेण से क्षतिग्रस्त है और उसमें जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। इस मार्ग से जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण पूरा पानी मुख्य सड़क पर ठहर कर कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे गंदगी और सड़न पैदा हो गयी है कोई व्यक्ति इस मार्ग से साधारणतया नहीं निकल सकता है। गर्मियों से ही इस परेशानी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया, किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि यह सड़क भवन निर्माण करने वाले अभियन्ता को आवंटित है जो अक्षम और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कस्बे में जल निकास और गन्दगी हटाने की व्यवस्था आदि शीघ्र नहीं की गयी तो भयंकर बीमारी फैल जायेगी और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अतिशीघ्र किसी सक्षम अभियन्ता के द्वारा सड़क की दुर्दशा को ठीक करावें और जल निकास व गंदगी को हटाने की व्यवस्था करें ताकि भयंकर रोगों के आगमन को रोका जा सके और जनस्वास्थ्य की हानि को बचाया जा सके।

फर्रुखाबाद जनपद के क्राईमपुर सौरिक विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, श्री भारतीय विद्यालय हा0 से0 स्कूल, क्राईमपुर सौरिक, जनपद फर्रुखाबाद में श्री राम प्रकाश वर्मा की एल0 टी0 ग्रेड में अवकाश रिक्त पद पर 20 मई, 1977 तक के लिए नियुक्ति हुई तथा बृजेन्द्र पाल सिंह की सी0 टी0 ग्रेड में 2 फरवरी, 1979 को 20 मई, 1979 तक के लिए तदर्थ नियुक्ति हुई और 27-11-1979 को इनका अनुमोदन किया गया।

उक्त विद्यालय के प्रबन्धक ने उक्त दोनों अध्यापकों को नियमित करने के लिए 30 जून, 1980 को लिखा। जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ने 9 जुलाई, 1980 को यह जवाब दिया कि छात्रों की संख्या बहुत कम है, इसलिये अध्यापकों के नियमितीकरण का कोई प्रश्न नहीं उठता।

परन्तु 16-10-1976 से श्री राम प्रकाश वर्मा को ग्रेड बदलकर सी0 टी0 ग्रेड में तथा बृजेन्द्र पाल सिंह को 1-7-1976 से ग्रेड बदल कर एल0 टी0 ग्रेड में स्थायी नियुक्ति करके 21-10-1981 को अनुमोदन कर दिया जबकि श्री राम प्रकाश वर्मा दिनांक

16-11-1976 से कार्यरत थे और उन्हें 16-10-1976 को स्थायी नियुक्त किया गया है। इसी तरह से श्री बृजेन्द्रपाल सिंह की नियुक्ति 2 फरवरी, 1979 को हुई थी उन्हें 1 जुलाई, 1976 को स्थायी नियुक्त कर वेतन का भुगतान किया गया। गजराज सिंह की नियुक्ति राजाज्ञा का उल्लंघन करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, लेखाधिकारी तथा प्रधानाचार्य ने अनियमित ढंग से भ्रष्टाचार करके हजारों रुपये की लूट की है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के उक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

(अगली सूचना पढ़े जाने हेतु डाक्टर दिनेश जौहरी का नाम पुकारने पर श्री विजय सिंह राणा अचानक खड़े होकर अपनी सूचना पढ़ने लगे।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

यह जो पढ़ रहे हैं लिखा नहीं जाएगा। कृपा करके आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राणा जी आप नियमों के ज्ञाता हैं। आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

(श्री विजय सिंह राणा के साथ-साथ डाक्टर दिनेश जौहरी ने अपनी सूचना को पढ़ना प्रारम्भ किया।)

नोट :--[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा करोड़ों रुपये का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। बरेली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1982 में आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु आधुनिकतम नगरी, नई बरेली के 1,200 एकड़ भूमि में निर्माण योजना बनाई थी। बड़े उत्साह से करीब 5 हजार लोगों ने नगद एवं किस्तों में क्रय करने हेतु दुर्बल, अल्प एवं उच्च आय वर्ग के भवनों एवं भूखण्डों के लिए पंजीकरण कराया था एवं 1 करोड़ की अग्रिम धनराशि जमा कराई थी। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्राधिकरण इस योजना के लिए भूमि तक लेने में असमर्थ रहा है, जिससे जनता में घोर निराशा, क्षोभ एवं दिनों-दिन आक्रोश पैदा हो रहा है, तथा सरकार के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है। अतः अनुरोध है कि बरेली विकास प्राधिकरण को जनहित में निर्देशित किया जाय कि वह नई बरेली के निर्माण हेतु तुरन्त उचित कदम उठायें।

सीयर, बलिया में उद्योग इकाइयां स्थापित करने के नाम पर सरकारी धन के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, बलिया जनपद स्थित हमारे सीयर विधान सभा क्षेत्र के मुख्य नगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिल्थरा रोड को कुछ दिनों पूर्व उद्योग केन्द्र मानकर उद्योग इकाइयां लगाने की योजना चलायी गयी। बाद में उक्त योजना के संदर्भ को शिथिल करके मात्र एक इंस्पेक्टर की देखरेख में औद्योगिक प्रगति का नाटक खेला जाने लगा।

मान्यवर, जहां तक उद्योग का प्रश्न है, कर्जे तो बड़ी-बड़ी योजनायें देखकर बहुतों ने लिया लेकिन उन जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लेने के बाद दूसरे कार्यों में तथाकथित उद्यमियों ने लगा दिया जो अत्यंत ही लोकमहत्व का प्रश्न बन गया है कि सरकारी धन लेने के बाद सरकार की मन्शा को धोखा देकर दूसरा कार्य जाली कागजात देकर कर दिया गया।

मान्यवर, यह गम्भीर लोकमहत्व का प्रश्न है अस्तु आपके माध्यम से माननीय सदन और शासन दोनों का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि सारे कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय तथा सरकार को वहां की फर्जी उद्योग इकाइयों तथा सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी करने को कहा जाय।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा समय से बजट साहित्य उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता--

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की कुल 7 सूचनायें हमें प्राप्त हुई हैं। श्री सत्यपाल सिंह, श्री फजलुल बारी, श्री राजेन्द्र गुप्त, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री अशोक बाजपेयी एवं श्री सरदार सिंह की यह सूचनायें हैं। मैं एक आग्रह करूंगा कि औचित्य के प्रश्न पर एक-एक मिनट में अपना निवेदन समाप्त करें।

*श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है वह इस आधार पर उठाया है कि आज हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का बजट है। मैं यह देख रहा हूं कि जबसे सदन प्रारम्भ हुआ है तब से प्रत्येक विभाग के बजट पर, समय पर कोई सामग्री नहीं दी जाती है। अनेकानेक सदस्यों ने इस बाद पर एतराज उठाया है कि शासन को आगाह किया जाय कि अगले वर्ष क्या-क्या कार्य करने जा रहे हैं इसके विषय में साहित्य उपलब्ध कराया जाय। आपको पीठ से भी निर्देश दिया गया लेकिन उन निर्देशों की अवहेलना की जाती है। आज हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का बजट है, आप 1985-86 में क्या करने जा रहे हैं इसकी कुछ जानकारी नहीं है। तो मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा अनेकों बार शासन को आगाह किया गया कि समय पर साहित्य को दिया जाय और 4 दिन पहले दिया जाय। लेकिन साहित्य समय पर नहीं दिया जा रहा है। नियमावली के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अगले वर्ष क्या करने जा रहे हैं, किसी भी विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय साहित्य नहीं दिया जाता चाहे विद्युत् विभाग हो, राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या वन विभाग हो। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि जिस दिन किसी विभाग का बजट रखा जाने वाला हो और अगर उसका पूरा साहित्य नहीं दिया जा रहा हो तो उस दिन वह बजट न रखा जाय और उसकी चर्चा न हो। मैं इसकी ठोस और समुचित व्यवस्था चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, माननीय सत्यपाल सिंह जी ने जो कहा, यह सही बात है कि साहित्य आपको उपलब्ध होना चाहिये। लेकिन आप जैसे सदस्य जो सदैव फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं तो समाज कल्याण विभाग ने क्या काम किया, क्या योजनायें थीं, इसकी जानकारी आपको न हो, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नाबालिग जवाब है।

श्री हुकुम सिंह—

नाबालिग प्रश्न के लिये नाबालिग जवाब होगा ही। लेकिन मैं नाबालिग प्रश्न का बालिग जवाब दे रहा हूं।

मान्यवर, इससे पूर्व भी कई बार ऐसे प्रश्न उठे और आपकी पीठ से जो व्यवस्थायें दी गयीं, उनका उल्लेख करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि यह पेज नं0 50 जो संवर्धित संहत संकलन है, मार्च, 1969 से 30 दिसम्बर, 1978 तक का, इसका पैरा नं0 14 देखें। "बजट साहित्य समय पर वितरित किया जाना चाहिये परन्तु उसके बिना भी अनुदान प्रस्तुत किया जाता है।" "यह सही है कि प्रतिवेदन आज 10 बजकर 50 मिनट पर हमारे कार्यालय में मिला। मैं यह समझ सकता हूं कि साहित्य न हो तो बात दूसरी है, पुराने वर्षों में मैंने देखा कि बिना साहित्य के काम चला है।" श्री अध्यक्ष ने आगे कहा— "साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये, क्योंकि सदस्यगण उसका उपयोग, उसी दिन अगर मिले तो नहीं कर सकते, इसलिये मैं समझता हूं, इस बात का ख्याल सब विभागों के मंत्रिगण रखेंगे।" इससे पहले पेज नं0 131 है। इसमें अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहित संकलन, अप्रैल, 1952 से 22 दिसम्बर, 1967 तक है। "किसी अनुदान से सम्बन्धित साहित्य यद्यपि पर्याप्त समय पूर्व ही सदस्यों को मिल जाना चाहिए परन्तु उसके अभाव में अनुदान पर विवाद रोका नहीं जा सकता।" "24 अप्रैल, 1962 को जब राजस्व मंत्री भू-राजस्व सम्बन्धी अनुदान को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे थे तो श्री मोखा लाल ने मांग की कि सम्बन्धित साहित्य के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण सदस्य उसे अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अतः विवाद को रोक कर पर्याप्त समय दिया जाय ताकि सदस्यगण उसके विवरण का अध्ययन करके भाषण दे सकें।" आगे श्री अध्यक्ष ने कहा— "मैं यह मानता हूं कि जो साहित्य किसी अनुदान के सम्बन्ध में हो वह जल्द से जल्द या पर्याप्त समय पूर्व माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिए, लेकिन जो विवाद आज के लिए निर्धारित है उसको रोकना मेरे लिए असम्भव है।" यह मान्यवर, कई बार व्यवस्था दी जा चुकी है।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

यह जो बजट की सामग्री है, वह माननीय सदस्यों के पिजन होल में लगा दी गयी है।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, क्या यह सही है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के निदेशालय ने साहित्य तो आपके सचिवालय के पास बांटने के लिए भेज दिया था, लेकिन उसमें अंग्रेजी है, इसलिए आपके सचिवालय के निर्णयानुसार उसको बांटने से बन्द कर दिया है। साहित्य आया मान्यवर, लेकिन आपके सचिवालय ने एक अच्छा फैसला किया कि शासन के द्वारा अंग्रेजी में मुद्रित साहित्य को वितरित नहीं किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा और न ही वितरित किया गया। इसके लिए मैं आपको और आपके सचिवालय को बधाई देना चाहता हूं। माननीया मन्त्री जी, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री तथा माननीय नेता सदन भी बैठे हुए हैं, इसके बारे में वस्तु-स्थिति क्या है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या यह सही है कि अंग्रेजी में साहित्य आया है। मान्यवर, यह खाली अफसरों का लिखा हुआ आपके पास भेजवा देते हैं, तो ये अंग्रेजी में पढ़कर सदन में भाषण दे दें।

(व्यवधान)

एक वर्ष में विधान सभा का 90 उपवेशन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं नियमावली के नियम 14 के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठा कर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, हमारा प्रजातांत्रिक प्रदेश है। यहां पर मान्यवर, डिमोक्रेटिक मशीनरी की पकड़ में ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी रहे, जिसके वास्ते नियम 14 में दिया हुआ है कि कम से कम 90 उपवेशन एक साल में होने चाहिए। लेकिन यह अफसोस की बात है कि प्रजातंत्र के रखवाले, प्रजातंत्र का इस प्रकार से गला घोंट रहे हैं कि अगर बजट पास करना कानून में जरूरी न हो, क्योंकि वह असेम्बली में ही पास होगा, तो शायद सदन को बुलाया ही न जाय। इसलिए मैं पांच साल के आंकड़े दे रहा हूं। वर्ष 1980 में 48 दिन का सदन हुआ, 37 दिन बजट के और 11 दिन सामान्य। इसके बाद 1981 में 37 दिन बजट के 6 दिन सामान्य। 1982 में 42 दिन बजट के 8 दिन सामान्य, 1983 में 40 दिन बजट के 8 दिन सामान्य। 1984 में 39 दिन बजट के 6 दिन सामान्य। इस सिल-सिले में मुझे कहना है कि कौल और शकधर ने पेज 652 पर लिखा है मैं उसको पढ़ता हूं उन्होंने लिखा है....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(शोर)

लोक महत्व के विभिन्न विषय पर ऐसी चर्चाओं की सूचना....

(शोरगुल)

मान्यवर, यह पेज 652 की फोटो-स्टेट कापी है इसको बाद में पटल पर रख दूंगा। इसमें है कि सामान्यतः है कि ऐसी बजट चर्चायें सत्र में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। मान्यवर, तो जो सेशन यह बजट का कर रहे हैं वह 37 दिन, 42 दिन, 40 दिन, 39 दिन का है और इसमें आप लोकमहत्व की सूचना नहीं स्वीकार करेंगे कि जो लोक-महत्व के प्रश्न हैं वह 6 दिन, 8 दिन, में नहीं आ सकते हैं। या तो पार्लिया-मेन्ट की प्रक्रिया को नहीं लागू किया जाना चाहिए, लोकमहत्व के प्रश्नों को बजट के दिनों में लिया जाए। श्रीमन्, जो 6 दिन, 11 दिन और 8 दिन का सेशन होता है, यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के लिए होता है अगर इन्हें सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट न लेनी हो तो यह सेशन भी यह न बुलायें। तो मेरा निवेदन है कि इस पर आप चर्चा करा दें।

मान्यवर, प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर इस भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है, तो सदन 90 दिन खोला जाए। पहले समय मेंजब सदन 1952 से 1969-70 तक 90 दिन का चलता था, तो प्रदेश में भ्रष्टाचार कम होता था, लेकिन जब से सदन कम चलने लगा है, तबसे भ्रष्टाचार के वाकयात उठाने

का मौका कम मिलता है, जिससे सरकारी अधिकारी बहुत भ्रष्टाचार करते हैं। उनकी वजह से जनता त्राहि कर रही है। मान्यवर, जब आप इस पर निर्णय दें, तो इस तस्वीर को सामने रखकर निर्णय दें। यह बहुत अहम मसला है। दूसरी बात कहना चाहूंगा। हरिजनों को ऊपर उठाने की बात हो रही है। जिला परिषद् ने ढोरों की खाल और हड्डियों को ठेकेदारी की प्रथा में दे दिया है। इस मसले पर चर्चा नहीं हो सकती है कि यह बजट सत्र है फिर होना नहीं है इसलिए यह मसला चर्चा के लिए आना नहीं है इसलिए इस पर चर्चा करायें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, हमारी सदैव यह मंशा रही है कि जनप्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा अवसर तमाम महत्वपूर्ण बातों पर विचार करने के लिए मिले। आप चुनकर आए हैं अगर आप कोई महत्वपूर्ण बिन्दु उठाते हैं, तो हम आपकी बात सुनेंगे वैसे तो आप महत्वपूर्ण बिन्दु उठाते ही हैं। लेकिन जो आपने सदन की बात कही है, उसमें मैं कहना चाहूंगा और आप अपने क्षेत्र को भी देख लें तो अच्छा होगा क्योंकि दोनों ही काम महत्वपूर्ण हैं अपने क्षेत्र में रहना और यहां रहना। यहां बहुत से माननीय सदस्य ऐसे भी हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाएगा, जब आप कोई महत्वपूर्ण मामला उठायेंगे।

श्री फजलुलबारी—

90 दिन के बाद तो क्षेत्र में जाना ही है।

सैनिक स्कूल, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए सदन के सदस्यों की समिति न बनाकर अधिकारियों की समिति बनाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। 22 तारीख को औचित्य के प्रश्न के रूप में मैंने इस मामले को उठाया था। पिछली विधान सभा अध्यक्ष ने इस बात को ध्यान में रख कर कि सैनिक स्कूल में बहुत भ्रष्टाचार और अनियमितता है, इसके लिये आदरणीय सदन के तीन सदस्यों की कमेटी बनाई जाय, यह आदेश दिये थे। वह कमेटी बन नहीं पायी, इस कारण 22 तारीख को हमने पुनः इस मामले को सदन के संज्ञान में ले आये। श्री अध्यक्ष ने उस सन्दर्भ में यह व्यवस्था दी थी। मैं कार्यवाही का वह अंश पढ़ रहा हूं। "श्री अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी (भूतपूर्व अध्यक्ष) ने जो आदेश दिया था उसकी मैं प्रोसीडिंग देख रहा हूं और मैं यह सरकार से अनुरोध कर रहा हूं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कि 3 हफ्ते के अन्दर तीन आदमियों की कमेटी गठित कर दी जाय।" आदमियों शब्द आया है, जो आरोप है सैनिक स्कूल के बारे में वह सही तथ्य सामने न आ जाय, इसलिये आदरणीय सदन की कमेटी न बनाकर 3 अधिकारियों की कमेटी बना रहे हैं। किसी शब्द का अर्थ उसके सन्दर्भ के साथ लिया जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष ने जो तीन आदमियों शब्द का प्रयोग किया है, उसका आशय सदन के 3 माननीय सदस्यों की कमेटी से है। इस सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उपस्थित करते हुये स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप निर्देशित कर दें सन्दर्भ के साथ कि इस आदरणीय सदन के तीन माननीय सदस्यों की कमेटी बनाई जाय कि तीन अधिकारियों की।

औचित्य के प्रश्नों पर निर्णय

श्री अधिष्ठाता—

7 सूचनाओं में कुछ को हमने सुना, कुछ को पढ़ा। जहां तक श्री सत्यपाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंह के औचित्य का प्रश्न है, बजट साहित्य के समय से वितरण न होने के सम्बन्ध में। हमने जानकारी की अपने सचिवालय से, हरिजन समाज कल्याण विभाग का बजट साहित्य 31-7-85 को वितरित हो चुका है। उसमें अंग्रेजी की बात नहीं पायी गयी और जैसा अभी माननीय सदस्य ने यहां कहा अध्यक्ष पीठ से यह आदेश हो चुके हैं कि साहित्य कम से कम एक दिन पहले मिलना चाहिये, क्योंकि सदस्यगण उसका उपयोग उसी दिन अगर मिले तो नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं, इस बात का ख्याल सब विभागों के मंत्रीगण रखेंगे। अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

श्री फजलुल बारी की सूचना के विषय में यह कहना है कि कई बार अध्यक्ष पीठ से निर्णय हो चुका है, इसे औचित्य का प्रश्न नहीं माना गया। श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना को मैं अध्यक्ष के विचारार्थ भेज रहा हूं। यहां तक श्री राम आसरे वर्मा, श्री मिश्रसेन, श्री अशोक बाजपेयी, श्री सरदार सिंह की सूचना का प्रश्न है प्रक्रिया नियमावली अथवा संविधान का उल्लंघन हो और मामला सदन के संज्ञान में हो, तभी औचित्य का प्रश्न उठता है। यह तीनों सूचनायें उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करती है। अतः इसे अस्वीकार करता हूं। जहां तक कुंवर रेवती रमण सिंह की सूचना है, उसमें न तो संविधान का उल्लंघन है न सदन के संज्ञान में है, न नियमावली का उल्लंघन है। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मैंने औचित्य का सवाल उठाया है।

श्री अधिष्ठाता--

निर्णय होने के बाद माननीय रेवती रमण जी आप सहमत होंगे कि कोई चीज आगे नहीं चलनी चाहिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

आप ग्राह्यता पर सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष हुआ है, उसी पर निर्णय हुआ है।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

इसी सदन में मन्त्री ने....

श्री अधिष्ठाता--

अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने वक्तव्य के लिये कहा था, मैंने उनके निवेदन को स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

अब निर्णय हो चुका है और निर्णय के बाद व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के सिलसिले में मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

श्री रेवती रमण सिंह जी आप बैठें।

आयातित नान लेवी चीनी के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रण करने तथा उपभोक्ताओं को चीनी सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रदेश शासन

को माह जून, 1985 से आयातित नान-लेवी चीनी उपलब्ध कराना प्रारम्भ किया। यह चीनी प्रदेश शासन द्वारा नामांकित संस्थाओं को 15 जून, 1985 से ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान समय में राज्य शासन एवं उसके द्वारा नामांकित संस्थाओं द्वारा 18865 मि0 टन आयातित नान-लेवी चीनी लेने हेतु धनराशि भारतीय खाद्य निगम में जमा की जा चुकी है परन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल 11575 मि0 टन चीनी उपलब्ध करायी गई है। राज्य शासन द्वारा जितनी मात्रा हेतु धनराशि जमा की गई है वह चीनी उठाने एवं वितरण हेतु तत्पर है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी उचित मात्रा में समय से उपलब्ध कराने के कारण अधिक मात्रा में चीनी प्रदेश में अभी तक वितरित नहीं हो सकी है।

2—प्रदेश में यह चीनी लगभग 44 जनपदों में वितरित की जा रही है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कानपुर/लखनऊ/वाराणसी/आगरा में भी इसका वितरण हो रहा है। इलाहाबाद, हापुड़, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ व मुजफ्फरनगर में भी इसे उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित कराने के आदेश कर दिये गये हैं। वर्तमान समय में राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के अतिरिक्त इस कार्य में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, तथा मण्डलीय विकास निगम, आगरा, बरेली, हल्द्वानी, इलाहाबाद व गोरखपुर लगे हैं। यह चीनी सामान्य उपभोक्ता एक बार में 50 किलोग्राम तथा बड़ा उपभोक्ता (बल्क कन्जूमर) 25 कुन्टल तक ले सकता है। प्रदेश में इस चीनी वितरण से चीनी के मूल्यों में गिरावट आयी है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी के वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी करना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी मिली है कि जो आयातित चीनी बाजार में आयी है, क्योंकि उसका स्वाद मीठा कम है, इसकी वजह से उसकी बिक्री नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप, बाजार में चीनी का दाम बढ़ता जा रहा है और इसी 15 दिनों में खुले बाजार में चीनी के दाम में एक रुपया प्रति किलो की वृद्धि हो गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्री जी का क्या वक्तव्य है?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उसके बारे में जानकारी केवल हमारे माध्यम से नहीं बल्कि ये इकनामिक टाइम्स के भाव हैं। इसको देखने से माननीय सदस्य आश्वस्त हो जायेंगे कि उत्तर प्रदेश में चीनी का भाव गिरा। यह सही है कि दिल्ली में बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चीनी का दाम गिरा है। यह मैं इकनामिक टाइम्स की बात आपके सामने रख रहा हूं। अधिकारियों ने जो सूचना दी है, उसके आधार पर दामों में गिरावट आने का रुझान है। दाम गिरे हैं।

श्री फजलुलबारी—

मान्यवर, बाजार में 8 रु0 किलो बिक रही है।

श्री अधिष्ठाता—

अब इसमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया बैठें। अब अगली मद ले ली है। नियम 56 के अन्तर्गत

आज 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री बदन सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री त्रिलोक चन्द्र की आगरा में दो भाइयों के अपहरण के सम्बन्ध में है। श्री सत्यपाल सिंह की कक्षा 6, कक्षा 9 तथा 11 में प्रवेश की कठिनाई के सम्बन्ध में है। श्री कौशिक रमाशंकर की कक्षा 9 में प्रवेश की कठिनाई के सम्बन्ध में है। श्री हर्षवर्द्धन की शासन की लापरवाही से लेवी चीनी की खुले बाजार में बिक्री के सम्बन्ध में है। श्री किरनपाल सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री कनक सिंह, श्री अमीर आलम खां की कोल्ड स्टोरेज के मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के सम्बन्ध में है। श्री मनोहर लाल, श्री गौरी-शंकर भइया, श्री महेन्द्र सिंह की उन्नाव जनपद में हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में है। श्री अशोक बाजपेयी की खादी ग्रामोद्योग के मुख्य कार्यपालक द्वारा अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री सरदार सिंह, श्री कुशलपाल सिंह, श्री मुस्तमंद अली, श्री लक्ष्मी नारायण-मथुरा की गन्दगी और पेयजल समस्या। श्री देव कुमार यादव की यूनियन कारबाइड फैक्टरी से लखनऊ की खतरा के सम्बन्ध में है। श्री अनुग्रह नारायण सिंह की भी यही सूचना है। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के कारण फैजाबाद सहकारी बैंक का काम ठप्प होने के सम्बन्ध में है। श्री मुहम्मद आजम खां की प्रदेश में आतंकवाद से खतरे के सम्बन्ध में है। श्री राम नरेश श्री शारदा प्रताप की विश्वविद्यालयों में शिक्षणेतर कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में है। श्री दिनेश कुमार सिंह, श्री अवनेश कुमार सिंह की भी यही सूचना है। श्री शारदानन्द अंचल की डीजल पेट्रोल में भारी मिलावट के सम्बन्ध में है। श्री मोहम्मद मसूद खां श्री फागू चौहान, श्री बलराम यादव की सी० आई० डी० द्वारा जनता को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री राम सजीवन की बांदा में हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में है। श्री राम आसरे वर्मा व अन्य की रासुका में विधायकों की बंदी के सम्बन्ध में है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जनपद आगरा अन्तर्गत थाना सैंया निवासी भूप सिंह व शिव सिंह दो सगे भाइयों का अपहरण 9 जुलाई, 1985 को किया गया। किसी तरह से शिव सिंह डकैतों के चंगुल से छूटकर भाग आया। और उसने उसी गांव के कप्तान सिंह गिरोह के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई सैंया थाने में। जब वांछित धन मिलने की आशा समाप्त हो गई तो उन्होंने श्री भूप सिंह को 72 चोटें पहुंचाकर, उसे मरा हुए समझकर एक स्थान पर डाल दिया। जब उसके रिश्तेदारों ने उसे पहचान लिया तो उन्होंने 22 तारीख को उसके घर पहुंचा दिया और बाद में उसे सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में भर्ती करा दिया गया, जहां वह दो दिन तक जीवित रहा। 124/25 जुलाई, 1985 की रात्रि को जब उसने दम तोड़ा तो, मरने से पूर्व उसने यह बयान दिया कि इस गिरोह के लोगों के मुंह से उसने सुना है कि इस गांव के कुछ सम्भ्रान्त लोगों का अपहरण डाकुओं द्वारा और होगा। इसी थाने के ग्राम नगला हर लाल के अशोक कुमार पुत्र श्री बीजेन्द्र सिंह का 30 मई को अपहरण हुआ। सैंया के चौराहे पर 31 मई को अपहरणकर्ताओं को घेर लिया गया और इस युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इसने भी उसी कप्तान सिंह गिरोह के विरुद्ध थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। खेरागढ़ थाने के अन्तर्गत रामपुर गांव के 11 वर्षीय पप्पू पुत्र श्री रोशन को 14/15 जून को अपहरण कर लिया गया और 1 लाख

30 हजार रुपए क मांग अपहरणकर्ताओं द्वारा की गई है । वांछित धनराशि उसके घरवालों के द्वारा न दिये जाने के कारण आज तक इसे अपहरणकर्ताओं के चंगुल से वे नहीं छुड़ा पाये हैं । थाना इरादत नगर के ग्राम मिहावा के ठाकुरदास, राम सनेह और मुकेश, तीन व्यक्तियों को, जो एक ही परिवार के हैं, इन सब का अपहरण 2 जुलाई, 1985 को किया गया है । वांछित धनराशि न दिये जाने के कारण इनको भी अब तक उनके चंगुल से नहीं छुड़ा पाये हैं ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1982 में इसी थाने से 100 अपहरण हुए थे । आज मुख्य बात यह है कि इन अपहरणों से वहां के क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है । श्री भूप सिंह ने मरने से पहले जो बयान दिया था, उससे भी क्षेत्र की जनता में भय व्याप्त है । स्थानीय व राजस्थानी डाकू मिलकर वहां की जनता को यातनायें पहुंचा-पहुंचा कर उनको लूट रहे हैं और उनकी हत्यायें कर रहे हैं । यह बहुत ही अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है । यह अपहरण का काम बहुत दिनों से वहां पर चलता आ रहा है । एक विशेष जाति के डाकू कुछ विशेष जातियों के लोगों के अपहरण करने में संलग्न हैं । यहां से अपहरण करके ये राजस्थान स्थित सिजरौली, तोरकापुरा, बड़ा गांव, बिचौली व समलिया का पुरा आदि गांवों में पहुंचा देते हैं । जनपद आगरा की पुलिस इन अपहरणों को रोकने तथा इन डाकुओं को पकड़ नहीं पा रही है । यह केवल अपहरण का ही प्रश्न नहीं है इसके साथ ही यह अन्तर्राज्यीय सीमा का प्रश्न भी बन गया है । दूसरे राज्य के डाकू आकर के हमारे क्षेत्र के डाकुओं से मिलकर लोगों का अपहरण कर रहे हैं । एक ही गिरोह के नाम पर नामजद रिपोर्ट दर्ज है लेकिन पुलिस आज तक इसे पकड़ नहीं पाई है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर आज आप शेष सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवा दें ।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैंने जो विषय कार्य-स्थगन के माध्यम से उठाया है, उसकी ग्राह्यता के बारे में मुझे कुछ कहना है । यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । जुलाई का महीना समाप्त हो गया है और अगस्त का महीना आ गया है । लाखों की संख्या में प्रदेश के अन्दर स्कूलों में दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी मारे-मारे फिर रहे हैं । विशेषकर कक्षा 6, कक्षा 9 तथा कक्षा 11 के विद्यार्थी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं । इसलिए बढ़ती हुई आबादी के विचार से न तो शिक्षा संस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है, न तो शिक्षा संस्थाओं को मान्यतायें दी जा रही हैं और न स्कूल में क्लासेज ही बढ़ाये जा रहे हैं । कोई भी ऐसा तरीका वर्तमान सरकार द्वारा नहीं अपनाया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थी जो कि सड़कों पर मारा-मारा फिर रहा है, शिक्षा संस्थाओं में उसका समायोजन हो सके । आप बच्चों की शिक्षा का तो इन्तजाम कर नहीं पा रहे हैं और प्रौढ़ शिक्षा दिलाने के लिये अपनी जोरदारी दिखा रहे हैं ।

आज हमारे प्रदेश में पिछले चार सालों से शिक्षा संस्थाओं को जो मान्यता दी जाती है उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, स्कूल नहीं बढ़ाये गये हैं, स्कूल में क्लासेज नहीं बढ़ायी गयी हैं । इस स्थिति से सारे प्रदेश के विद्यार्थियों में आक्रोश व्याप्त है जिससे कि एक भय का सा वातावरण बन गया है । इसलिये मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन में उठा कर मांग करता हूं कि इस पर सदन की कार्यवाही को रोक करके चर्चा करा दी जाय । लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित करेंगे नहीं लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपा करके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार से आप इस बात का आश्वासन अवश्य दिला दें ताकि सड़कों पर घूमने वाला विद्यार्थी किसी न किसी रूप में स्कूल में अपनी क्लासेज में प्रवेश पा सकें ।

*श्री हर्ष वर्धन--

मान्यवर, चीनी के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य भी आ चुका है कि लेवी की चीनी जो 35 प्रतिशत वे मिलों से लेंगे, यह सरकार की जिम्मेदारी है । उस लेवी चीनी को चीनी मिल मालिक कानून की आड़ में खुले बाजार में चीनी को बेचने का कार्य कर रहे हैं । गोरखपुर जनपद में खलीलाबाद और आनन्दनगर चीनी मिल के मालिकों ने रिट पिटीशन दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश ने अन्तरिम आदेश दिये कि 6 सप्ताह के भीतर लेवी शुगर के दाम बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार के पास एप्लीकेशन दें अन्यथा उसे खुले बाजार में बेच दिया जायेगा । उसमें पी0 सी0 एफ0, यू0 पी0 भी पार्टी थे, यह सारी बातें सरकार की जानकारी में थी । लेकिन 6 सप्ताह के बाद भी यह सरकार कोई निर्णय इस विषय पर नहीं लेना चाहती है जिसके कारण करीब बीस हजार बोरे लेवी चीनी के खुले बाजार में बिक गये जिससे कि उन लोगों ने 40 हजार रुपए का मुनाफा कमाया है । यह 6 सप्ताह की अवधि जो हाई कोर्ट ने निश्चित की थी, इसकी अवधि भी उसके द्वारा नहीं बढ़ायी गयी है । सरकारी अधिकारी अपनी अक्षमता का परिचय दे रहे हैं ।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यह तात्कालिक महत्व का मामला है, इसकी आड़ में और भी चीनी मिल मालिक खुले बाजार में चीनी बेचने के लिये प्रयत्नशील होंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे लोकमहत्व का प्रश्न मानकर इसको इस सदन में चर्चा करायी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरनपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर जो कि किसानों के शोषण से सम्बन्धित है, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस प्रदेश में किसानों का शोषण वर्षों से हो रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही को रोक कर आज उस पर चर्चा करायी जाय ।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ी मात्रा में किसान आलू का उत्पादन करते हैं । आलुओं के बिक्री क तथा उनके रख-रखाव का और खरीद का काम भी यह सरकार नहीं कर पा रही है । किसान जब आलू कोल्ड स्टोरेज में रखवाना चाहता है तो कोल्ड स्टोरेज वाले उससे रिश्वत का पैसा लेते हैं तब कहीं वह अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रख पाता है ।

मान्यवर, इसी वर्ष के लिए सरकार ने आलू का भाड़ा प्रति क्विंटल जो घोषित किया है वह है 19 रुपया लेकिन कुछ कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश के अन्दर उच्च न्यायालय से स्टे ले आये और साढ़े इक्कीस रुपया लेने लगे । मेरी यह निश्चित जानकारी और आरोप सरकार पर है कि सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय में किसानों की ओर से, सरकार की ओर से पैरवी नहीं की और कोल्ड स्टोरेज के मालिकों से मिल कर दाम बढ़वा दिये । जानकारी में आया है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकों ने प्रदेश के मंत्री के एक रिश्तेदार भी हैं, दो लाख रुपया दिया । मैं जानना चाहता हूं कि किसानों से साढ़े इक्कीस रुपया प्रति क्विंटल जो वसूल किया जा रहा है सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? कुछ ने स्टे लिया है लेकिन पूरे प्रदेश में 526 कोल्ड स्टोरेज हैं, उन्होंने उसी बढ़ी दर पर भाड़ा लेना शुरू कर दिया इससे किसानों में रोष और क्षोभ है

और उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका आर्थिक स्तर गिरता जा रहा है। इस पर सरकार अपनी नीति की घोषणा करे और इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय किरन पाल सिंह ने जो सवाल उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है और इसलिए भी गम्भीर है कि उत्तर प्रदेश के सारे किसान आलू का उत्पादन करने वाले पहले ही पिट गये थे न तो उनको सहारा दिया गया और न ही और कुछ। कुछ आलू जो सड़ने से बच गया था, बचा खुचा कोल्ड स्टोरेज में रखा और ढाई रुपया प्रति क्विंटल जो बढ़ा है, यह सरकार की अक्षमता की बात है। क्या सरकारी वकील ने पैरवी की तो क्या ? क्या कोई अध्यादेश जारी करेंगे ? किसानों से यह ढाई रुपये बचाने की कोशिश करेंगे ? इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रश्न है, इसलिए कोई अध्यादेश जारी करके ढाई रुपया प्रति क्विंटल बचाने की कोशिश करें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जिन कार्य-स्थगन प्रस्तावों के बारे में उल्लेख किया गया है, मैं उसमें से दो-दो शब्द प्रत्येक पर कहना चाहूंगा। पहले जो सब के अन्त में आया, माननीय नेता विरोधी दल ने भी प्रकाश डाला, वहीं से शुरू करता हूं ? हमनें खुद किसानों के हित के लिए रेट निर्धारित किया था। उसके विरुद्ध यदि कोल्ड स्टोरेज के मालिक कोई अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लेते हैं तो यह सरकारी वकील ने पैरवी नहीं की, तो मान्यवर, यह उच्च न्यायालय के मान और सम्मान की बात है और यह आरोप लगाया की वकील ने पैरवी नहीं की इसलिए मालिकों ने रेट बढ़ा दिये, यह बात नहीं है बल्कि जो तथ्य उच्च न्यायालय में पेश किये जाते हैं उन तमाम तथ्यों के आधार पर ही न्यायालय निर्णय लेता है। अब हम पुनः प्रयास करेंगे और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसानों का हित बराबर बना रहे।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, यह जवाब दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने जो प्रश्न उठाया है उसमें अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, समाधान करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। माननीय किरन पाल जी आपने नियम 56 के अन्तर्गत जो नोटिस दी है उसमें आपने पक्ष प्रस्तुत किया है और मंत्री महोदय जो अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आपका और माननीय किरन पाल जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी के बारे में या किसी मंत्री के रिश्तेदार के बारे में कुछ भी बात कह दें, यह शोभा नहीं देता है आपको। नियमों में प्राविधान है कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई अभिलेख आपने प्रस्तुत किया। आप खड़े हो गये और अपनी जिम्मेदारी को बताने लगे और आरोप लगा दिया।

श्री अधिष्ठाता--

किरन पाल जी, आप पुराने सदस्य हैं, नियमों की जानकारी भी आपको है। यह निश्चित जानकारी के आधार पर लाया गया है।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, दूसरा कार्य-स्थगन हर्षवर्धन जी ने चीनी के बारे में रखा। इस पर माननीय खाद्य मंत्री जी ने भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपनी बात कही । लेवी की चीनी की दर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, उस दर को संशोधित करने का कोई अधिकार प्रदेश की सरकार को नहीं है और इसका मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें जो निर्णय होगा, वह होगा । लेकिन आज तक उच्च न्यायालय के आदेश थे कि 6 सप्ताह के अन्दर लेवी चीनी के ऊपर निर्णय ले लिया जाय, वह केन्द्र सरकार से निर्णय हो सकता है ।

तीसरा जो माननीय बदन सिंह जी ने लिया जो डकैती के प्रकोप की बात आगरा जनपद में की, वह जनपद सदैव ही डकैतों से प्रभावित रहा है । इसमें माननीय बदन सिंह जी का और स्वयं सभी का ध्यान जाना चाहिए और सभी का प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकोप को किस प्रकार से कम किया जाय । यहां पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जायेगा । जिन व्यक्तियों का आपने उल्लेख किया है जिनको उठाने की या किडनैप की आप कोई सम्भावना समझते हैं, हमको सब बातों से अवगत करा दें । मैं आश्वस्त करता हूं कि निर्देश भी दे दिये जायेंगे और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह बात ठीक नहीं है, यह अवगत कराया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, बदन सिंह जी ने जो उठाया तो क्या आपको पता है कि कितने लोगों के नाम लिखे हैं और जिन लोगों ने अपहरण कराया था, उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय बदन सिंह जी के प्रकाश में जो तथ्य आये हैं उनको हमें अवगत करा दें और जानकारी दें क्योंकि आपकी जानकारी हमको बल देगी और उसको आधार मानकर मैं पूरी कार्यवाही उनकी सुरक्षा के लिए करूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

माननीय सदस्य को इतना क्यों फंसा रहे हैं आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं । कितनी घटनाएं हो रही हैं आजकल । अभी कल ही दिल्ली में एक घटना हो गयी, मैं कल दिल्ली में ही था । इसलिए माननीय बदन सिंह जी सारी बातों की जानकारी इन डकैतों के बारे में करायें आपको, अब यह ठीक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं आश्वस्त करता हूं, सारी जानकारी की बात मैंने नहीं कही । जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उसके अलावा भी अगर आप जानकारी दे सकें तो मैं आपका आभारी रहूंगा । मैंने कभी नहीं कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है । जो सत्यपाल सिंह ने अपना कार्य-स्थगन प्रवेश के बारे में किया है । इस पर शिक्षा मंत्री प्रकाश डालेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

मान्यवर, प्रदेश में छठें, नवें और ग्यारहवें कक्षाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में जो यहां पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा गया है । स्थिति उसमें ऐसी है कि 5600 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इस वक्त हमारे चल रहे हैं और जूनियर हाई स्कूल करीब 14 हजार हैं ।

(1 बजकर 20 मिनट)

स्थिति ऐसी है, जिसके कारण कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनता है मान्यवर, दाखिले हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में । कहीं पर स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर गम्भीर समस्या हो । सवाल केवल बहुत सी जगहों पर...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, माननीय यादव जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करे। नियम 56 के अन्तर्गत जब माननीय सदस्य ने अपनी सूचना दिया है, तो शासन पक्ष की ओर से उसका उत्तर आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि पीठ को निर्णय करने में आसानी हो। आपको उत्तर नहीं दिया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पीठ को सम्बोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्या मुनासिब है? तो निर्णय हो जाने दीजिये, उसके बाद कोई बात कहें। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, समस्या इस तरह की अवश्य है कि किसी एक विद्यालय में अभिभावक अपने लड़कों का दाखिला चाहते हैं। ऐसे स्कूलों में समस्या है। मान्यवर, जहां तक पूरे प्रदेश की बात कही गयी है, तो यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी सूचना है जो विभिन्न जिलों से सम्बन्धित है, वह इस प्रकार की सूचना हमें दे दें। यदि कहीं पर किसी तरह की दिक्कत हुई है, सेक्शन खोलने की आवश्यकता होगी, तो शासन स्तर से जो हमारे सम्बन्धित अधिकारी जिला स्तर पर हैं, बालिका निरीक्षिका हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में पूरा प्रयास करें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप मेरी एक बात सुन लें...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय गुप्त जी दूसरे पक्ष को भी तो अपनी बात कहने का अवसर दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन सुन लें।

(व्यवधान के मध्य श्री राजेन्द्र गुप्त के बोलते रहने पर)

आपके विचारों का लाभ मिला, बहुत-बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें और मेरी बात सुनें।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बहुत से सदस्यों ने दिया है। जो लोग रासुका में बन्दी हैं, अपनी कान्स्टीटुएन्सी का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरा निवेदन सुनें, फिर कोई बात कहें, तो अच्छा रहेगा। ओझा जी, आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, केवल अपनी बात कह रहा हूं, बात सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आप एक मिनट का समय मुझे दे दें। मान्यवर,...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये। नियम 56 में शासन पक्ष को सुनने के बाद ही तो कोई निर्णय दिया जा सकता है और अभी कोई निर्णय नहीं दिया जा रहा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

आज माननीय सदस्यों ने जिनकी संख्या 55 है, ने यह सूचना दी है और 18 सूचनाएं हैं। माननीय गुप्त जी ने कहा कि जागरूकता का प्रश्न है, लेकिन हर कार्य के लिए समय निर्धारित है, बजट पर भी विचार होना है, ऐसी स्थिति है।

श्री मित्रसेन—

पीठ भी तो जागरूक है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री मित्रसेन जी कृपया बात न करें। 55 सदस्यों ने चाहा है कि उनको बोलने का अवसर मिले और 18 सूचनायें हैं। अब आप स्वयं सोचें।

बजट पर बहस होना है, हरिजन एवं समाज कल्याण का बजट है ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

श्री वीरेन्द्र शाही रासुका के तहत जेल में बन्द हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुप्ता जी, आपने ग्राह्यता पर कहना शुरू किया, मैं दूसरा कहता हूं । आपको नियमावली और यहां की सारी चीजों का अच्छा अध्ययन है । आपको शायद स्मरण होगा कि इस प्रश्न को इस माननीय सदन में कई बार उठाया जा चुका है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मुझे सन्तोष है कि आपने मुझे इस बारे में बताया कि मुझे नियमों की जानकारी है । मैं जानता हूं कि एक ही विषय पर अगर कार्य स्थगन खारिज कर दिया जाय तो दुबारा नहीं आयेगा परन्तु मान्यवर, यह दूसरा विषय है, इसका सन्दर्भ बदला हुआ है । यह बहुत ही अविलम्बनीय महत्व का विषय है इसकी अविलम्बनीयता यह है कि तीन लोग कारागार में बन्द हैं । माननीय श्री वीरेन्द्र शाही के ऊपर कुछ आरोप रहे होंगे लेकिन उन सब आरोपों के ऊपर माननीय न्यायाधीश ने फसला करके सब आरोपों से बरी कर दिया है । अब मीसा का मामला है और मीसा है या नहीं यह तो राज्य सरकार ही जान सकती है और उसकी निरुद्धि का अधिकार शासन को होगा लेकिन अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वह आदमी कर सकेगा । हो सकता है कि अपने क्षेत्र या कहीं और जाने पर उनके जान-माल का खतरा होगा लेकिन यहां पर आदरणीय सदन की बैठक में उनको बुलाया जाय । यहां 11 बजे से 5-00 बजे तक वह रहें ।

यह सन्दर्भ बदला हुआ है इसीलिए मैंने उस पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्य स्थगन की सूचना दी है । तीन निर्वाचन क्षेत्रों की जनता जिसने भारी बहुमत से उन्हें चुना है, तीन-तीन क्षेत्रों की जनता अपनी आवाज को उठाने से वंचित रह रही है । मैं चाहता हूं कि जनता के द्वारा वे चुनकर आये हैं उनकी आवाज को उठा सकें, जनता की कराह की आवाज को यहां रख सकें । वहां की जनता ने अपना फैसला दे दिया है कि हमने उनको चुन कर भेजा है और हम उन्हीं के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व कराना चाहते हैं ।

इसलिए मैं ग्राह्यता पर बल देना चाहता हूं । मान्यवर, सन्दर्भ बदला हुआ है इसलिए इसके ऊपर चर्चा अवश्य करा दें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह वही सरकार है जो दिल्ली से सम्बन्धित है, उसी पार्टी की यह सरकार है । एक सांसद अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, दिल्ली शासन पर प्रभाव डालकर, अमेरिका में बन्द वह आदमी जिसके ऊपर डालर्स की सजा हुई है, जो जेल में सड़ रहा था उस आदमी को छुड़ाने का काम इस सरकार ने किया है और जो आदमी जनता के प्रतिनिधि हैं, वह जेलों में सड़ते रहेंगे । यह जनतन्त्र है, यह नागरिक अधिकार है, यह हमारे मूल भूत अधिकारों का हनन है । क्या हमने इसी लिए जनता को आह्वान किया था । हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, हम अपने मूलभूत अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो 11 करोड़ लोगों के अधिकारों की रक्षा हम कैसे करेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

छोड़िये इस बात को कि वह अच्छा है या बुरा यह तो कानून बतायेगा, जनता बतायेगी । मैं माननीय मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो जनतन्त्र के हिमायती हैं, जनतंत्र के प्रहरी हैं, वे बतायें कि क्या वे राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर मानवीय और संविधान के दृष्टिकोण को और इस आदरणीय सदन की गरिमा को देखते हुए सहानुभूति पूर्वक इस विषय पर विचार करेंगे ? और जब वे इस तरह से इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो वे भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस पर यह आदरणीय सदन आज पहुंचा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । 3, माननीय सदस्य जो नव निर्वाचित हैं जेल में रासुका में निरुद्ध हैं । उनके विरुद्ध जो मुकदमें दर्ज हुए थे उनमें उन्हें कोई सजा नहीं हुई । मान्यवर, हाल ही में प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने बंगाल के परिपेक्ष्य में एक बयान दिया था कि लोग जनादेश को नहीं मानते हैं वे उसकी अवहेलना कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो राजीव गांधी का अनुकरण कर रही है खुद उस जन देश की अवहेलना कर रही है । आज जिन क्षेत्रों से ये तीन माननीय सदस्य चुनकर आये हैं उन क्षेत्रों से लोग तार भेजकर मांग कर रहे हैं ....

श्रीअधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मुकदमे के बारे में कोई आरोप नहीं हुआ और वे जिलाधीश की संतुष्टि के आधार पर जेल में बन्द कर दिये गए । मान्यवर, जिलाधीश की संतुष्टि इसी आधार पर होती है कि समाज को किसी व्यक्ति से खतरा है या नहीं....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है हम सबके लिए कि इस माननीय सदन के तीन सदस्य जेल में हैं...

श्री अधिष्ठाता—

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इससे ज्यादा अविलम्बनीय, लोक महत्व और कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें ।

श्री हुकुम सिंह—

अधिष्ठाता जी, माननीय राजेन्द्र गुप्त, माननीय ओझा जी और माननीय वर्मा जी ने इस प्रश्न को उठाया और माननीय गुप्ता जी ने कहा कि उनके पहले वाले प्रश्न से इसका संदर्भ बदला हुआ है इसलिए इसका पहले वाले से कोई सम्बन्ध नहीं है । मान्यवर, जो मुकदमे इनके ऊपर चल रहे थे वे समाप्त हो गये, आपको भी जानकारी होगी और हमने भी अखबारों में इसके बारे में पढ़ा है कि उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमें समाप्त हो गए । मान्यवर, मुकदमों के बारे में तो न्यायालय द्वारा फैसला होता है उसमें हम नहीं जाना चाहते । लेकिन यह जो लोग बन्द हैं यह किस धारा के अन्तर्गत बन्द हैं इसके बारे में बार-बार कहा जाता है । यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अपनी जगह पर है, उसके लिए कानून है कि किनको उसमें बन्द किया जायेगा किनको नहीं किया जायेगा । कितने दिन तक बन्द रहेंगे यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है । फिर उसके लिए एक

एडवाइजरी बोर्ड है। उसके पास ऐसा मामला जाता है और उसके बाद तमाम व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। और मान्यवर, जहां पर राज्य सरकार के निर्णय और ग्राउन्ड गलत पाए गए उनको विवश करके सर्वोच्च न्यायालय नें बरी भी किया है। इन विषयों पर चर्चा करके माननीय सदस्यों ने उसे हाई-लाइटेन किया। माननीय ओझा जी ने एक बात यह कही कि एक बाहरी व्यक्ति बरी होकर यहां आ गया है।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो एक वाक्य कहा है, उसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैंने अपने प्रश्न की ग्राह्यता में जो मुद्दा उठाया है उसमें मैंने उन पर से मौसा वापस लेने की बात नहीं की है। मैंने कहा कि आज वहां की जनता कराह रही है कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। इसलिए आप उनको पुलिस कस्टडी में लायें, यहीं पर उनको रखें, यहां वे अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करें, फिर शाम को ले जायं। इस पर आपको क्या आपत्ति है? मुझे जानकारी मिली है कि तीनों लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण कार्यों की उपेक्षा की जा रही है।

वे अपने जिले की जिला स्तरीय बैठकों में जा नहीं सकते हैं। उनके क्षेत्रों में काम नहीं हो रहा है उन मुद्दों को वह उठा नही सकते हैं। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप उनको यहाँ पुलिस कस्टडी में लायें और शाम को पुलिस कस्टडी में फिर जेल भेज दें जैसे शपथ ग्रहण के समय किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी आपने शपथ ग्रहण के प्रकरण को पेश कर इस बिन्दु पर बल दिया। चूंकि शपथ ग्रहण के लिए पुलिस कस्टडी से आगे इसलिए सदन में भी पुलिस कस्टडी में लाया जाय। आप नियमों और संविधान के ज्ञाता हैं एक विशेष परिस्थिति में एक अवधि के अन्दर शपथ ग्रहण कर लेना होता है जब तक शपथ ग्रहण नहीं कर लेते सदस्यों का अधिकार उनको नहीं होता....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

हाऊस में बोलने के लिए है। मैं चुनौती देता हूं शपथ ग्रहण केवल सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए है सदस्य बनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कोई माननीय सदस्य बिना शपथ के यहां का सदस्य रह सकता है।

श्री हुकुम सिंह—

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय गुप्ता जी बहुत संतुलित सदस्य हैं, बार-बार टैम्पर लूज न करें। बहुत सरलता के साथ, आपका मान सम्मान करते हुए आग्रह करना चाहता हूं किसी जुर्म के अंतर्गत कोई बन्दी हो, एक बार नहीं अनेकों बार मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है। अगर कोई अपराधी चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे कोई भी है किसी अपराध के अन्तर्गत बन्दी हो जाता है तो उसे कोई अधिकार किसी प्रकार से विधान सभा में, विधान मंडल में या संसद में जाने का नहीं रह जाता है। यह हमारा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार एक विधि के अन्तर्गत दिया हुआ अधिकार है। हर आदमी विधायक नहीं बन सकता है, वही विधायक बन

सकता हूं जो इसकी अर्हता पूरी करे। पब्लिक रिप्रजेन्टेशन एक्ट बना हुआ है, उसके अन्तर्गत वह बन सकता है।

इसलिए मैं विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें कोई व्यवस्था या औचित्य का प्रश्न कार्य स्थगन का नहीं बनता है। इसलिए जब तक एन0 एस0ए0 में बन्द रहेंगे यह चलेगा और जब वह समाप्त हो जायेगा वे स्वतः यहां आ जायेंगे। एन0 एस0 ए0 के बन्दी को चुनौती देने का अधिकार उपलब्ध है उनका वह इस्तेमाल करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री जी ने जो कहा उस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

नियम 56 में जो श्री बचन सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री शफीकुर्रहमान बर्क, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुखपाल पाण्डेय श्री त्रिलोक चन्द ने आगरा में दो भाईयों के अपहरण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी है। उसमें मैंने बातें सुनी और सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट हो।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा भी एक प्रश्न नियम 56 में था।

श्री अधिष्ठाता--]

श्री सत्यपाल सिंह और श्री कौशिक रमाशंकर ने कक्षा 6, कक्षा 9 तथा कक्षा 11 में प्रवेश की कठिनाई के सम्बन्ध में बात कही है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य इस विषय पर दें।

माननीय हर्ष वर्धन जी ने शासन की लापरवाही से लेवी चीनी की खुले बाजार में बिक्री के सम्बन्ध में सूचना दी है। मैंने ध्यान पूर्वक सुना मैं शासन का ध्यान उस तरफ आकृष्ट कर रहा हूं।

माननीय किरन पाल सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री कनक सिंह, श्री अमीर आलम खां ने कोल्ड स्टोरेज के मालिकों द्वारा किसानों का शोषण की बात कही। मैंने इस पक्ष की बातें सुनी और उस पक्ष की भी बातें सुनी। इसमें रिट पिटीशन पेंडिंग में है। इसलिए शासन का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं।

श्री मनोहर लाल, श्री गौरीशंकर भइया श्री महेन्द्र सिंह ने जो उन्नाव जिले में हरिजनों पर अत्याचार के संबंध में बात कही उस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

माननीय श्री अशोक बाजपेयी ने खादी ग्रामोद्योग के मुख्य कार्यपालक द्वारा अनियमितता बरतने के सम्बन्ध में सूचना दिया है, जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

श्री सरदार सिंह, श्री कुशलपाल सिंह, श्री मुस्तमन्द अली, श्री लक्ष्मी नारायण ने मथुरा की गन्दगी और पेयजल समस्या के सम्बन्ध में सूचना दिया है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है।

श्री देव कुमार यादव और श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने यूनियन कारबाइड

फैक्टरी से लखनऊ को खतरा के सम्बन्ध म सूचना दिया और जो बातें उन्होंने कही हैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के कारण फैजाबाद सहकारी बैंक का काम ठप है सम्बन्धी सूचना दिया और जो बातें कही हैं उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां ने प्रदेश में आतंकवाद से खतरा के सम्बन्ध में जो कहा है उसे मैं अस्वीकार कर रहा हूं ।

श्री रामनरेश और श्री शारदा प्रताप के विश्वविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की हड़ताल और डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री अवनीश कुमार सिंह द्वारा इस सम्बन्ध में दी गयी सूचनाओं को मैं निरस्त कर रहा हूं क्योंकि यह पहले भी उठायी जा चुकी हैं ।

श्री शारदा नन्दन अंचल ने डीजल पेट्रोल में भारी मिलावट के सम्बन्ध में जो सूचना दिया है उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

श्री मोहम्मद मसूदखां और श्री फागू चौहान एवं श्री बलराम यादव ने प्रदेश में पुलिस सी0 आई0 डी0 द्वारा जनता को परेशान करने की सूचना दी है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

श्री राम सजीवन ने बांदा में हरिजनों पर अत्याचार सम्बन्धी सूचना को मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि दिनांक 2-8-1985 को वक्तव्य लगा हुआ है ।

इसी तरह श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र गुप्त आदि के कार्य स्थगन के प्रस्ताव रासुका में विवेचकों की बन्दी के सम्बन्ध में हैं जिस पर इस पक्ष और उस पक्ष को सुनने के बाद और यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है, इस लिये इसको मैं अस्वीकार कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है जिसको सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या इस पीठ से जो आदेश हुए हैं उसके सम्बन्ध में है

(व्यवधान)

यदि ऐसा है तो इस पीठ से दिये गये आदेशों के प्रति व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

मद संख्या 8--हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं । मैं आगे बढ़ गया हूं और मन्त्री जी को पुकार लिया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आपको सुनना होगा वरना मैं नहीं बैठूंगा ।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-

अनुदान संख्या 79 सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81-हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं, प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,31,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनने के लिये आप बाध्य हैं ।

(व्यवधान)

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

आपका यह तरीका ठीक नहीं है । पहले आप अपनी सीट पर आयें । यह बड़े अफसोस की बात है ।

श्री रामअौतार दीक्षित--

यह आप पर इस तरह इल्जाम लगा रहे हैं आप इन्हें निलम्बित करने की कार्यवाही कीजिए ।

(व्यवधान)

(श्री शत्रुद्र प्रकाश के प्रयास से श्री मुहम्मद आजम खां अपने स्थान पर वापस चले गये ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, मैं इनकी तरफ से इनके आचरण के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 79-सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (क्रमागत)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह मेरे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है, आज मैं आपकी आज्ञा से हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट को प्रस्तुत कर रही हूं, जिसमें कुल व्यय 118 करोड़ 48 लाख 3 हजार रुपयों का है, जिसके अन्तर्गत हरिजन उत्थान के लिए 93 करोड़ 11 लाख 64 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है तथा समाज कल्याण के अन्तर्गत 25 करोड़ 34 लाख 17 हजार रुपये का प्राविधान है ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जब कि पिछले वर्ष 1984-85 में टोटल बजट 94 करोड़ 95 लाख और 74 हजार रुपये का था।

इस बजट के साथ हम उन अन्धेरी बस्तियों में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिसमें समाज के सबसे निम्न, दुखी, दीन एवं निराश्रित लोगों का वास है। उनकी झोपड़ियों में एक आशा की किरण के रूप में हमने एक दीपक जलाने का प्रयास किया है, लेकिन यह दीपक केवल उनकी झोपड़ियों में नहीं बल्कि उनके मन तक पहुंचाना है, उनके दिलों के अन्दर प्रकाश कायम करना है।

(श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा पुनः अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

[× × ×]

(श्री मुहम्मद आजम खां सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुहम्मद आजम खां द्वारा कहे गये सभी आपत्तिजनक शब्द निकाल दिए जायें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी हाल ही में हमारे परम आदरणीय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने एक बहुत सत्य बात सामने रखी--उन्होंने कहा कि हमें अब उन गरीबों के बारे में सोचना है, जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब और निराश्रित हैं। यह एक छोटा सा वाक्य है जो रहस्योद्घाटन करता है। हमारी परम आदरणीय इन्दिरा जी की प्रेरणा हमारे साथ है। आज भारत के गगन मंडल में एक शाश्वत् चन्द्रमा की ज्योति के समान, आज उनकी प्रेरणा हमारे साथ है। उन्हीं की प्रेरणा को ध्यान में रखकर हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने हरिजन एवं समाज कल्याण ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण बजट में इस बात का ध्यान रखा है कि जो निम्न जातियां हैं, जो निरक्षर हैं, जो दीन दुखी हैं उनके साथ न्याय हो और उनको ऊपर उठाया जा सके और उनकी प्रगति हो।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मन्त्री जी ने, जब अपना बजट भाषण पढ़ रही थीं, तो उन्होंने कहा कि निम्न जातियों के लिये कल्याणकारी कार्य करने जा रहे हैं। तो मान्यवर, "निम्न जातियों" शब्द का प्रयोग अपमानजनक है। जाति के आधार पर किसी को निम्न और किसी को ऊंचा नहीं कहा जा सकता। अगर कार्यवाही में इस तरह के शब्द आते हैं तो सबके लिये, संविधान के लिये शर्म की बात है। कृपया आप इसको वापस करवायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, कार्यवाही देखकर कार्यवाही से निकलवा दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरा तात्पर्य निम्न से, जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उनसे था। जो सबसे ज्यादा गरीब, निराश्रित हैं उनके विषय में मैंने कहा था। अगर आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिये क्षमाप्रार्थी हूं। मेरा तात्पर्य यह था, निम्न का मतलब जो सबसे गरीब आदमी, निर्बल से मेरा मतलब था। भावना मेरी सही है लेकिन मुझे खेद है कि मिस अन्डरस्टैंड किया। मान्यवर, महिलाओं के कल्याण के विषय में जो योजनायें चलायी जा रही हैं उनके बारे में कहना चाहती हूं। इस बजट में महिलाओं के कल्याण के लिये विशेष योजनायें

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हम लोगों ने तैयार की है। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने जब कार्यभार सम्भाला तो तुरन्त ही उन्होंने इसकी घोषणा की कि हम कन्याओं की फीस द्वादश कक्षा तक बिल्कुल माफ करेंगे और इसका भारतवर्ष में बड़ा स्वागत हुआ। उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि जो कल्याणकारी योजनायें हैं, जो उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने वाली योजनायें हैं उनमें हम अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचायें। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे नेता, पथ-प्रदर्शक, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम उठाया है। तो मैं समझती हूं कि शायद ही किसी और प्रान्त में ऐसा साहसिक कदम किसी ने उठाया हो। उन्होंने एनाउन्समेंट किया कि हम उत्तर प्रदेश की एक लाख विधवाओं को पेंशन देंगे। पहले 30, 40, 50 रुपये पेंशन थी अब 60 रुपये महीने पेंशन मिलेगी। हमारा जो लक्ष्य है, जो स्वप्न है, तो चाहे मैदानी क्षेत्र के दूरस्थ गांव हों या पर्वतीय क्षेत्र के सुदूर गांवों में रहने वाली निराश्रित विधवायें हों, किसी भी गांव में कोई ऐसी निराश्रित विधवा न बचे जिसको सरकार की ओर से पेंशन न प्राप्त हो।

मुझे आशा है कि आपके कटौती के प्रस्ताव के बावजूद, आप लोगों के ही सहयोग से हम इन महिलाओं का आदर सम्मान कर सकेंगे जिनकी पहुंच हम तक नहीं है। अब तक 22,476 विधवाओं को पेंशन मिल रही थी। इस घोषणा के पश्चात् 1,22,476 विधवाओं को पेंशन मिल रही है और हमने एक साल का टारगेट जो माननीय मुख्य मन्त्री ने दिया था, उसका तीन महीने में पूरा करके दिया था। हरिजन कन्याओं के विवाह के लिए बजट में आपको याद होगा 3 लाख रुपये का प्राविधान था, आज 1985-86 में हमने यह धनराशि बढ़ाकर 18 लाख कर दी है।

श्री शारदा प्रताप--

18 करोड़ कि 18 लाख ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आप अगर आशीर्वाद देंगे और सहयोग करेंगे, तो केवल एक जीरो ही और बढ़ाना है, जीरो में कितनी ताकत है। जो निराश्रित हैं, उनकी चिकित्सा का अंश भी इसमें शामिल है। इसके अन्तर्गत इस 85-86 में 7,85,30,000 रु0 का प्राविधान किया गया है। इसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिये 1985-86 में 970 विधवाओं को पेंशन दिलाने का बजट में प्राविधान किया है।

अब विकलांगों की समस्या हमारे सामने है। मान्यवर, अपना मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि प्रत्येक गांव में कम से कम 5 ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध हों या विधवायें हों या विकलांग हों, जो इतने निराश्रित हों, इतने सक्षम हों, जिन्हें तहसील तक पहुंच कर इससे लाभ उठाना भी उनके लिये कठिन है, इसकी तरफ भी हमने ध्यान दिया है। मान्यवर, 1984-85 में 24,276 विकलांगों को पेंशन दी जा रही थी, अगले वर्ष हमने इनकी संख्या और बढ़ा दी है और इसमें जो व्यय था 1984-85 में 1,35,90,000 रु0 था। 1985-86 में हमने 2,20,94,000 रु0 किया है। मुझे आशा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को इस योजना से लाभ पहुंच सकेगा।

समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत बच्चों के बारे में हमें सोचना है और जो उनकी माताय हैं उनके बारे में भी हमें सोचना है और स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की प्रेरणा से यह समन्वित बाल विकास योजना, जो प्रारम्भ हुई थी हमारे उत्तर

(इस समय 1 बज कर 59 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 शिवानन्द नौटियाल पीठासीन हुये।)

प्रदेश में, 1976 में इसको लागू किया गया था, जबकि केवल तीन परियोजनायें थी, आज हमें एनाउन्स करने में हर्ष है कि इस समय 151 परियोजनायें हमारी चल रही हैं, जिसमें 11,600 हमारी बाल बाड़ियां हैं और हमारी मुख्य सेविकायें 726 हैं। अभी हाल ही में लगभग 300 मुख्य सेविकाओं का चयन हुआ और 9 जुलाई को यह चयन समाप्त हुआ और 12 जुलाई, को इसकी लिस्ट निकली है और इनकी नियुक्ति कर दी गयी है।

अब पौष्टिक आहार में हम लोगों ने 1985–86 में 8 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है, मैदानी क्षेत्र में, और 25 लाख रुपये हमने पर्वतीय क्षेत्र के लिये प्राविधान किया है।

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा दीप है जो न केवल उनकी झोपड़ी को ही रोशनी देती है, बल्कि उनके सारे व्यक्तित्व को आलोकमान करने वाली है। इसलिए इसके ऊपर हमारे समाज कल्याण विभाग ने माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से विशेष रूप से प्राविधान किया है। ताकि जो हमारी हरिजन जातियां हैं, जो हमारे हरिजन भाई और बहनें हैं, उनमें हम शिक्षा का प्रसार कर सके। मान्यवर, हमने प्रथम शिक्षा से उच्चतम शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, जिनके माता–पिता 750 रुपये से कम वेतन पाते हैं, कर दी है। क्षतिपूर्ति के लिए हमने 1985–86 में 3 करोड़ 73 लाख का प्राविधान किया है। पिछले वर्ष निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से 5 लाख 62 हजार बच्चों को लाभ हुआ। मान्यवर, छात्र–वृत्ति भी हम देते हैं। एक से पांच कक्षा तक तीन से पांच रुपया, कक्षा छः से आठ तक के बच्चों को नौ से बारह रुपया तथा नौ से दस तक की कक्षा के बच्चों को 22 रुपये देते हैं। नौ और दस की कक्षा को छात्रवृत्ति अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, अपार सम्मान रखते हुए, इस बात का प्राविधान किया गया है कि नौ और दस कक्षा के हमारे जितने भी छात्र, छात्रायें हैं, जिनके माता–पिता की आय 750 रुपये से कम है, उनको छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से दी जाएगी। 1984–85 में इसके लिए 12 करोड़ 47 लाख का प्राविधान किया गया था और इससे 7 लाख 16 हजार 678 छात्र, छात्राओं को लाभ हुआ था। 1985–86 में यह धनराशि बढ़ाकर 13 करोड़ 91 लाख 92 हजार कर दी है। कन्याओं के लिए एक विशेष रूप से योजना है तीन से पांच तक की कक्षाओं के तक की जो छात्रायें हैं, उनके माता–पिता को 15 रु0 महीने देने का प्राविधान है। 1985–86 में यह धनराशि 8 लाख रुपये रखी गयी है ताकि कन्याओं की शिक्षा आगे बढ़ सके।

मान्यवर, मेरिट स्कालरशिप, छात्र–वृत्ति का प्राविधान किया गया है, जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनके लिए 1984–85 में 91 लाख 680 हजार का प्राविधान है। इससे 1 लाख 52 हजार 767 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। उसको बढ़ाकर अब 95.80 लाख का प्राविधान किया है। जो छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। उनको पुरस्कार में एक साइकिल देने का प्राविधान किया है। 1984–85 में 47 बच्चे पब्लिक स्कूल में अध्ययन कर रहे थे, जिनके ऊपर 2.77 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था। अब उसको दुगुना कर दिया है। अब उसे पांच लाख कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है जो विद्यार्थी मेरिट में हैं, हम चाहते हैं वह बच्चे आगे बढ़ें और भारतवर्ष में विद्वान के रूप में हमारे सामने आए और भारत को अपने ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान करें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो अस्वच्छ कार्य करते हैं, उसके माता पिता को भी हम नहीं भूले हैं। उनके बच्चों को 145 रुपये प्रतिमाह देते हैं, जो

हास्टल में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त छात्रावासों के लिए 1984-85 में 95.29 लाख रुपया निर्धारित था, आज 1985-86 म 122.72 लाख रुपया का प्राविधान किया गया है। जहां तक छात्रावासों का सम्बन्ध है, पक्ष और विपक्ष से दोनों ओर से छात्रावासों के लिए मा0 सदस्य बार-बार हमारे पास आते थे, आप लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुये, और मुख्य मंत्री जी की भावना भी आपके साथ है, उनकी प्रेरणा है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना मे जितने जिले हैं, उनमें सब में हम एक छात्रावास हरिजनों के लिए अवश्य प्रदान करेंगे। यह सरकारी छात्रावास से सम्बन्धित है। जो स्वैच्छिक संस्थायें हैं, उनकी बात अलग है। जितने हमारे बेरोजगार हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, हमारी एक बृहद योजना है। हमारा जो अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है, उसका टोटल बजट 38.9 करोड़ है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

सिलाई मशीन दीजिए।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मशीन की बात आप तो सोच ही नहीं सकते। यह तो हमारी इंदिरा जी और राजीव जी थे जिन्होंने सोचा। आप तो सोच ही नहीं सकते थे कि गरीब बहनों के हाथ में मशीन आये। मान्यवर, स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत 25.67 करोड़ का प्राविधान किया गया है। यह जो हमारी योजना है इसके दो रूप हैं। एक नगर में एक हमारे ग्रामों में। नगर में 1985-86 में 50 हजार लाभार्थियों को हमें मदद करनी है। ग्रामों में 2 लाख 70 हजार, यह हमारा लक्ष्य है। जो नगर में 50 हजार लाभार्थियों को रोजगार देने का प्रश्न है, इसके दो भाग हैं। 40 हजार वह लाभार्थी होंगे, जिनकी 6 हजार की योजना होगी, 10 हजार वह व्यक्ति होंगे, जिनकी योजना 6 हजार से लेकर 20 हजार की होगी। इस प्रकार हम लोग सहायता करेंगे।

छठीं पंचवर्षीय योजना में लाभार्थियों की संख्या 3 लाख 47 हजार 575 थी जिनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। 1984-85 में 48 हजार 598 लाभार्थियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया। जो खर्चा हुआ था वह टोटल था 5400.63 लाख और 1984-85 में 2168.22 लाख खर्च हुआ। सातवीं योजना में लाभार्थियों की संख्या 3 लाख होगी और 90 करोड़ रुपये इसमें सबसिडी का प्राविधान है और ग्रामों में इनकी संख्या 13,42,500 है। उसका इस प्रकार विभाजन किया गया है कि जो 895 ब्लाक्स हैं उनमें से प्रति ब्लाक 300 गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों को ऊपर उठाया जायगा और इस सम्बन्ध में 134.25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। एवं, 90 करोड़ अतिरिक्त मार्जिन मनी है। इसी अनुसूचित वित्त विकास निगम के अन्तर्गत 7वीं योजना में 3 परिसम्पत्तियों की योजनायें हैं, उनके निर्माण की। इसमें वर्ष 1985-86 में जो 496 ब्लाक्स हैं, जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक हरिजन रहते हैं और इस योजना के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण एवं कृषि के लिए भूमि आवंटित करने एवं सामूहिक लघु सिंचाई की भी बात है। तो मान्यवर, जो दुकानें बनी हैं, मान्यवर, 1985 में 11709 दुकानें बन चुकी हैं और 2266 दुकानें निर्माणाधीन हैं। इन 11709 दुकानों में से 10,575 दुकानों का आवंटन हो चुका है और जो नहीं किया गया, वह केवल 1134 हैं। हमारा प्रयास जारी है कि उनके आवंटन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूरी करें। सार्वजनिक नलकूप का जहां तक प्रश्न है वर्ष 1985 में 454 नलकूप स्थापित किए गये हैं और 4624 की बोरिंग हो चुकी है: पम्प सेट 2158 हैं। निर्माणाधीन नलकूप

623 हैं सिंचित क्षेत्र 44,307.34 एकड़ हैं। कृषि के लिए 4693.64 एकड़ क्रय कर पाये हैं जिसमें से 3611.89 एकड़ आवंटित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित वित्त विकास निगम के अन्तर्गत प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है जिसमें टंकण एवं आशुलिपि की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि यह जो लोग हैं जो हमारे छात्र हैं, वे पैरों पर खड़े हो सकें।

मैं एक और हर्ष की बात बताने जा रही हूं, कृपया ध्यान से सुनें, हम एक नया सेन्टर खोलने जा रहे हैं देहरादून, बस्ती, सुल्तानपुर, इटावा, बुलन्दशहर, मिर्जापुर, लखीमपुर, अलीगढ़ और रुड़की में। जिनके यहां ये सेन्टर खुले हैं उनको बधाई है। और जगह आप खुलवाना चाहते हैं तो यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, तो क्या हो सकता है, आप हमें सहयोग दीजिये। आप कहिये कि इस विभाग का पैसा दुगुना हो जाय। अगर आप यह पैसा दुगुना कर दीजिए जो और जगह भी एक एक सेन्टर हम दे सकते हैं। यह जो प्रस्ताव हमने 118 करोड़ रुपये का बजट आपके सामने रखा, आप कहिये कि यह 300 करोड़ का हो जाय। आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लीजिए। और हमारे और भी निगम हैं, सेना में भी प्रशिक्षण का प्रबन्ध है। इसके लिये 6.27 लाख का प्राविधान है। और इस प्रकार हमारा यह वित्त विकास निगम अपने हरिजन बहनों और भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहा है। मान्यवर, आपने छात्रावास के बारे में पूछा था। जो अप-टू-डेट आंकड़े हैं, उनके अनुसार अभी तक हम 38 छात्रों के छात्रावास बना चुके हैं एवं 10 कन्याओं के छात्रावास बना चुके हैं।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम की स्थापना 1976 में हुई थी। किन्तु निर्माण कार्य 1980-81 से प्रारम्भ किया गया। इस निगम के माध्यम से छात्रावास बनने हैं, आवास बनने हैं।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष इस बात की घोषणा की कि हम इस निगम के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में 10 हजार हरिजनों के लिये आवासों का निर्माण करायेंगे। इसमें हर जिले में लगभग 200 समूह में मकान बनाये जायेंगे। 6 हजार रुपये का एक मकान, जिसमें पूरी सबसिडी सरकार की होगी। यह बने भी हैं, मैंने खुद जाकर कई जगह देखा है। आप भी आने की तकलीफ कीजिये, आपको भी झुरमुट में बने मकान नजर आयेंगे।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी को बाद में भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगी। हाथ कंगन को आरसी क्या--हमारा काम चमक रहा है, दमक रहा है। हमारा काम देखने के लिये आप झोपड़ियों में जायं।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मंत्री जी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं, लेकिन दीदी ज्यादा हैं। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। सदन के अन्दर वे कृपया अपना गुस्सा त्याग दें। बहुत ही भ्रष्टाचार इनके विभाग में व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता--

आप व्यवस्था पर बोलिये।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, इस तरह से व्यवस्था के प्रश्न उठाकर मंत्री जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है।

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है।

मान्यवर, क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश में जो हरिजन लोग रहे हैं, उनकी सुख सुविधा की बात कर रही हैं या जो लोग परलोक में चले गये है, उनकी बात कर रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी सारे माननीय सदन की दीदी हैं, इसलिये उनको बोलने दीजिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं जब भी बोलती हूं तो आशीर्वाद ही टपकता है । जून की गर्मी के बाद जब रिम-झिम होती है तो उससे पहले बादलों की गड़गड़ाहट होती है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है, उसके लिए पूरे प्रदेश की महिलायें व हरिजन वर्ग के लोग उनके आभारी हैं । मैं व्यक्तिगत रूप से निर्बल वर्ग एवं हरिजन वर्ग के लोगों की ओर से, जिनकी मैं मां के रूप में हूं, आवाज उठाकर माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । 7वीं पंचवर्षीय योजना में हरिजनों को निर्बल आवास निगम के माध्यम से 1 लाख आवासों के निर्माण किये जाने का प्राविधान किया गया है । अगले वर्ष 1985-86 में 10 हजार आवास बनाने का लक्ष्य मुख्य मंत्री जी ने किया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि पिछले वर्ष 10 हजार मकानों को बनाने का जो निर्णय लिया गया था, उनकी प्रगति इस प्रकार है । 2980 मकान जो झुरमुट के रूप में हैं, बनाये जा चुके हैं । इन झुरमुटों के बीच में एक हैण्ड-पम्प भी लगाया गया है । निर्माणाधीन 4604 मकान हैं जिनके लिए 3 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है । निगम द्वारा जो दुकानें बनाई जा रही हैं, उनमें से 3 हजार दुकानें बनाई जा चुकी हैं और 2 हजार निर्माणाधीन हैं ।

(अत्यधिक शोर) (व्यवधान)

मान्यवर, यह जो निगम है 1981-82 में इसे 25 लाख 80 हजार का घाटा था, जिसे 1 लाख 96 हजार लाभ में परिवर्तित किया गया है । 1982-83 में 9 लाख 54 हजार 690 रुपए का फायदा हुआ है इस निगम को और 1984-85 में 52 लाख 32 हजार 201 रुपए का लाभ हुआ है । हमें आशा है कि 1985-86 में लगभग एक करोड़ रुपए का लाभ होगा ।

जहां तक जनजातियों का प्रश्न है, इनके विकास के लिए 8 परियोजनायें चलाई जा रही हैं ।

(व्यवधान)

क्या करूं इतना वहां कल्याण का काम है कि उनको लिस्ट पढ़ते-पढ़ते टाइम तो लगता ही है, दो चार है तो

(मेजों की थपथपाहट)

अब तो नहले पर दहला, दहले पर बादशाह...

(व्यवधान)

पांच तो पर्वतीय क्षेत्र में हैं । एक योजना है बाजपुर, रामगढ़, काशीपुर, नैनीताल में, खटीमा नैनीताल में, धारचूला जोशीमठ, चकराता खैर, बिजनौर...

(व्यवधान)

सी0 पी0 एम0 टी0, इंजीनियरिंग, पी0 सी0 एस0 की ट्रेनिंग के लिए प्राविधान है । कल्याण की जो संस्थायें, सरकारी या गैरसरकारी, हैं, जैसे अंधे

विकलांग भाई बहनों के लिए कल्याण-कारी योजना थी कि प्रशिक्षण दे कर..

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ आप लोगों से यह अनुरोध करूंगी को आप हम लोगों को सहयोग दीजिये और हरिजन वर्ग तथा जो गरीब महिलायें हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिये, जो अक्षम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने एक निदेशालय भी खोला है। इसलिए वह बजट कटौती के बजाय तो और विस्तार से, इसमें और धनराशि बढ़ाई जाये, यह कहना चाहिए तो फिर आप अपनी बहनों के प्रति, उन महिलाओं के प्रति न्याय करेंगे, आपने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है...

(व्यवधान)

मैं अनुरोध कर रही हूं लेकिन मुझे मालूम है कि आपके घर में एक बहिन है, बेटी है, एक बच्चों की मां के रूप में महिला है, वह इस प्रस्ताव का दिल से स्वागत करेगी आप घर जा कर पूछ लीजियेगा। आपने बड़ी शांति से हमारे बजट भाषण को सुना, पक्ष और विपक्ष, उन सबको धन्यवाद देती हूं और हम अपने विभाग के..

श्री अधिष्ठाता--

आप धन्यवाद कहां दे रही हैं..

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

निदेशक महोदय और उनकी जो पूरी टीम है..

(व्यवधान)

हमारे निगम के प्रबन्धक महोदय हैं, धन्यवाद देती हूं।

(हंसी)

श्री मनोहर लाल--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय मंत्री जी जो भाषण दे रही थीं उसमें उन्होंने कहा कि जो अनुदान प्रस्तुत किया है वह घर में बच्चे, बहिनें, बेटियां सब उनका समर्थन करेंगी, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो अनुदान प्रस्तुत किया है वह इसको अपना घर समझ रही हैं या अपने घर का परिवार समझ रही हैं...

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हमारी तो संस्कृति है वसुधैव कुटुम्बकम्।

(हंसी)

एक बात और, मान्यवर, आप को धन्यवाद देती हूं कि मुझे सुना धैर्य से और सब पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने दीदी के रूप में मुझे स्वीकार किया है।

(2 बजकर 24 मिनट)

श्री अधिष्ठाता--

अभी तो विपक्ष ने बोला ही नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की मांगों के सम्बन्ध में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को मैंने सुना है, बड़े ध्यान से सुनना चाहता था, लेकिन विपक्ष के कम, उनके ही पक्ष के लोगों ने प्रशंसा

में इतना शोर मचाया कि कई बातें उनकी मैं सुन नहीं पाया, परन्तु जो पुस्तक उन्होंने छपवाकर बांटी है, भले ही वह मुझे विलम्ब से अभी सदन के अन्दर मिली है, लेकिन मैंने उसे देखने का प्रयत्न किया है ।

मान्यवर, जितनी धनराशि इस हरिजन और समाज कल्याण विभाग को दी गई है, मैं कहना चाहूंगा पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों से और अधिकारियों से कि यह इसके लिए बहुत कम है । उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या 21 फीसदी है और जिन्हें हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जाति के रूप में जानते हैं और यह भी सरकार ने स्वीकार किया है कि 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । जो दीन-हीन हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, उनके लिए यह अनुदान है, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने इसके लिए दिया कितना कम है, बजट में केवल 158 करोड़ रुपये । मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि यह बजट फिर से बनाया जाय । अगर यह 118 करोड़ रु0 है तो मैंने दोनों अनुदानों को जोड़कर 158 करोड़ कहा था । माननीय मन्त्री जी सुधार लें, यह सच निकलेगा ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह 118 करोड़ 48 लाख, 3 हजार है ।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश जी'--

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे 158 करोड़ कहें या 118 करोड़ कहें मैं उनसे निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि वे पुनः यह बजट बनाने की कृपा करें । प्रदेश के 11 करोड़ लोगों में 6 करोड़ लोग इस निर्बल समूह के हैं और इस प्रकार एक व्यक्ति के लिए 26 रु0 पड़ेगा । साल भर में एक दीन-हीन व्यक्ति के ऊपर 26 रु0 लगाकर आप सारे उत्तर प्रदेश का भला और कल्याण करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह धनराशि बहुत ही कम है और इसको और अधिक बढ़ाया जाय, जिससे निराश्रितों का भला हो पाये, विधवाओं का भला हो पाये और निराश्रित बच्चों का भला हो पाये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त जाति के लोगों का कल्याण हो सके । मान्यवर, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 6-6 पंचवर्षीय योजनायें चलाई गई और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हरिजनों में 80 प्रतिशत वे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं । मान्यवर, धनराशि की हर वर्ष से मैं मांग करते आये हैं, परन्तु इसका परिणाम यह है कि 39 वर्ष आजादी के बीत जाने के बाद भी महात्मा गांधी ने जिनको बनाना चाहा था, ये लोग महात्मा गांधी का नाम वोट मांगने के समय तो लेते हैं, लेकिन उन्होंने जिन लोगों के उत्थान के लिए, जिन भंगी बस्तियों में उन्होंने रहना स्वीकार किया था, उसी अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो कि 80 प्रतिशत हैं, गरीबी की रेखा के नीचे का दुखी जीवन जी रहे हैं, 26 रुपया प्रति व्यक्ति पर लगाकर आप उनका कौन सा कल्याण का काम करने जा रहे हैं ?

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर मेरी व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान अभी-अभी एक शब्द 'भंगी' का प्रयोग किया है, सदन में शब्द भंगी कहना उचित नहीं है, इसके स्थान पर ये हरिजन शब्द भी कह सकते हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय । हलांकि मैं जानता हूं कि भंगी शब्द के प्रयोग में उनकी भावना गलत नहीं थी फिर भी यह शब्द उचित नहीं लगता है, इसलिए इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, राजा को भंगी तो इन्होंने ही बनाया है । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग बैठें । मैं इसको देख लूंगा । यदि यह शब्द अनुपयुक्त प्रयुक्त हुआ है तो इसे निकाल दूंगा । आप कृपा करके बैठें ।

श्री हरिशचन्द्र 'हरीश जी'--

मान्यवर, मेरा तात्पर्य कहने का 'भंगी' शब्द से यह नहीं था जो माननीय सदस्य ने शायद समझ लिया है । मैं तो केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये उस शब्द का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने लेखों में उसी शब्द का प्रयोग किया है । यदि किसी को मेरे उस शब्द के प्रयोग करने से ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और उस शब्द को वापस लेता हूं । हालांकि आपने निर्देश दे ही दिया है कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने यह नहीं कहा है कि उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । मैंने तो यह कहा कि उसे मैं देख लूंगा ।

श्री हरिशचन्द्र 'हरीश जी'--

तो मैं कह रहा था कि इस प्रदेश के जो 80 फीसदी लोग हैं जो कि महसूस करते हैं कि वे गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने बहुत सी विकास की योजनाओं का उल्लेख किया है, अच्छा है विकास की योजनायें चलनी चाहिये, लेकिन मैं आपके सामने दो-एक नमूने इस विकास के पेश करना चाहता हूं ।

एक विकास योजना है स्पेशल कम्पोनेन्ट की जो कि इस विभाग के द्वारा चलाई जाती है और गरीब हरिजनों को और अनुसूचित जाति के लोगों को उससे सहायता पहुंचाई जाती है, पैसा दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि मान्यवर, कितने साल तक और यह धांधली चलेगी ? इस योजना में प्रति परिवार दो भैंसों के लिए 6,000 रु० देने की व्यवस्था है भैंस लेने के लिए । लेकिन होता क्या है ? बीच में दलाल लगे हुए हैं, वही भैंस को तय करते हैं । 1,000 रु० की भैंस 1,500 रु० भैंस वाले को दी जायेगी, क्योंकि भैंस की खरीद पर उससे 3,000 रु० का वाउचर बनाते हैं । इस तरह से भैंस की खरीद पर भैंस वाले को 1,500 रु० दिए जायेंगे और उस गरीब के नाम पर 3,000 रु० चढ़ा दिया जायेगा । बीच का 1,500 रु० बिचौलिए आपस में बांट खाते हैं । उसे बताया जायेगा कि वह भैंस तीन हजार रुपए में छूट देने पर पड़ी है जबकि वही भैंस 1,500 रु० में ली गई है । तो इस तरह के दलाल विभाग ने नियोजित कर रखे हैं । पहले वे गरीब से अंगूठा का निशान लगवा लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी कार्यवाही उससे मजबूरी में करवा ली जाती है । कहा जाता है कि अब तुमने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तुम पर कर्जा चढ़ जायेगा, इसलिए सारी कार्यवाही को वह मजबूरी में स्वीकार करता है ।

कानपुर जिले में सिंहपुर नाम का एक गांव है, जिसमें 70 घर की आबादी है । उसमें 55 घर हरिजनों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं जो कि अत्यन्त गरीब हैं । मान्यवर, 70 घर की आबादी में जहां 55 लोग हरिजन और पिछड़े वर्ग के गरीब हों वहां 19 दरखास्तें 2 साल से पड़ी हैं । 19 दरखास्तें स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत 2 साल से पड़ी हैं । फार्म भरे हैं, हलफनामा लगाया है और सब दफ्तर में पड़ी है 2 लाख बीत गए । यह उन गांवों की हालत है, जहां 78 फीसदी आदमी हरिजन या पिछड़े वर्ग के हैं । आज तक इन दरखास्तों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई ।

मैं कहूंगा विकास योजना पर । कहते हैं कि ट्यूबवेल इतने गांवों में लगा दिये, अस्पताल बन गये, खड़ंजा लगाया ।

पता नहीं कहां-कहां लगाया, मान्यवर, एक खुली किताब इस सरकार की कागजी विकास योजना की है। मैं एक गांव का नमूना रख रहा हूं। जहां 6-6 हरिजनों की हत्या हो गई है। मैं वहां गया। गांवों में खड़न्जा नहीं हुआ है। गांव में पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। वहां सिहपुर गांव में बिजली नहीं गई है। लाइन गांव के बगल से होकर निकल गई है। वहां पर गांव की आबादी से प्राइमरी स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, मिडिल स्कूल 6 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश में सड़कें बन गई हैं, लेकिन कच्ची सड़क वहां से 3 किलोमीटर और पक्की सड़क 6 किलोमीटर दूर है, उनके लिए अस्पताल 5 किलोमीटर दूर है, पोस्ट आफिस उनका 4 किलोमीटर दूर है और उनके लिए पुलिस की चौकी 9 किलोमीटर दूर है तथा उनका थाना 15 किलोमीटर दूर है। मान्यवर, यह कानपुर जिले का सिहपुर गांव है।

मैं कहूंगा कि यह एक खुली किताब है कांग्रेस सरकार की कागजी विकास की कहां खड़न्जा लगा है, कितने स्कूल बने हैं, कितने अस्पताल बने हैं 9 किलोमीटर दूर उनकी चौकी है और 15 किलोमीटर दूर थाना है, 5 किलोमीटर जाने पर अस्पताल मिलेगा। चाहे किसी की जान चली जाय। कोई मर जाय। यह तो हालत है इनकी। मान्यवर, यह सरकार इसी तरह से हरिजनों का विकास कर रही है मैंने अभी तक किसी ब्राह्मण या ठाकुर के गांव का नाम नहीं लिया है। मैंने नमूना दिया है, सिहपुर गांव का जहां लोग गरीब हैं, मजदूरी करते हैं और दुर्बल वर्ग के 55 घर हैं। इसके साथ ही साथ में कहना चाहता हूं, शिक्षित बेरोजगारों के बारे में। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए रुपया एलाट कर दिया गया है। मैं नमूना दे रहा हूं सिहपुर गांव का। इस गांव के अन्दर 9 ऐसे युवक हैं जो हाईस्कूल से इन्टर तक पास हैं और 80 से 84 के बीच जिन लोगों ने इन्टर से बी0 ए0 तक की परीक्षा पास की है ऐसे 9 छात्र हैं जिनमें 4 हरिजन जिनको जाटव कहते हैं और 4 कपड़े धोने का काम करते जिन्हें धोबी कहते हैं। ऐसे 9 बेकार पड़े हैं। यहां जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनसे कहा जाता था कि 25 हजार मिलेंगे जब 5 हजार दे जायेंगे। मान्यवर, शिक्षित बेरोजगारों की क्या दुर्दशा है, गरीबों के नाम पर कितना ले रहे हैं। कहते हैं कि 25 हजार तब मिलेंगे जब 5 हजार पहले दे दिये जायेंगे। आप ऐसे लोगों को धन दे रहे हैं जो सोचते हैं कि 20 हजार में एक मोटर साइकिल बुलट और एक रायफल या बन्दूक मिल जायेगी और इसके द्वारा लाखों कमा लेंगे। गरीबों को आप नहीं दे रहे हैं। मान्यवर, छात्र हितों की बात कही गयी है।

श्रीमती कमला साहनी--

मान्यवर, आपने कहा कि उन लोगों को दिया जायेगा जो 5 हजार रुपया देंगे। तो यह बात उद्योग विभाग की है इसमें आपने कैसे कह दिया?

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी ठीक करने के लिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों से सम्बन्धित है और इससे वह लिंक अप है, जुड़ा हुआ है इसलिये मैंने इसका उल्लेख किया, माननीय सदस्य को अपनी जानकारी को सुधार कर लेना चाहिये।

एक सदस्य--

यह उद्योग विभाग से सम्बन्धित है, इस बजट पर इस तरह का ख्याल रखना ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी--

मान्यवर, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की लूट हो रही है, लूट बिचौलिये

कर रहे हैं। मान्यवर, 21 सदस्यों की विधायी समिति ने अपनी जांच में कहा है कि 40 प्रतिशत जो बिचौलिये खा रहे हैं, लेकिन अशिक्षित और गरीब और पिछड़े तबके के लोग जो हैं, उनका 40 प्रतिशत से 100 प्रतिशत रुपया बिचौलिया खा गये और यह सारा का सारा धन हरिजनों के नाम लिखा जाता है। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह 10 ब्लाक कोई ले लें और उनमें यह देखें कि कितने लोगों को पैसा मिला है। आपने कहा कि मकान बनाये गये, दुकानें बनायी गयीं तो मैं कहना चाहता हूं कि दुकानें जो आपने बनायी हैं, कागज पर हरिजन का नाम होगा परन्तु देखें तो कि कब्जा किसका है, उन दुकानों को देखने की कृपा करें आपका दिया हुआ धन किन लोगों के हाथ में चला जाता है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, जो भी धन उसको मिलता है, इसके कई माध्यम होते हैं, सीधे उस आदमी तक चेक नहीं पहुंचता है। अगर सीधे चेक देने की व्यवस्था हो जाये, तो मान्यवर मैं कहना चाहूंगा कि यह जो बिचौलिये हैं वह कम हो जायेंगे। मान्यवर, आज व्यावसायिक अवसरों का सृजन किया जाए जिनसे उनको रोजगार मिल सके।

मान्यवर, छात्रवृत्ति की बात कही गयी है, हरिजनों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन उनको वह मिल नहीं पाती है। विद्यालय हरिजन छात्रों की लिस्ट नहीं भेजता है और सूची हरिजन कल्याण विभाग को नहीं पहुंचती है और हरिजन कल्याण अधिकारी बैठे रहते हैं और बाद में वह रुपया आपस में बांट लिया जाता है और जो हरिजन छात्र है वह छात्रवृत्ति से वंचित रह जाता है। मान्यवर, सूची विद्यालयों से समय से मंगाई जाये और हरिजन कल्याण विभाग को मिल जाये और उसकी एक कापी बैंक को चली जाये और एक कापी छात्र को अथवा उसके अभिभावक को चली जाये, तो शायद उन्हें यह धन मिल सके। बैंक में छात्र के नाम से खाता खुलवाने की जिम्मेदारी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की होनी चाहिए। मान्यवर, हरिजनों की सुरक्षा की बात कही गयी, गुन्डों और बदमाशों का राज्य है, असामाजिक तत्व बढ़ रहे हैं। मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि हरिजनों पर कितने अत्याचार किये गये हैं।

मान्यवर, वर्ष 1981 में 864, वर्ष 1982 में 866 और वर्ष 1983 के 4 महीनों में 400 घटनायें हुई हैं, अगर पूरे वर्ष भर की निकालें तो हरिजन अत्याचार की 1,200 घटनायें आती हैं। मान्यवर, बलात्कार के मामलों में सरकारी अधिकारी शामिल हैं, पुलिस के लोग शामिल हैं आपकी ही सरकार के अधिकारी हैं, वह इनकी तबाही पर लगे हुये हैं। मान्यवर, हरिजनों को भूमि देने के लिये धन देने की बात कही गयी है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आप 10 ब्लाक ले लें और जिन हरिजनों के नाम भूमि आवंटित की गयी हो, क्या उनको कब्जा मिला है, आप देखेंगे कि बहुतों को कब्जा नहीं मिला है मैंने 10 गांवों का अध्ययन किया है जितनी भूमि आवंटित की गयी है, उसमें से 60 प्रतिशत भूमि विवादास्पद है और उस पर मुकदमें चल रहे हैं कब्जा होने की बात तो दूर रही। क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है। मान्यवर, यह पुस्तिका है, आपके द्वारा ही छापी गयी है, मान्यवर, इसके प्रथम पृष्ठ पर 7वें नम्बर पर लिखा है 'अस्वच्छ पेशा'।

मान्यवर, अस्वच्छ पेशा किसको कहते हैं। किस काम को स्वच्छ और किस काम को अस्वच्छ पेशा कहते हैं। अगर पेशा स्वच्छ और अस्वच्छ हो गया तो यही दृष्टिकोण कारण है कि समाज से अभी तक ऊंच-नीच, छुआछूत का रोग समाज से नहीं गया हुआ है, शासन का यदि यही दृष्टिकोण है कि किसको स्वच्छ और किसको अस्वच्छ समझा

ायगा तो इस तरह से छुआछूत नहीं मिट पायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि माथे पर मैला ढोने की प्रथा आज भी जारी है ? वह अस्वच्छ कैसे हो गया। वह माथे पर किनका मैला ढोता है, उनका ढोता है जो अपने को स्वच्छ कहते हैं। जो गन्दा करते हैं वह स्वच्छ कहलाते हैं। इनका मैला ढोने से वह अस्वच्छ हो गया। इसलिये मैं चाहूंगा कि बजट की इस पुस्तिका में जो 'अस्वच्छ पेशा' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसके लिये किसी दूसरे शब्द का चयन किया जाय। भारत के संविधान में लिखा गया है कि कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छूत नहीं, कोई अछूत नहीं, कोई जाति भेद नहीं। आज 39 वर्ष हो गये, हम यह छुआछूत का भेदभाव नहीं मिटा सके। परन्तु इस समाज के मूल में यदि यह बात होती तो बहेलिये के घर में पैदा हुय बाल्मीकि महर्षि न होते, धीवर कन्या से जन्मे वेदव्यास की पीठ न पूजी जाती। यादव के घर में पले पोसे गय कृष्ण भगवान न हुएते, ब साहेब भीमराव अम्बेदकर को भारत का संविधान बनाने के लिए बुलाया न जाता उन्होंन भी हरिजन के घर में जन्म लिया था।

मान्यवर, इस देश में गुण की पूजा की है, योग्यता और पात्रता की पूजा की गई है। बाल्मीकि की किसी ने जाति नहीं देखी, बाबा साहेब अम्बदकर की किसी ने जाति नहीं देखी। लेकिन कांग्रेस सरकार आज पेशे के नाम पर उसे अस्वच्छ बता रही है। यह चाहती है कि यह जाति यहां पर बनी रहे, छुआछूत बनी रहे, ऊंच-नीच यहां पर बना रहे, अनुसूचित जाति और जनजाति तथा बैकवर्ड जाति यहां पर बनी रहे, यहां पर वर्ग और वर्णभेद बना रहे ताकि उसे इन लोगों का वोट का ढेर का ढेर मिलता रहे। वही प्रथा आज भी चली आ रही है जो कि अंग्रेज यहां पर चलाते थे। जो काम विदेशियों ने किया वही यह करना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि इतना धन लगाने के बाद आप हरिजनों की तरक्की नहीं कर सके हैं। अभी महिलाओं के बारे में माननीया मन्त्री जी ने कहा कि यह इस प्रदेश की बेटियां, महिलाओं और बच्चों के लिये बजट है। मान्यवर, मैं बांदा जिले के सुअरगाढ़ा गांव की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां पर 80 फीसदी औरतें विधवा हैं और लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं। इसका क्या कारण है ? मान्यवर, वहां पर वे लोग पत्थर फोड़ने का काम करते हैं। उसकी जो राख होती है वह उनके फेफड़े में चली जाती है और वे क्षय रोग से ग्रसित हो जाते हैं और भरी जवानी में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जो औरतें विधवा हो जाती हैं बाद में वे भी पत्थर फोड़ने का काम करती हैं, उनके मरने के बाद उनके छोटे-छोटे बच्चे भी भरी जवानी में इस रोग से पीड़ित होकर 20 साल की उम्र में ही घाट पर चले जाते हैं। यह है उस सुअरगाढ़ा गांव की कहानी जो कि एक खुली किताब के रूप में देखी और पढ़ी जा सकती है।

मान्यवर, एक बजट पुस्तिका में पौष्टिक आहार योजना के बारे में कहा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसके पेट में यह पौष्टिक आहार जा रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता लेकिन जिनके पेट में जा रहा उनकी आलोचना करें। सही लोगों को जिनको यह पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, उनको नहीं दिया जा रहा है। जो आप आज उनको खिचड़ी, दलिया या पौष्टिक आहार देते हैं वह बाजार से सड़ा और रद्दी आता है। उसको पकाने के लिए जो कढ़ाही अल्मूनियम की है और उसका कड़ा लोहे का है, लेकिन मुझे बताया गया है कि पूरा बरतन अल्मूनियम के दाम पर लिया गया है इसकी आप चाहें तो जांच करा लीजिये। यह जो दूध, दलिया या पौष्टिक आहार के रूप में जो जाता है आप मां हैं,

मेरे साथ चलिये में आपको उन गांवों में ले जाऊंगा जहां छोटे-छोटे शिशु मां का स्तन चूसते हैं और चूसते चूसते उसे कंकाल बना देते हैं और मां भूख से मर जाती हैं और आप कहते हैं कि बीमार हो कर मर गयी। तो वह पौष्टिक आहार का सब सामान अधिकारियों और कर्मचारियों के घर चला जाता है, बर्तन भी उन्हीं के पास मिलेंगे। और गरीब बच्चे अपनी मां की छाती चूसते-चूसते उसे कंकाल बना देते हैं।

मैं थोड़ा समय और लूंगा और आरक्षण के सम्बन्ध में कहूंगा। समाज कल्याण के माने यह है कि जो दुर्बल हैं, पिछड़े हैं उनका उत्थान भी हो और हमारी बराबरी में वे आयें। हमारे यहां बहुत से लोग ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और व्यापारी हैं उनकी बराबरी में उनको लाना चाहिये, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिये उससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो भी काम उनके लिए करें उसमें ध्यान रखा जाय कि उससे लोगों में सद्भावना पैदा हो। भारत की संस्कृति दया, करुणा, सह अस्तित्व पर आधारित है। गरीब के प्रति सद्भाव पैदा करके भ्रातृभाव पैदा किया जा सकता है। जो हरिजन वर्ग को आरक्षण मिला है उसे मैं स्वीकार करता हूं, वह मिलना चाहिए लेकिन साथ-साथ समाज के दूसरे लोगों के साथ उनका सद्भाव हो इस पर विचार पहले किया जाना चाहिये था। पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट आ गयी है। लेकिन उसे लटकाये हुये हैं। सामाजिक आधार पर बहुत सी जातियां पिछड़े वर्ग में हैं, जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पिछड़े हैं उसी तरह से और लोग भी हैं जो सामाजिक आधार पर पिछड़े हैं उनको भी सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिये उनके अन्दर आर्थिक दृष्टि से आरक्षण कर दिया जाना चाहिये। समाज में और भी वर्गों में लोग दीनहीन हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गया होता तो सद्भावना बनती और आज जो यह अलगाव है वह नहीं होता। पूरे समाज का कल्याण आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से हो जो कि इस विभाग का उद्देश्य होना चाहिये।

आपके विभाग में बहुत सी अनियमितता हो रही है उनकी तरफ में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके विभाग में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनको फील्ड में काम करते करते काफी अनुभव हो गया है लेकिन उनको आपने लाकर यहां केन्द्र में बैठा दिया है उनको आप फील्ड में भेजिये।

इसी तरह से हरिजन पाठशालायें और पुस्तकालय चलते हैं जिनको आपने अनावर्तक सूची में रखा है ऐसे 93 विद्यालय हैं जो आवर्तक सूची में आने से रह गये हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन प्राइमरी पाठशालाओं को जिनमें हरिजन बच्चे पढ़ते हैं उनको आवर्तक सूची में लाने की बात करें।

हरिजन समाज कल्याण विभाग में ही आपके सैनिकों के सम्बन्ध में भी बात कही गयी है। मैं सैनिकों का एक उदाहरण देता हूं। बस्ती जिले के बांसी ब्लाक में एक गांव है जिसमें 19 घर हैं यह सभी ब्राह्मण परिवार हैं। परन्तु कागज में यह गांव मियांजोत के नाम से है और पुकार में वामन जोत कहा जाता है तो उस गांव के अधिकांश जवान सेना के मोर्चे पर पड़े हैं। और जो घर पर हैं, वह रिटायर्ड सैनिक अधिकारी हैं लेकिन यह लोग बांध और राप्ती के बीच में आ गये हैं, न तो इनको निकलने का रास्ता है और न बचने का उपाय है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सैनिक कल्याण का यह एक काम किया जाय कि मियांजोत जिसको बभन जोत कहते हैं को नदी में डूबने

से बचा दिया जाय यह रक्षा का काम है। इसलिए इस पर ध्यान दें।

मान्यवर, अन्त में मैं इस विभाग के मार्ग दर्शन हेतु एक मनीषी के वाक्य पढ़ना चाहता हूं—

"हमारी भावना और सिद्धांत है कि वह मैले कुचैले अनपढ़ अबोध लोग हमारे नारायण हैं। हमें इनकी पूजा करनी है यह हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है। जिस दिन इनको पक्के, सुन्दर, सभ्य घर बना कर देंगे जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांवों की बिवाइयों को भरेंगे और जिस दिन इनको रोगों और धन्धों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे, उसी दिन तो हमारा भ्रातृ भाव व्यक्त होगा।"

यह पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी इस देश के महान सुधारक थे इनके शब्द हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन जो अपने कटौती इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा है, पूर्ण करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बहुत ही तफसील के साथ गरीबों के विकास के कार्यक्रम को रखा है, उनके सर्वांगीण विकास की रूपरेखा हमारे सामने रखी है। मान्यवर, जो कुछ पहले हो गया है उसकी तफसील उन्होंने दिया और जो कुछ भावी कार्यक्रम है उसको भी तफसील बहुत ही योग्यता के साथ प्रस्तुत किया।

मान्यवर, मैंने श्री हरीश जी को ध्यान से सुना और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह तो स्वीकार करते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है लेकिन यह कहते हैं कि मिरेकिल नहीं हुआ है। तो वह मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीज मिरेकिल है कि जो विरोधी पक्ष के लोग चाहते हैं कि वह हो जाये। इस दुनिया में कोई मिरेकिल नहीं होता है और न रोज-रोज होता है। यह साधारण सी जो दुनिया चलती नजर आती है इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होता जा रहा है लेकिन परिवर्तन रोज-रोज होता है, इसलिए मालूम होता है कि कम होता है। आप अपने परिवार को ले लें। आपके एक बच्चा हो जाये, वह 5-6 वर्ष में आपके सामने क्या होता है और 18-20 वर्ष का होने पर उसकी शादी के बाद बहू आ जाती है, तो क्या सम्बन्ध हो जाता है। परिवार में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया लेकिन रोज-रोज होता है, इसलिये मालूम होता है कि कुछ नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत वर्ष में इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि "इंडियन सोसाइटी इज केपेबिल आफ ग्रेट चैन्जेज", भारतीय समाज में परिवर्तन होने की बहुत बड़ी क्षमता है। वह परिवर्तन हमारे और आपके सामने होता है। आप देखना चाहें तो देखेंगे और नजरबन्द करके आलोचना की दृष्टि से देखें तो कोई चीज नजर नहीं आती है। हमारे श्री हरीश जी ने कुछ मनीषियों की बात कही। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें मैं कहना चाहता हूं कि यह रोज का अनुभव है कि किसी की इज्जत करेंगे तो वह करेगा। एक दूसरे की इज्जत करने से सहयोग पैदा होता है और इसी सहयोग से दोस्ताना पैदा होता है, समाज में दोस्ताना, सहयोग बढ़ता है। आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि किसी वर्ग का कोई व्यक्ति हो मैं तो वर्ग में विश्वास नहीं करता हूं, आर्गेनिक समाज में यूनिटी है।

मेरा विश्वास है कि कोई भी दुनिया में कोई मुल्क न मुकम्मल तरीके से गरीब है और न मुकम्मल तरीके से अमीर है। उसमें व्यक्ति हैं। 50

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फीसदी हो सकते हैं, 40 फीसदी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं ज्यादा हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति गरीब हैं कुछ व्यक्ति अमीर हैं। चाहे जो भी मानक आप निर्धारित करें कुछ न कुछ बड़ी तादाद में गरीब मिलेंगे ही। मैं हरीश जी से और सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं अपना निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं, गरीब हैं कौन? हरिजन भाई जिनके पास जमीन नहीं है सबसे ज्यादा गरीब हैं और वह इस वर्ग में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। दूसरे वह हरिजन भाई हैं जिनके पास कुछ जमीन है, लेकिन अन्य कोई साधन नहीं है। तीसरे वह हैं जो हरिजन नहीं हैं और उनके पास जमीन भी नहीं है, वह गरीब हैं। यह तीन प्रकार के लोग गांवों में पाये जाते हैं...

श्री विजय सिंह राणा--

श्रीमन, यह कौन से विभाग का बजट है?

श्री अधिष्ठाता--

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का और इनको आप बोलने दें।

श्री विजय सिंह राणा--

लेकिन यह तो गरीबी अमीरी पर बोल रहे हैं।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं हरिजन एवं समाज कल्याण की ही बात कर रहा हूं...

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि कुछ भाई हरिजन इतने गरीब हैं, शायद यह कहना चाहते हैं कि उनके सामने गरीबी का प्रश्न है सामाजिक प्रश्न नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसर हैं, श्री जगजीवनराम जी हैं उनको आप लें जब उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था, तो कौन सा आधार था गरीबी का स्तर था यानी आर्थिक स्तर था अथवा सामाजिक स्तर था।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं समझ नहीं पाया।

श्री अधिष्ठाता--

अधिक समझने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं एक बात निवेदन करूं, मैंने कभी ऐसा कोई शब्द किसी के प्रति प्रयोग ही नहीं किया।

(व्यवधान)

आपको हक है आप कुछ भी कहें।

श्री अधिष्ठाता--

आप दो मिनट बोलिये।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं निवेदन करूं कि इन हरिजन भाइयों को ऊपर उठाने का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। सन् 47 में इसका जो बजट था आज उसका कई गुना इस पर खर्च किया जा रहा है। उसमें उसकी हालत सुधरी है और उनमें बदलाव आया है और बदलाव आ रहा है। यह नहीं कि उनको नौकरी मिलने अथवा रोजगार मिलने से ही बदलाव आएगा। उनमें आत्म सम्मान और गौरव पैदा होने की बात है। जो व्यक्ति गरीब है, सरकार की व्यवस्था से उसको आगे आने का साधन मिलता है, लेकिन उसमें स्वयं बदलाव पैदा होना चाहिये कि वह समाज में तरक्की करे और आगे आए।

श्री अधिष्ठाता--

अब एक मिनट में आप समाप्त करें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

मैं यह नहीं समझता था कि इतनी जल्दी समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत से माननीय सदस्य बोलने को इच्छुक हैं और उसका देखते समय बहुत कम है ।

श्री लाल प्रताप सिंह-

जरूर बोलेंगे और बोलना भी चाहिए उन्हें । मैं केवल तीन-चार मिनट आपके लूंगा । तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी व्यवस्था में जो सोशल आबजेक्टिव है, जो समाज में खाई है, सोशल बैरियर्स है वह समाप्त हो जाय और समाप्त हो जाने के बाद एक इंटीग्रेशन हो जाय और सब लोग एक दूसरे के नजदीक आ जायं, तो यह कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है और एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं । हमारा इतना बड़ा मुल्क है । हमारी बहुत पुरानी प्रथायें हैं और बहुत पुरानी रूढ़ियां हैं जिनके जाने में समय लगता है । इट इज डिफीकल्ट टु चेंज तो चेंज आने में दिक्कत होती है लेकिन परिवर्तन हो रहा है और रूढ़ियां टूट रही हैं । वह लोग समकक्ष आ रहे हैं, और सम्मान पा रहे हैं । यह सारी बातें इस पार्टी के प्रोग्राम के अंदर हो रही हैं इसमें कोई डिसप्यूट नहीं है दो राय नहीं हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत थोड़ा सा वक्त लूंगा । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, यह जो हमारे बैंक हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इनको गांव दे दिये जायं और खास करके वह गांव जहां हरिजन बस्तियां ज्यादा हैं । वह एक एक गांव लेकर वहां अपने कार्यक्रम चलायें सड़कें बनाने का लोन देने का, यदि यह व्यवस्था हो जाय तो इससे ज्यादा फायदा होने की आशा है । दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो छात्रावास, होस्टल आप अलग बनाते हैं उससे कुछ अलगाव की भावना, इंस्टीटयूशनलाइज की भावना होती है इसलिये हास्टल या स्कूल एक होना चाहिये । यह जो अलग कालोनी बनाने की बात है तो आबादियों को एक दूसरे के नजदीक बसायें इसमें इंटीग्रेशन होने की ज्यादा गुंजाइश है । अधिष्ठाता महोदय, जब समाज में यह भावना पैदा हो जाती है कि सबको बराबर का अधिकार है, सबके साथ बराबर का व्यवहार हो रहा है, सबको बराबर चलने का मौका है, यह जब हमारा उद्देश्य हो जाता है और यह कार्यान्वित होने लगता है तो समाज में एक ट्रान्सफारमेशन, एक परिवर्तन होने लगता है । समाज में सबको बराबर का अधिकार मिले, व्हेन दिस प्वाइंट इज सेटिल्ड, आलमोस्ट एवरीथिंग इज सेटिल्ड । समाज में सबको बराबर का अधिकार हो, सबको बढ़ने के समान अवसर हो तो वह समाज तेजी से तरक्की करता है और समाज में संघर्ष करके आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा होती है । जो समाज संघर्ष करेगा वही आगे बढ़ करके तरक्की करेगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री गया प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं क्योंकि यह हरिजनों को गड्ढे में ले जाने वाला बजट है । मान्यवर, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग यह बहुत बड़ा विभाग है । इसमें से समाज कल्याण विभाग को अलग करके उसका एक स्वतंत्र विभाग होना चाहिये । जिस प्रकार के सन् 1955 से लेकर 1970 तक यह विभाग स्वतंत्र रूप में रखा जाता था । आज भी अनेक प्रदेशों में समाज कल्याण विभाग

एक स्वतंत्र विभाग है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग को हरिजन विभाग से अलग कर देना चाहिये और समाज कल्याण विभाग अलग होना चाहिये। अभी बजट पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने पूरे प्रदेश में कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति कर दी है। यह सही है कि उन्होंने अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति कर दी है, लेकिन सन् 1982-83 से लेकर आज तक किसी भी विद्यालय में इन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। जिन छात्रों को मिली भी है, तो उसमें इनके अधिकारियों ने घूस लेकर के बेइमानी करके इन छात्रों का शोषण किया है।

मान्यवर, मेडिकल विभाग के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि 18 परसेन्ट वहां पर रिजर्वेशन है उसमें से 12 1/2 प्रतिशत छात्रों के लिए और 7 1/2 प्रतिशत छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। उसमें जब प्रवेश करते हैं, तो 7 1/2 प्रतिशत छात्रायें नहीं मिलती हैं, तो सामान्य छात्राओं को प्रवेश दिला दिया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। अगर छात्रायें नहीं मिलती हैं, तो उनकी जगह पर अनुसूचित जाति की छात्राओं को प्रवेश देना चाहिए। ऐसे बड़े विभाग के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इनके विभाग में भ्रष्टाचार सबसे आगे है। अधिकारी जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करता है, उसी अधिकारी की प्रोन्नति की जाती है और इस विभाग के जो विभागीय कर्मचारी हैं, उनको कायदे से उप निदेशक जैसे पद पर पहुंचना चाहिये, जबकि इनकी नीति ऐसी बन गयी है कि पी0 सी0 एस0 को भेज कर ये विभाग चला रहे हैं। चूंकि पी0 सी0 एस0 से आये हुए अधिकारी इस विभाग के बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए वे मनमानी ढंग से रिश्वत लेते हैं और इस तरह से इस विभाग के स्तर को नीचे ले जाया जा रहा है। इसके अलावा अभी माननीया मंत्री जी ने कहा कि दुकान और मकान स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा बहुत अच्छी संख्या में और बहुत अच्छे तरीके से बनवाये जा रहे हैं, और दुकानें चलाई जा रही हैं।

मान्यवर, मकान का मामला इस प्रकार से है कि जो ब्लाकों में दो हजार रुपया देकर मकान स्वीकृत किये जाते हैं, और बनवाये जाते हैं, उसको वहां का ग्राम सेवक केवल 500 रुपया ही देता है और बाकी 1500 रु0 अपनी जेब में रख लेता है। इसी प्रकार से जो 6 हजार की कीमत के मकान बनाये जाते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए, उनको आप देखें, तो उसमें 1/12 और 1/10 का सीमेंट लेकर लिंटर डाला जाता है, तो उसमें रहने वाला हरिजन समाज का व्यक्ति कैसे रह पायेगा। उस मकान में अगर मान्यवर, हाथ लगा दिया जाय तो पूरा मकान गिर जायगा और दुकानों का मामला अगर लीजिए, तो दुकानें जहां बाजार है, वहां नहीं बन रही हैं, जहां सड़क है, वहां नहीं बन रही हैं, बनेगी कहां, जहां ऊसर है, बनेगी वहां पर जहां पर बाजार नहीं है। मान्यवर, इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर दुकान दी जायं, अगर दुकान बनवाई जायें, तो म्युनिसिपल एरिया में, नगरपालिका की एरिया में बनवाई जायें और जहां बड़े-बड़े बाजार हैं, वहां पर दुकानें बनवाने की व्यवस्था की जाय, तो शायद इससे कोई सुधार हो सकता है और हरिजनों की भलाई हो सकती है। वैसे तो कोई आशा नहीं है कि कोई सुधार हो सके।

मान्यवर, बेरोजगारी के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, क्योंकि उनके पास न तो जमीन है और न ही उनके पास कोई उद्योग है और जब जमीन और उद्योग उनके पास नहीं होगा, तो बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी से उनके ऊपर अत्याचार होंगे, अन्याय होंगे। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अन्याय ढाये जा रहे हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम, इसी हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत है। उसमें कपड़ों की खरीद की गयी थी, मान्यवर, कपड़ों की खरीद के आर्डर दिये गये और 12 जनवरी, 1985 को इसकी जांच की रिपोर्ट मांगी गयी थी और जब लाखों रुपये का घोटाला पाया गया, तो उस रिपोर्ट को आज सरकार ने दबा रखा है। इसको पटल पर नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि इसमें डी0 पी0 वरुण जैसे अधिकारी फंसे हुए हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो इसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको दंडित किया जाय, और खास कर जो इसके अध्यक्ष वरुण जी हैं, उनके लिए मांग करता हूं। इन शब्दों के साथ में माननीय हरीश जी द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव बख्श सिंह राठौर--

माननीय अधिष्ठाता, महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण विभाग की बात हम करते हैं। हरिजनों की, दुर्बल लोगों की, निर्बल लोगों की, असहाय लोगों की किस तरह भलाई हो किस तरह से वह उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके, किस तरह से वह समाज में अपने को बलिष्ठ और सुदृढ़ बना सके, इस पर हमें चिन्तन करना है। हम लोग समझते हैं, कि हम सब ठेकेदार हैं, जो बड़े लोग हैं उनको चाहिये कि वह हरिजनों का उद्धार करें, निर्बलों का उद्धार करें, असहाय लोगों का उद्धार करें और उनकी विधवाओं को पेंशन, प्रदान करें, लेकिन इसके साथ में निवेदन करना चाहूंगा कि जो हरिजन हैं, निर्बल हैं, असहाय हैं उनको भी अपने पुरुषत्व का परिचय देना होगा। अगर उनमें ऊपर उठने का उत्साह नहीं है, लगन नहीं है, तो दूसरे की सहायता दूसरे की प्रेरणा, काम नहीं कर सकती है। मान्यवर, जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिन लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़नी है, उनका इसमें योगदान होना चाहिए। और तब गांव-गांव के लोगों ने, उन लोगों ने, जो निहत्थे थे, गरीब लोगों ने, निर्बल लोगों ने आजादी की लड़ाई में बढ़कर योगदान दिया। सन् 1930 में, मैं पहली बार जेल गया तो नाबालिग था। जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हमने सोचा था कि यह देश जाति विहीन होगा, वर्ग विहीन होगा, अब तो ऐसा लगता है कि देश को बांट रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम सबको गरीबों के लिए, निर्बलों के लिए, असहाय लोगों के लिए चाहे वह किसी भी जाति के हों, काम करना चाहिये, लेकिन उनमें भी उत्साह और लगन होनी चाहिए। जिन लोगों के आंगन में रोशनी नहीं पहुंची है, उनके आंगन में रोशनी पहुंच सके हमें ऐसे कार्य करने चाहिये। कहा जाता है कि हरिजनों को, गरीबों को निर्बलों को गाय, भैंस और बैल जब तक मिलते हैं, उनके पास आधे दाम रह जाते हैं। उनको जब हम जमीन देते हैं, तो वह बेकार हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास खेती के लिए साधन नहीं होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिये कि जब हम इन्हें जमीन दें, तो सारे साधन भी दें। इसके लिए हमारे में उत्साह होना चाहिये, लगन होनी चाहिए तन्मयता होनी चाहिए। केवल अलोचना से काम नहीं चल सकता है। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से गरीबों की सहायता कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह हम सब का दायित्व है जो समर्थ है, अगुआ बनते हैं कि गरीबों के दुखः दर्द को दूर करने की तड़प हममें हो। एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं—

इलाही उनके हिस्से का भी गम मुझको
अता करदें,

कि उन मासूम आंखों में नमी देखी नहीं जाती ।

(3 बज कर 25 मिनट)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उस पर हरीश जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । अभी सत्ता पक्ष के दो विधायकों ने अपने मन की वेदना और अपनी उदारता को प्रगट किया, उससे मालूम हुआ कि वह भी कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं विदेशी शासन काल में प्रेसीडेन्सी मैजिस्ट्रेसी मद्रास में सबसे पहले शुरू हुई। उसी सरकार ने मद्रास में पहले हरिजनों के आरक्षण की बात कही । आदमी- आदमी में समता पैदा करने की बात उस समय से मद्रास से शुरू हुई....

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब की बात है । यह मैं कह रहा हूं । हमारे प्रदेश में सबसे पहले रिक्लेमेशन विभाग खोला गया जिसके अन्तर्गत अपराधी प्रवृत्ति की जातियों को विशेष सुविधा न देने की व्यवस्था की गई । यह विभाग 1940-41 में खोला गया । जो पिछड़े हुये थे, निर्बल थे उनको ऊपर उठाने की बात सबसे पहले हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में सोची गई । डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि समता और समानता के लिए पिछड़ों को विशेष अवसर नौकरियों में मिलना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारी हुकूमत में लोकपति जी मंत्री हैं, जब बाबू जगजीवन राम जी वाराणसी में सम्पूर्णानन्द जी की मूर्ति का अनावरण करने आये, उन्होंने मूर्ति को छुआ तक नहीं था केवल अनावरण किया था तो उस मूर्ति को गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया था । अगर समता होती तो शिक्षा के आधार पर वह देश में सबसे योग्य ऊंचे हैं, धन के आधार पर सबसे ऊंचे चूंकि सामाजिक आधार में वह समान नहीं माने गये थे इसलिए गंगा जल से मूर्ति को धोने का काम किया गया ।

(व्यवधान)

आज स्थिति क्या है ? अगर गरीबी को बराबरी का आधार मान लिया जाता तो इतनी परेशानी न होती । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विमुक्त जाति के उत्थान के लिए काम हो रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जिन महिलाओं और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, अनाचार के अड्डे बने हैं, वहां यह मुहकमा कोई काम नहीं कर रहा है । अगर आपका विभाग वहां काम करता तो यह अड्डे न चलते । आपको शर्म आनी चाहिये । जितनी आपने निराश्रित विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोल रखा है, वहां आज कोई निराश्रित विधवा या बच्चे नहीं हैं । आप सदन की एक कमेटी बना दें और आप फिरोजाबाद ही चले चलें, अगर एक भी निराश्रित विधवा या अनाथ बच्चा वहां मिल जायेगा तो हम सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे देंगे । नहीं तो माननीय मन्त्री जी स्वयं इस्तीफा दे देंगी ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो निराश्रित महिलायें हैं, उनके नाम पर और अनुमोदित विद्यालय के नाम पर, भिक्षुकों के नाम पर, अधिकारी व बिचौलिए जो पैसा खा जाते हैं, आप इस ओर ध्यान दीजिये । आप आगरा और फिरोजाबाद जाइये और देखिये कि वहां के विद्यालयों में न महिलायें हैं और न बच्चे हैं । बड़े-बड़े अधिकारी जांच के लिए जाते हैं और ऐय्याशी करके चले आये और रिपोर्ट दे दी कि निराश्रित महिला छात्रावास और आश्रम चल रहे हैं । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं

कि इसके खिलाफ जांच करावें। इसके बाद में निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुल्क हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में आपने हरिजन एवं समाज कल्याण के लिए क्या दिया, प्रति व्यक्ति। केवल 26 रुपया एक साल में दिया और आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हरिजनों का ध्यान रखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप वहां के भिक्षुक गृहों को देखें। आपने कानून बना दिया कि पांच महानगरों और इसमें मथुरा और फैजाबाद को भी जोड़ दिया, वहां भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून बना दिया लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कानून तो बना दिया लेकिन जो भिक्षुक-गृह हैं, वहां आगरा में 9 भिक्षुक भूख से मर गये। आपको जरा भी शरम न आई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भिक्षुक गृह और जो संवासिनी गृह हैं, उनकी जो हालत है, उनको आप देखें। यह देखें कि वहां के अनुमोदित विद्यालयों में क्या बच्चे रह रहे हैं। वहां उनको रखा गया है सुधार करने के लिए, लेकिन स्थिति क्या है, लड़कों को शिक्षा दी जाती है? वहां न पढ़ाया जाता है, न खाना दिया जाता है और न दवा ही दी जाती है। कितने लोग तपेदिक रोग से पीड़ित हैं और कितने चल ही नहीं सकते हैं। यही रख-रखाव की भी स्थिति है। आपके महकमे में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला है, विद्यालयों के नाम पर और दूसरे नाम पर। विद्यालयों के नाम पर जो फीस लेते हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन विद्यालयों में एक भी हरिजन है? कितने ही विद्यालयों में रिइन्वेस्मेंट के नाम पर हजारों रुपये लिए जा रहे हैं। केवल एक एस०डी०आई० रिपोर्ट लिख देता है। मैं मांग करता हूं कि इन सब बिन्दुओं पर जांच करावें, उसके लिए इसी सदन की एक कमेटी बनावें, जो रिपोर्ट दे कि हम जो इतना रुपया देते हैं, उसका क्या उपयोग होता है। माननीय मंत्री जी अपने बजट को पास कराने से पहले सदन को आश्वासन दें कि इन गड़बड़ियों की जांच के लिए सदन की एक कमेटी बनाएंगी और जांच के बाद कार्यवाही करेंगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम नरेश शुक्ल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बजट जो आज आपके समक्ष है, यह एक ऐसा बजट है जिसमें प्रतिपक्ष को चाहिए कि वह इसको समर्थन करता। इन्होंने बजाय इसमें कुछ जोड़ने के कटौती का प्रस्ताव रख दिया। इस बजट में कितनी सहायता हो सकती है गरीबों के लिए, यह उसे साबित करता है। गरीबों की सहायता करना, यह तो आज हमारी भारतीय संस्कृति में रही है, आप सैकड़ों वर्ष का इतिहास निकाल कर देख लें। तो उसमें तो हरिजन विभाग खोल करके नहीं मदद की जाती थी बल्कि ऐसे ही लोग इन गरीबों की मदद करते थे। और यही नहीं, भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है राजनीति में भी। गांधी जी का नेतृत्व आया। गांधी जी ने ग्राम सुधार खादी और हरिजन यह मुख्य मुद्दा बनाया। और, आदतन खादी, आदतन हरिजनों के साथ उठना-बैठना, खाना-पीना और उनकी मदद करना यह राजनीति का एक अंग बन गया। और इसी के तहत मैं तो माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके द्वारा यह चाहता हूं कि इस पर और सोच विचार किया जाय। हरिजनोत्थान का काम सरकारी ढंग से 100 प्रतिशत कराया जाता है, यह उतना फल नहीं दे रहा है, जितना फल मिलना चाहिए। इसमें तो प्राइवेट संस्थाओं को भी जो हरिजनों और कमजोरों की तरक्की चाहती हैं आगे आना चाहिए, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। बल्कि मैं इस हद तक कहूंगा कि इन संस्थाओं को धन भी उपलब्ध किया जाना चाहिए। प्राइवेट लोगों को भी बढ़ायेंगे, तो कुछ काम अच्छा हो सकेगा।

मैं विवाद में नहीं जाना चाहता कि कितना पिछले वर्ष हुआ और कितना इस वर्ष इस दिशा में कार्य हुआ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

आप अपने वर्ग की भी बात कीजिये।

श्री राम नरेश शुक्ल--

पाण्डेय जी, हरिजनों से कुछ एलर्जी है क्या आपको?

मान्यवर, इन दबे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए इन्हें मकान दिया जाता है, दुकानें दी जाती हैं। लेकिन, बहुत सी कमियां इन दुकानों में जरूर हैं। एक मित्र उधर से कह रहे थे कि दुकानें वह बाजार से दूर दे देते हैं यह बात सही है, उनको बाजार के पास देनी चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ दुकानें या कुछ आवास मोहन लालगंज और निगोहा के बीच में हरिजनों के नाम पर बने हैं, जिसमें आज तक कोई आदमी नजर नहीं आया। बस चिड़ियां ही वहां चहचहाती रहती हैं। वह गिर रहे हैं, ऐसे कामों की जांच होनी चाहिये। जिस अफसर ने उसे बनाया है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मैं एक बात सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि हरिजन विभाग या समाज कल्याण विभाग में हरिजन अफसरों को ही रखा जाय। इस पर सोच की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को रखा जाय जिनमें कि समाज के उत्थान में रुचि हो, चाहे वह जिस वर्ग के हों। मैंने कई जगह सुना कि कई हरिजन अफसरों में सुपरियारटी काम्पलेक्स अपने ही लोगों के खिलाफ होती है। और कहीं इन्फायरिटी काम्पलेक्स में दब जाते हैं।

एक सदस्य--

राजीव जी हरिजनों के बीच नहीं जाते।

श्री राम नरेश शुक्ल--

भगवान राम सेवरी के यहां गए। राजीव गांधी जी भी आज आदिवासियों के बीच में घूम रहे हैं।

हमारी मंत्री जी, दीदी जी, रोज सुबह उठकर लखनऊ के हरिजन के बीच में जाती हैं। मैं कटौती का विरोध और बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री हरीश चन्द्र जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी, जो इस सदन की दीदी भी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने भाषण में कहा उससे प्रतीत होता है कि उनके दिल में इन माताओं, बहिनों और गरीब लोगों के प्रति दया है। मैं सुझाव के तौर पर एक-दो बातें माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा।

पहला, यह कि माननीय मन्त्री जी इस बात की घोषणा करें और संकल्प करें कि देहातों में और कस्बों में किसी भी वृद्ध महिला के लिए, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसे आजीविका चलाने के लिए पेंशन दिया जायेगा और किसी भी गरीब बच्चे को और बेटी को भूखा नहीं मरने दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा, यह कि जहां आप इन गरीबों के लिए इतने मकान बनवा रही हैं, वहां गरीब मां, बेटियों के लिए आप देहातों में शौचालय खोल दें ताकि वे आपको दुवायें देती रहें। हरिजनों के संरक्षण और सुधार की बात आपने कही। समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को निर्देश दिये गये हैं कि हरिजनों का नौकरी में कोटा पूरा किया जाय, लेकिन आज तक वह पूरा नहीं हो पाया है। आज भी सरकारी नौकरी में उनका कोटा केवल 6 या 7 परसेन्ट है। क्या आपका विभाग संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहा है। यह संविधान का सीधा उल्लंघन है। अभी एक सदस्य ने कहा कि हमारे प्रधान मन्त्री जी वनवासियों के बीच में घूम रहे हैं। वहीं पर मैं आपसे उन्हीं मन्त्री जी के उन शब्दों को भी कहना चाहूंगा, जिनकी आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए कोटा रखा जाय लेकिन पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए सारे देश की आम राय ले ली जाय। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आर्टिकिल 15(4) और 16(4) क्या संविधान के अंग नहीं हैं। जिसे डाक्टर भीम राव अम्बेदकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद और श्री गोविन्द बल्लभ पंत जी ने बनाते समय यह तय किया था कि जो वर्ग सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, उनके लिए आरक्षण दिया जाय। लेकिन आज उस आरक्षण के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात के अन्दर आन्दोलन चला और उनका विरोध किया और वक्तव्य हमारे प्रधान मन्त्री ने दिया है, मैं समझता हूं कि वह देश के किसी भी हिस्से में स्वीकार नहीं है।

पिछड़े वर्गों के हितों का बहुत हनन किया है। जनता पार्टी ने जो सुविधायें दी थीं पिछड़े वर्गों को उनको काटा है पहली बात मेडिकल कालेज में सी0 पी0 एम0 टी0 में सुविधायें जो उनको दी जाती थीं, कैबिनेट से जो पास था, एक जी0 ओ0 से समाप्त कर दिया। 15 प्रतिशत आरक्षण था चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सैनिकों की भर्ती को, उसको समाप्त कर दिया। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती थी, 5 वर्ष की छूट आयु में थी, सब को समाप्त कर दिया, सारी सुविधायें दी गई थी, सब को समाप्त कर दिया, सारी सुविधायें दी गई थीं, उन सब को पिछड़े वर्ग के लिए समाप्त कर दिया। उनको नहीं दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग से निदेशालय की मांग की गई थी, काका कालेलकर ने कहा था कि पिछड़े वर्ग का निदेशालय बनना चाहिए, 18 प्रतिशत के लिए आपने कुछ नहीं किया....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री सत्य पाल सिंह--

इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आज से सीनियर आप हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्य पाल सिंह--

अगर उस समय सम्बूक बध किया गया था तो यह आर्थिक आधार नहीं था, सम्पूर्णानन्द की मूर्ति को गंगा जल से धुलवाया गया था, वह आर्थिक आधार नहीं था और इसको समाप्त करने के लिए पिछड़े वर्गों को जो सामाजिक, शैक्षिक आधार पर किया गया था, उसके लिए सदन में घोषणा करें। देश के अनेकानेक प्रदेशों में पिछड़े वर्गों के लिए

आरक्षण है, बिहार में 26 प्रतिशत है, कर्नाटक में 40 प्रतिशत है, महाराष्ट्र में 33 प्रतिशत है, तामिलनाडु में 31 प्रतिशत है, केरल में 38 प्रतिशत है, इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में 25 प्रतिशत है लेकिन यहां, आपके उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार आप प्रदेश के 52 फीसदी लोगों की उपेक्षा न करें वरना यह वर्ग आपसे याचना नहीं करेगा वरन् युद्ध करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्गों की जो उपेक्षा कर रहे हैं वह सहनीय नहीं हो सकती और जहां कष्टा है उसको पूरा करें जिससे आज तक जो कोटा पूरा नहीं कर सके आप 25 वर्षों में उनके लिए निदेशालय को, अपने अधिकारियों को आदेश दें क्योंकि संविधान का कहीं भी उल्लंघन न हो पाये और गरीब लोग भी चैन की सांस ले सकें।

कर्नल केसरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बख्शी दीदी द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण बजट के संबन्ध में बोलने का अवसर दिया और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तथा हरीश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सम्मानित सदन के इतिहास में यह पहला मौका है जब सैनिक कल्याण के बजट पर एक भूतपूर्व सैनिक प्रतिनिधि को बोलने का मौका दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एवं शुभ लक्षण है। सैनिक कल्याण विभाग 1975 से लगातार विस्तार कर रहा है और इस अनुभाग के अधीन इस समय लगभग 15 लाख भूतपूर्व सैनिक परिवार इस समय देश में निवास करते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का 25 प्रतिशत हमारे प्रदेश का है और पूरे देश में सेवारत सैनिकों का 20 प्रतिशत हमारे प्रदेश का है। यह संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह गर्व की बात है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि हमारे सैनिक कल्याण विभाग के बजट में कमी कर दी गई है। पिछले वर्ष 1984–85 में 94 लाख 15 हजार रुपया इस विभाग पर व्यय हुआ था तो इस वर्ष के बजट में केवल 81 लाख 50 हजार रुपया आवंटित हुआ है जो कम है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि भूतपूर्व सैनिक वित्त विकास निगम के बारे में पिछले वर्ष जून में एक प्रस्ताव पेश हुआ था कि निगम की स्थापना होगी, इसके लिए रुपयों की भी मांग की गई थी। भूतपूर्व सैनिक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। 15 लाख परिवारों की उपेक्षा करना हमारे समाज के लिए हितकर नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत सारी सुविधायें सन् 1979 में भी घोषित की गई लेकिन उनको सुविधायें बहुम कम मिल पाती हैं। 8 जून को राज्य सैनिक परिषद् की बैठक तत्कालीन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि उनको पुनर्वास का अधिकार दिया जायगा लेकिन उनके लिए कोई स्टाफ नहीं दिया गया, गाड़ी नहीं दी गई। इसके विषय में मुख्य मंत्री ने घोषणा भी किया था कि नियमतीकरण कर दिया जायेगा लेकिन वह नहीं किया गया। 1977 से 79 के बीच में जनता पार्टी के शासन काल में आरक्षण का कोटा 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया था। इसी प्रकार आवास में भी 15 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया था। इस अन्याय को दुबारा न्याय में परिवर्तित करने के लिए हम कई सालों से अनुरोध कर रहे हैं। यही एक वर्ग है जो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय है, जो पूर्ण रूप से जाति रहित है। उन्हें दिया जाने वाला आरक्षण का कोटा रेस्टोर करना चाहिए। इनके साथ न्याय किया जाय, आरक्षण के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा कि—

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये ।

कर्नल केशरी सिंह--

मुझे तीन मिनट और दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप तो कर्नल हैं, आप अनुशासन ज्यादा जानते हैं ।

कर्नल केशरी सिंह--

अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को हर प्रकार की सेवा में उनके लिए आरक्षण किया जाय । मैं दुबारा यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उनकी उपेक्षा न की जाय । अभी 6 जुलाई को गोरखपुर में जो एक स्वचल आर्म दल मुख्यमंत्री जी के आदेश के मुताबिक नियुक्त हुआ है जिसमें भूतपूर्व सैनिक उन्होंने वन सम्पति की रक्षा के लिए एवं अपनी आत्म रक्षा के लिए गोली चलाई परन्तु वहां की पुलिस ने बावर्दी उनको जेल में डाल दिया । इस तरह से वर्दी का भी अपमान किया गया । एक बात मैं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में भी कहूंगा जिस प्रकार से 200 हरिजन बच्चों को 4 जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में ट्रेनिंग देते हैं मैं अनुरोध करूंगा कि उसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए भी व्यवस्था कर दें । यह तबका गरीबी की रेखा से नीचे है उसको ऊपर उठाने की दशा में कार्यवाही की जाय एवं उनके बच्चों को भी जिला सैनिक कल्याण द्वारा ट्रेनिंग दी जाय । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं माननीय हरीश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरिजन और समाज कल्याण विभाग के द्वारा रखी गयी अनुदान की मांग का एक बहुत महत्वपूर्ण सम्बन्ध हमारे समाज के उन व्यक्तियों से है, जो आजादी के 38 साल पूरे होने के बावजूद भी गरीबी की रेखा के नीचे दम तोड़ रहे हैं ।

अभी हमारे पूर्व वक्ता उधर के सदस्य माननीय राजीव गांधी की बात कह रहे थे कि आदिवासी इलाके में भी वहां की परिस्थितियों के देखने के लिए वे वहां गये और उनकी परिस्थितियों को वे देख रहे हैं । हम उनके इस कदम का अभिनन्दन करते हैं, लेकिन हम भी यह भी कहते हैं कि इधर के लोगों से भी और उधर के लोगों से भी कि मान्यवर, यह राष्ट्रीय समस्या है माननीय प्रधान मंत्री बार-बार यह कह रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पहले ही पहले इस देश में कम्प्यूटरिज्म में पहुंच जायेंगे । क्या हम 21वीं शताब्दी में ऐसा ही समाजवाद लेकर प्रवेश करेंगे ? यहां के मुख्य मंत्री जी भी स्वयं देख कर आये हैं कि जहां का इन्सान भूसा खा रहा है । इस देश का इन्सान पानी की एक-एक बूंद को पीने के लिए तड़प रहा है ।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं चूंकि वे एक महिला हैं, लीजिये वे तो चली गयी हैं लेकिन उनके सहयोगी मंत्री जी तो बैठे हैं, उनकी किताब में मान्यवर, यह उल्लेख किया गया है कि बहुत सी विमुक्त जातियों के लिए भी उनके रोजगार के लिए, उनके आवास के लिए उनका सम्वर्धन सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सी इसमें बातें हैं । लेकिन आज भी सारे देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर और खास करके लखनऊ में आप देखेंगे कि सड़कों के किनारे, माननीय मंत्री जी स्वयं निकल कर देखें कि लाखों की तादाद में ऐसे इन्सान हैं जो सड़कों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर पैदा होते हैं और सड़कों पर ही मर जाते हैं ।

मान्यवर, आज विज्ञान और तकनीकी जो कि आधुनिक युग की सभ्यता की परिचायक है, इस युग में भी यह देखकर तकलीफ होती है कि एक महिला सड़क के किनारे, जिसके पास अपना सिर छिपाने के लिए जगह नहीं है, सड़क के किनारे एक इन्सान को जन्म देने के लिए मजबूर है । वह महिला जिसको कि सभ्यता और संस्कृति का रक्षक माना जाता है वह सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना तो दूर, अपने जीवन की रक्षा न कर पाने के लिए मजबूर है ।

इसी तरह से आपके प्रदेश में तमाम शिक्षित लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और कोई रोजगार न पाने के कारण निराशा की आग में जल रहे हैं । क्या ऐसी व्यवस्था को लेकर आप 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे ? क्या ऐसी ही कल्पना आपने 21वीं सदी में प्रवेश करने के लिए की है ? मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि आज भी लाखों लोग भुखमरी का शिकार हैं ।

माननीय स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने संविधान में समाजवाद के शब्द को जोड़ा था । केवल समाजवाद लिख देने भर से देश में समाजवाद नहीं आ जाता है । केवल समाजवाद कागज पर लिख देने से आर्थिक प्रगति और सम्पन्नता नहीं होने वाली है । मान्यवर, मैं अपने जनपद के बारे में माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं, ज्यादा बात तो इतने कम समय में कही नहीं जा सकती है, केवल थोड़े से शब्दों में ही कहना चाहता हूं कि पाठक क्षेत्र मानिकपुर जिस क्षेत्र से मैं आता हूं । उन आदिवासियों में नौजवान लड़कियां जो लकड़ी बेचकर अपने परिवारों का चूल्हा जलाती हैं, जंगल विभाग से लेकर पुलिस विभाग के कर्मचारी तक भी रातदिन उनके साथ खिलवाड़ करते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के अन्दर लाखों हरिजनों के परिवार ऐसे हैं जो गांवों के अन्दर पानी भरने तक नहीं पाते हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बारे में एक सर्वे करायें और दिखवायें कि जहां पर ऐसे जाति के लोग हैं जो गांवों से पानी नहीं पाते हैं और गर्मी के मौसम में प्यास से तड़प कर मर जाते हैं इस पर आपके विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

श्री सीताराम निषाद--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का जो बजट माननीया मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, इस समाज में सदियों से ऐसे लोग जो शोषित पीड़ित रहे हैं और समाज में यह विषमता फैली हुई थी, उस विषमता को दूर करने के लिए, गरीबों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए इस विभाग ने जो योजना तैयार की है, उसको इस शासन ने हमारी लोकप्रिय सरकार ने जिस तरीके से बहुत तेजी से इस प्रदेश में लागू किया है और जो योजना आज प्रस्तुत की गयी है । उसकी मैं भूरिभूरि प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, जितनी आबादी हमारे प्रदेश की है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की, यद्यपि आबादी को देखते हुए वह धनराशि कम है लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश की हमारे राज्य के जो संसाधन हैं, जो हमारी सरकार को केन्द्र सरकार से धन मिलता है, उसके अनुसार हमारे राज्य का जो बजट है, उसमें अधिक से अधिक धन का आवंटन करके बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो हमारे प्रदेश में लागू की गयी है, वह वास्तव में सराहनीय है । यदि हम उनका सफल ढंग से क्रियान्वयन करें तो गरीबों और समाज के पीड़ित लोगों की आर्थिक स्थिति में अवश्य सुधार होगा ।

मान्यवर, इस प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विमुक्त जाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं

भी रहते हैं, जिसमें हिन्दुओं की 35 जातियां और मुस्लिम सम्प्रदाय की 21 जातियां शैक्षिक योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जाती है। पिछड़ी जाति के लोगों को और आय के आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्तियां देकर उनको जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर हैं उनको ऊंचा उठाया जाता है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4), 29 (2), में जैसी कि व्यवस्था है कि जो हमारे देश में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होंगे, राज्य सरकारों को यह अधिकार होगा कि वह उनकी उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। उसी के अन्तर्गत हमारी राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कुछ योजनाए बनायी हैं। जितनी संख्या हमारे प्रदेश में पिछड़े वर्ग की है, वह 53 प्रतिशत है। हिन्दू और मुसलमान दोनों को मिलाकर पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं यह उनकी जनसंख्या है और इस जनसंख्या को देखते हुए जो धन मिल रहा है वह कम है और अधिक धन की आवश्यकता है।

मैं ऐसे अवसर पर मांग करूंगा कि उनकी संख्या को देखते हुए और अधिक धन आवंटित किया जाय, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक दशा सुधरे और उनका उत्थान हो सके। मैं निवेदन करूंगा कि पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं वर्ष 1982-83, 83-84 और 1984-85 इस मद में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। जो व्यावहारिक रूप में बहुत कम है। और वर्ष 1985-86 में भी केवल 4 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है जो कम है। मैं निवेदन करूंगा कि इस धनराशि को और अधिक बढ़ाया जाय जिससे पिछड़े वर्ग के छात्रों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मैं निवेदन करूंगा कि पिछड़े वर्ग के लिए हमारी सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे वह लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की स्थापना की जाय जो पिछड़े वर्ग के कल्याण की योजनायें बनाकर उनको लाभ पहुचाएं इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग वित्तीय सहायता एवं विकास निगम बनाने की आवश्यकता है जिससे उनको आर्थिक सहायता दी जा सके और उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जा सके इसकी आवश्यकता है। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में वनमानुष या बनवासी नाम की एक जाति है जो अनुसूचित जाति की सूची में है जो जंगलों में वास करती है। उसके लिए आवश्यकता है कि आज विशेष योजनायें बनायी जायं। यह लोग पत्तल और दोना बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं। इसलिए उनके लिए विशेष योजनाएं बनायी जायं। प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी जी आदिवासियों के बीच जाकर उनकी स्थिति सुधारने का काम कर रहे हैं हमें पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार उनकी भावनाओं के अनुसार उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनायेगी जिससे उनका उत्थान हो सके। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री मनोहर लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय दीदी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस देश में महात्मा गांधी से बढ़कर कोई नहीं हुआ है और न कोई होगा। राजीव गांधी और इन्दिरा गांधी ने की तो बात छोड़िए वह उनके सामने क्या हैं? महात्मा गांधी ने हरिजनों के बीच में जाकर और रहकर जो अनुभव किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था उनके अनुभाग का फायदा इस देश को केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों ने नहीं किया सिर्फ चुनाव के टाइम पर किया जाता है ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू कानपुर में आये थे । जब वह प्रधान मंत्री थे उन्होंने वहां के गन्दे अहातों को देखा था । राजीव गांधी आदिवासियों के बीच में जाते हैं और पूछते हैं कि भूसा किसलिए है तो वह कहते हैं कि भूसा इसलिए है कि जब खाने को अनाज नहीं मिलता है तो इस भूसे से पेट भर लेते हैं । पं0 नेहरू जब गन्दे अहातों में जाते थे तो वह बहुत भावुक हो जाते थे और रोने लगते थे । राजीव गांधी जिनका नाम बारबर लिया जाता है, वह 21 वीं सदी की ओर ले जाना चाहते हैं जो आदिवासियों के बीच में जाकर खुद और उसकी पत्नी सोनिया उनके साथ नृत्य वगैरह कर रहे हैं तो यह अलग की बात है, खूब करें अखबारों में खूब प्रचार कर लें । लेकिन जो लोग सदियों से रहकर पेड़ की छाल खाकर, भूसा खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं । क्या इसकी तरफ केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार ध्यान देगी । अधिष्ठाता महोदय, यह बात अलग है । मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जो मंडल आयोग है क्या उसकी सिफारिशें आज तक लागू हुई हैं । न केन्द्रीय सरकार ने और न प्रान्तीय सरकार ने उन्हें लागू किया है । अभी माननीय सदस्य, फैजाबाद बोल रहे थे । जिस समय वे सरकार में थे । उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश का व्यापक दौरा किया था । चुनाव के समय में गये थे । उन्होंने कहा था कि हरिजनों और पिछड़े लोगों के लिये वे मसीहा बनकर उत्तर प्रदेश में आये हैं । यह उन्होंने मल्लाहों और अनुसूचित जातियों के बीच में कहा । नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको बालू का ठेका दिया जायेगा, नाव फ्री दी जायेगी । माननीय सदस्य, फैजाबाद ने यह घोषणा की थी । वह बात आज खतम हो गई । वे स्वयं कह रहे थे कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कुछ नहीं होता है । जब वे मंत्री थे और आज भी मंत्री हैं फिर उनके लिये क्यों रोना रो रहे हैं ? माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और आदरणीया दीदी जी से कहना चाहता हूं कि हरिजन विभाग के जरिये आज हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा है और आज जितना हो रहा वह हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार में चाहे वह केन्द्र की हो या प्रान्त की सरकार हो इतना अत्याचार पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है ।

मान्यवर, उन्नाव जिले के बिछिया ब्लाक की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । बिछिया ब्लाक में एक एस0 ओ0 सी0 हैं उनका नाम है भगवान सिंह कुरील । 13 मई, 1985 को वे वहां के सी0 ओ0 ऑफिस में गये । उस समय सी0 ओ0 वहां मौजूद नहीं थे । उन्होंने उनकी कुर्सी पर बैठकर कुछ मुकदमों का फैसला किया । उसके बाद वे दौरा करने के लिये चले गये । जब सी0 ओ0 वापस आये और उनको मालूम हुआ कि उनकी कुर्सी पर कुरील जाति का व्यक्ति जो कि चमार जाति का है, बैठे थे । उन्होंने उस कुर्सी को वहां से बाहर फिंकवा दी और फिर उस कुर्सी को मंगाकर गंगा जल से उसको धुलवाया । यह 13 मई, 1985 का जिक्र है । इस तरह से जब आपका एक अधिकारी किसी हरिजन अधिकारी के साथ अत्याचार कर रहा है तो किस तरह से आप गरीबों और हरिजनों के साथ न्याय कर सकेंगे । दीदी जी आप इसको देखिये । दीदी जी पाक साफ हैं । मेरा चैलेंज है कि दीदी जी आप बतायें कि कौन सी हरिजन बस्ती में आप गई हैं ? कौन सी जगह जाकर आपने खाना खाया है ।

विद्युतीकरण की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि उस समय के लोग परलोक में चले गये। क्या आपने कभी यह भी सोचा है कि कितने लोग मारे जा रहे हैं। कितने लोगों पर अत्याचार हो रहा है। आपका यह विभाग वेश्यालय बन रहा है और यह सब जिलाधिकारी कर रहे हैं।

पौष्टिक आहार योजना के बारे में कहा गया। हमारे विछिया ब्लाक में एक किसुनिया ग्राम सभा है। वहां पर हरिजन रहते हैं। वहां पर 32 लोगों को लोन देने के लिये कहा गया कि उन्हें लोन दिया जायेगा। लेकिन नहीं दिया गया, उनको लोन नहीं मिल पाया। लेकिन उनके नाम से लोन ले लिया गया। जब उनको वसूलियाबी की नोटिस मिली तब मालूम हुआ कि उनको लोन दिया गया था। जब जिलाधिकारी के पास गये तो मालूम हुआ कि हरिजन विभाग के लोग मिलकर जो ग्रामीण और लीड बैंक हैं उनके जरिये उनकी साठ-गांठ से यह काम हो रहा है। हरिजन विभाग के अन्दर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दीदी जी कह रही हैं कि इसका पैसा और बढ़ाया जाय। मैं कहना चाहता हूं जब आपके विभाग की यह हालत है तो आपके विभाग को एक रुपया दिया जाय और उससे आप पूरे प्रदेश का दौरा करें और हरिजनों के बीच जाकर उनकी खिदमत करें। आप मदर टेरेसा बनने की बात कहते हैं वे मदर टेरेसा नहीं बन सकती हैं। मदर टेरेसा से भारत महोत्सव देखने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा जिस देश में लाखों लोग भूख से मरें और यहां झूठे आन बान शान के लिए भारत महोत्सव देखें। यह मदर टेरेसा ने कहा। आप मदर टेरेसा नहीं बन सकती हैं। मेरा निवेदन है कि अगर सही में आप चाहती हैं कि हरिजनों का उद्धार हो, अनुसूचित जाति का उद्धार हो, पिछड़े वर्ग का उद्धार हो, तो जो भावना माननीय सदस्य फैजाबाद ने व्यक्त की उसको देखें। वैसे जब वह सरकार में थे कोई काम नहीं कर पाये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

श्रीमती उमा त्रिपाठी--

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्मानित समाज कल्याण मंत्री, जिन्होंने यह समाज कल्याण का बजट प्रस्तुत किया है उसका दिल से समर्थन करती हूं और कटौती प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूं। अभी जैसा हमारे सम्मानित सदस्य सामने से बोल रहे थे जिन्होंने सम्मानित समाज कल्याण मंत्री जी से कहा कि वह पाक साफ हैं यह बात सही है कि वह अपने कार्य और अपने विभाग में अवश्य पाक-साफ हैं। लेकिन जहां उन्होंने कहा कि हरिजन बस्तियों में हरिजनों के बीच में खाना नहीं खाती हैं तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सम्मानित सदस्य अपने क्षेत्र में उनको बुलायें और हरिजन बस्तियों में उनको खाना खिलायें और अगर वह ऐतराज करेंगी तो तब कहिये।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मैं आमंत्रित करता हूं।

श्रीमती उमा त्रिपाठी--

शोर मत मचाइये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने दीदी जी के साथ काम किया है हम जानते हैं कि उन्होंने हरिजन बस्तियों में भोजन किया है उनको किसी प्रकार का परहेज नहीं है। जो बाकी बातें उठाई गयी हैं जैसे मूर्ति की बात कही कि गंगा जल में नहलाया तो इस विषय में मैं यह कहना चाहती हूं कि चाहे सवर्ण हो या हरिजन हों जब कोई अनुष्ठान करता है तो सबसे पहले गंगा जल का प्रयोग करता है तब पूजा की जाती है। जहां तक समाज कल्याण और समाज सेवा की बात है यह बजट ही समाज कल्याण के

लिए है बाकी दूसरी चीजें इसमें नहीं आती है। मैं कहना चाहती हूं कि जब हम किसी के लिए कुछ बोलने के लिए उठते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ देख लें कि हम कहां पर हैं तो मालूम हो जायेगा। हमने समाज कल्याण का काम किया है, गरीब हरिजन लड़कियों की शादियां की हैं। हमारी दीदी का इसमें जो योगदान रहा है वह सराहनीय है। जहां तक दुकानों का सवाल है, वह ठीक है कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है, उसको दूर किया गया है हरिजनों को प्राथमिकता दी गयी है।

जो भेदभाव का सवाल उठता है उसमें मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र हरदोई में जब हम गांव में जाते हैं तो हमने देखा कि हरिजन ही आपस में ऐसी बात करते हैं। हम तो छुआछूत की बात नहीं करते हैं। वे ही इस बात में विरोध करते हैं कि हम इसके कुएं से पानी नहीं पीयेंगे, उसके कुएं से पानी नहीं पीयेंगे। तो हरिजनों को खुद में सुधार लाना चाहिये सवर्ण तो साथ खाते-पीते हैं इस बात की कोई परवाह नहीं करते हैं साथ मिल कर खाते हैं।

दूसरी बात यह है कि जो भी काम दीदी ने किया है उनकी अवस्था को देखते हुए वह हमारे लिये प्रेरणादायक है। मन में आप भी इस बात को मानते हैं कि उनके कार्य प्रेरणादायक हैं। मान्यवर, काफी प्रकाश अन्य माननीय सदस्य इस समाज के ऊपर डाल चुके हैं, इसलिये अब ज्यादा न कह कर मैं अपनी बात समाप्त करते हुये प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री विष्णु देव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने बजट पेश किया तो कहा कि हम झोपड़ों में नये दीप जलाने जा रहे हैं, इस बजट से। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इन झोपड़ों में दीप जलाने की बात याद आ रही है। आजादी के 39 साल बाद भी इन्हें झोपड़ों में रहने वाले करोड़ों लोगों, जो फुटपाथ और सड़क पर सोते हैं, उनके लिये इस बजट से नये दीप जलायेंगे और इस बजट को क्रांतिकारी बजट कहते हैं। क्रांतिकारी बजट जब माना जाता जबकि राजमहलों की बात बन्द करके झोपड़ों की बात करते। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों के उद्धार और उन्हें अनुदान देने की बात यह करते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि हरिजनों के नाम पर जितने अनुदान की बात है उसमें सारा भ्रष्टाचार भरा है। आप गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिनों बाद, 39 सालों बाद भी 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिये जो समाज में पिछड़े, दबाये, सताये और उपेक्षित हैं उनको दुनिया बदलने की बात नहीं करते हैं।

मान्यवर, मंत्री जी ने हरिजनों को रोजगार देने की बात किया, लेकिन मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि हरिजनों को रोजगार के नाम पर घोड़ा, रिक्शा और इक्के दिये जाते हैं। मान्यवर, इक्के की स्थिति को मैं बताना चाहता हूं कि 2 हजार रुपये का इक्का होगा, घोड़े के लिये डाक्टर घूस लेने पर लिखेगा, ग्राम सेवक लिखेगा तो घूस लेगा और बैंक में रुपये देने वाला अधिकारी घूस लेकर ही रकम देगा। इस प्रकार जितने का इक्का होगा उसके आधे पैसे घूसखोरी में निकल जाते हैं। तो यह रोजगार [देने की स्थिति है।

मान्यवर, अब मैं हरिजन विद्यालयों को अनुदान देने की बात के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में बहुत

से हरिजन विद्यालय हैं लेकिन जिनकी सिफारिश यहां तक नहीं पहुंचती है भले ही वहां ज्यादा बच्चे पढ़ते हों, अनुदान उनको नहीं मिलता है। लेकिन जिन हरिजन विद्यालयों में केवल 20-25 बच्चे ही पढ़ते हैं और प्रार्थना-पत्र अनुदान के लिये देते हैं, यहां के देवताओं को पूजते हैं और घूस देते हैं हरिजन कल्याण अधिकारी को पूजा चढ़ाते हैं उनको अनुदान मिल जाता है।

मान्यवर, इसी तरह क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद आजमगढ़ में घोसी तहसील है, वहां एक राम लाल हरिजन की स्त्री की जीप से दबकर मृत्यु हो गयी, उसने क्षतिपूर्ति के लिये प्रार्थना-पत्र दिया, 10 हजार रुपये मंजूर हो गया लेकिन हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि 5 हजार रुपये हमको दो वरना तुमको यह अनुदान नहीं मिलेगा, उसने पैसे देने से इंकार कर दिया तो वह सारा अनुदान वापस चला गया और नहीं मिला जिसकी लिखापढ़ी चल रही है। इसलिये जो आप करना चाहते हैं, उसमें देखभाल नहीं करते हैं जिससे भ्रष्टाचार ओतप्रोत है। हरिजन अनुदान, क्षतिपूर्ति, रोजगार देने की बात, बैंक से कर्ज लेने की बात सभी जगह भ्रष्टाचार है। इस पर आपको सोचना होगा कि इसके पीछे क्या चीज है। इसलिये आपकी जो नीति है उसको बदलना होगा, भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। यहां रोज चर्चायें हो रही हैं और जब कोई भ्रष्ट अधिकारी फंसने वाला होता है तो आप उस पर चर्चा बन्द कर देते हैं और जवाब सही नहीं देते हैं। इसलिये जब तक आपकी नीति भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की होगी तब तक कुछ भी सुधार होने वाला नहीं है।

मुझे अफसोस है कि आजादी के इतने दिनों बाद भी हरिजन, छूत, अछूत और पिछड़े लोग यहां हैं, इसलिये चूंकि आपकी नीति पिछड़े लोगों को उठाने की नहीं है। विश्व के महान विचारक डा0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था।

(4 बजकर 25 मिनट)

समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जो औरतें पिछड़ी हैं, उनको विशेष अवसर देना होगा राजनीति में, सरकारी नौकरी में, शिक्षा में और समाज के सभी क्षेत्रों में। जब तक आप इस नीति को अख्तियार नहीं करेंगे, हरिजन ऊपर नहीं उठ सकेंगे। इसलिए उनके सम्बन्ध में जो आपकी नीति है और उनको देने की आपकी जो नीति है, उसका पुनः परीक्षण कराइये, उसका व्यावहारिक रूप देखिए और यह देखिए कि विभाग का पैसा कहां जाता है। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अनुदान की मांग का विरोध करता हूं।

*श्रीमती कमला साहनी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं जो आपने माननीय मंत्री जी के इस हरिजन बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं और इस बजट का समर्थन करती हूं। आज उत्तर प्रदेश के हरिजन लोग, दलित लोग, विधवाएं और महिलाएं इस बजट पर धन्यवाद दे रही होंगी और इसमें आशा से अपने उज्जवल भविष्य को देख रही होंगी। आजादी से पहले हरिजनों, विधवाओं, महिलाओं और दलित वर्ग के लोगों की क्या स्थिति थी? उस समय समाज में इन लोगों की परछाईं पड़ना भी बुरा समझा जाता था, अशुभ माना जाता था। उनके साथ उठना-बैठना और खाना-पीना तो बहुत दूर की बात रही। लेकिन उस अछूतपन और पिछड़ेपन को किसने दूर किया। उसे महात्मा गांधी ने दूर किया, उनकी कांग्रेस ने दूर किया और इन्दिरा गांधी ने दूर किया और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उसी कार्य को करने में हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी प्रयत्नशील हैं। इन्दिरा गांधी और महात्मा गांधी के दिलों में, पंडित जवाहर लाल नेहरू के दिल में और वर्तमान सत्ता के जो लोग हैं, उन सबके दिलों में इस वर्ग के लोगों की गरीबी दूर करने की इच्छा है, तमन्ना है, बशर्ते आप लोग उसमें रोड़ा न अटकाएं। पहले जब हरिजनों में बच्चे पैदा होते थे, तो उसके बाप घर वाले बड़े लोगों के घर में जाकर कहते थे कि हजूर आपके गुलाम पैदा हुआ है, कुछ अनाज दे दीजिए, बच्चे की माता को खिलाने के लिए और बड़े आदमी उसको इस लिएलिए अनाज में कर्ज दे देते थे कि वह उसके बच्चे और दर बच्चे को कर्ज के बदले अपने यहां बंधुआ मजदूर बनाये रखेंगे। आज हरिजनों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है रोजगार-धंधे के लिए, जानवर पालने के लिए, सुअर पालने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। दुकान खरीदने के लिए और खेती की जमीन खरीदने के लिए यह सब हमारी सरकार की देन है। आज गांवों में हरिजन मजदूर जल्दी खोजे नहीं मिलते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार उनको अच्छे रोजगार दे रही है, उनको नौकरी और खेती दे रही है, उनके बच्चे पढ़-लिख रहे हैं ताकि वह आगे जाकर अच्छे-अच्छे पदों पर जा सकें।

आज हमारी सरकार की ही यह देन है कि छोटे अधिकारी से लेकर आई0 ए0 एस0 अफसर तक हरिजन वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। पहले के जमाने में अगर कोई हरिजन कह देता था कि हमें पढ़ना है, शिक्षित होना है तो वेद मंत्र का एक शब्द भी अगर उसके कान में पड़ जाता था तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालने का प्रावधान था। आज वह आई0 ए0 एस0 है, आई0 पी0 एस0 है, मंत्री है, एम0 एल0 ए0 है और सांसद है...

(व्यवधान)

आपको सच बात बुरी क्यों लगती है, तीन साल की आपकी कोई उपलब्धि हो तो आप उसे बता दें। जो कुछ हुआ है वह सब हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। जब बच्चा पैदा होता है, उसका शिक्षा से लेकर, उसकी पढ़ाई-लिखाई और नौकरी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे कहीं न कहीं उनकी जमीन पर कब्जा नहीं मिला है, तो जब 10 काम अच्छे होंगे तो कहीं एक-आध छोटी सी खोट भी रह जाएगी। तो हमारी सरकार इनके उत्थान के लिए हर संभव उपाय कर रही है और इन लोगों की तरक्की हो रही है। एक निवेदन मैं और करना चाहती हूं कि छेदी लाल साथी की रिपोर्ट पेश की गयी है उसमें कुछ जातियों को हरिजन जातियों में शामिल करने की बात की गयी है तो उस पर विचार करके उनको शामिल कर लिया जाय ताकि उन्हें जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री मूल चन्द—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझको हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह बजट हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का है, बड़ी खुशी की बात है लेकिन इसके साथ-साथ दुख भी होता है। एक तरफ खुशी होती है और एक तरफ दुख होता है। दुख क्या है, दुख यह है कि हरिजन कल्याण के नाम पर कितने और लोगों का कल्याण हो रहा है यह सभी लोग जानते हैं। मान्यवर, स्पेशल कांपोनेंट प्लान के अन्तर्गत, जब यह योजना बनी तो 50 प्रतिशत छूट की धनराशि के नाम पर इनके ग्राम विकास अधिकारी ने जाकर गांव के लोगों में

प्रचारित किया कि 50 प्रतिशत छूट पर तुमको रुपया मिल रहा है, 6 हजार रुपया ले लो। 10 रुपये रोज मजदूरी करने वाला इनकी साजिश में आकर पीछे-पीछे चलने लगा। आय प्रमाण-पत्र और जाति प्रमाण-पत्र के लिए 50 रुपये लेखपाल ने लिए और 3 रोज दौड़ाया। उसकी तीन दिन की मजदूरी भी गयी। तो इस तरह से सवा सौ रुपये में उसका जाति और आय प्रमाण-पत्र बना। नो ड्यूज सर्टीफिकेट बनवाया तो कम से कम 50 रुपये और लगे। फिर फोटो खिचवाया और फाइल तैयार करवायी तो 50 रुपये इसमें लगे। बेचारा तीन महीने तक ग्राम विकास अधिकारी के पीछे-पीछे घूमा और कर्ज लेकर उसको मलाई खिलाई। उसके बाद लोन स्वीकृत हुआ तो कहा जाता है कि रजिस्टर्ड फर्म से सामान खरीदिये। कर्जा हमारा, हमारा रुपया, हमारे नाम स्वीकृत हुआ और दूकान इनकी है। यह मजे की बात है और वह दूकान ऐसी है कि ओरीजनल एक भी सामान नहीं। दूकान रजिस्टर्ड है लेकिन एक भी सामान ओरीजनल नहीं।

तो मान्यवर, माफ कीजिएगा, उसको कमीशन अलग देना पड़ा, मजदूरी 3 महीने की गयी। यह बैंक मैनेजर, जो बैंक पाक साफ संस्था माने जाते थे, यह इस योजना के अन्दर रिश्वतखोर बन गये हैं। बी0 डी0 ओ0, ग्राम विकास अधिकारी ने दूकान से कमीशन ले लिया, ओरीजनल सामान नहीं मिला और दूकान चली नहीं तो उसका रेजल्ट क्या होगा वह आदमी फिर साहूकारी के चंगुल में आ गये। पंडित जी उससे मजदूरी करायेंगे। रोजगार उस व्यक्ति ने किया नहीं, मजदूरी किया नहीं और उसके कर्जे पर इस बीच चक्रवृद्धि ब्याज लगा। कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर गांव पहुंच गये और उस गरीब को पकड़ लिया। मैनेजर कहने लगे कि सरकार का वसूली का आदेश आया है इसलिए पकड़ा गया है। पंडित जी को मजदूर की जरूरत थी तो वह आ गये और कहने लगे हमारे आदमी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा एक हजार रुपया ले लीजिये छोड़ दीजिये। तो पंडित जी ने 100 रुपये अमीन को दिये और रसीद प्राप्त किया। 100 रुपये रिश्वत दिये उस गरीब से कह दिया कि तुमको छुड़ाने के लिए 1100 रुपये दिये हैं। पंडित जी ने कहा तुम हमारे आदमी थे इसलिए तुमको छुड़ा लिया है। तुम हमारी जिन्दगी में जेल नहीं जाओगे। पंडित जी कहने लगे तुमको छुड़ाने के लिए 10 रुपया सैकड़ा कर्जा काढ़ कर लाया हूं। बेचारा गरीब जिन्दगी भर उस कर्जे को भरेगा। एक तरफ कोआपरेटिव बैंक का कर्जा दूसरी तरफ पंडित जी का कर्जा वह बेचारा बंधुआ मजदूर हो गया। तो यह इनकी हरिजनों को कल्याण करने की योजना है। मान्यवर, यह देखिये 23 हरिजनों के आवेदन-पत्र आये हैं।

(माननीय सदस्य ने एक कागज दिखाया।)

मान्यवर, इन्होंने रिश्वत भी दे दिया। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम में 23 हरिजनों की फाइल पड़ी है। लेकिन छूट की धनराशि नहीं आ रही है? एक हजार रुपया मांग रहे हैं। क्या आप इसकी जांच करायेंगे। मान्यवर, मैंने एक शिक्षा के मामले में सवाल पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट बनारस में कितने हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज हैं। इन्होंने बताया कि 221 जूनियर हाई स्कूल और इन्टर कालेज 175 हैं। मैंने पूछा था कि कितने हाई स्कूल और इन्टर कालेज हैं जिनमें हरिजन छात्रों के नाम बैंक में खाता खोला है। तो बता रहे हैं कि 107 कालेजों का बैंक खाता खोला गया है और 38 कालेज में खाता नहीं खोला गया है।

हमने जब पूछा कि ऐसे कितने छात्र हैं जिनकी परीक्षा समाप्त हो जाने के

बाद भी छात्रवृत्ति नहीं दी गयी, तो इन्होंने कहा कि जिन-जिन कालेज से आवेदन-पत्र आया है, स्वीकृत हो गया है और यह बताया कि 221 जूनियर हाई स्कूल जिले में हैं और 175 हाई स्कूल इण्टर कालेज जिले में हैं, जिसमें से 107 हाई स्कूल इन्टर कालेज में खाता बैंकों में खोले गये हैं और 38 कालेज ऐसे हैं, जहां कि नहीं खुला है और पैसा जो है, स्वीकृत हुआ है, लेकिन दिये नहीं, वहां पर लड़के आते-जाते परेशान हैं। मान्यवर, यह हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग और न होता, तो ये हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की मन्त्री न होतीं। एक तो जैसे हरिजन कमजोर हैं, उसी प्रकार से ये भी कमजोर मिनिस्टर हैं और मान्यवर, जैसे हरिजन विभाग सो रहा है, उसी प्रकार से ये भी सदन में आकर सोती हैं। तो मान्यवर, इस समाज का कैसे कल्याण होगा ?

श्री अमिताभ लवानियां--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने हरिजन एवं समाज कल्याण के सर्वांगीण विकास के लिए जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान लागू किया है, उससे हरिजन, गरीब, निर्बल वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा और उनके विकास और उत्थान के लिए जो मार्ग प्रशस्त होगा, उसके लिए हमारी माननीया मन्त्री जी धन्यवाद की पात्र हैं। मान्यवर, हमारे हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो योजनाएं, परियोजनाएं धरातल पर लागू की गयी हैं, कार्यान्वित की गयी हैं, वह अपने आप में एक बड़ा महत्व रखती हैं। जो विधवायें हैं, निराश्रित हैं, उनकी पेंशनों में वृद्धि की गयी है और जितनी संवासिनी हैं, उनके भरण-पोषण के लिए, सैनिकों और युवकों के लिए जो नये-नये कार्यक्रम लागू किये गये हैं, वह अपने आप में बड़े ही सुन्दर हैं। हमारी माननीया मन्त्री जी उसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। यह हमारे उत्तर प्रदेश में विशेष महत्व रखते हैं, इससे हमारे उत्तर प्रदेश के हरिजन, गिरजन लोगों को फायदा होगा।

मैं मान्यवर, माननीया मन्त्री जी को कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद आगरा में तहसील बह मुख्यालय से 150 किलो मीटर दूर है। मैं आपके माध्यम से माननीया मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जब गरीब, मजदूर, हरिजन, बेरोजगार बालक जब डेढ़ सौ किलो मीटर दूरी पर, मुख्यालय पर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो नीतियां हैं, उनका फायदा उठाने के लिए पहुंचेगा, तो उसके ऊपर काफी आर्थिक दबाव पड़ता है और दबाव के साथ उसके समय की भी काफी बरबादी होती है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वह या फतिहाबाद में एक उप कार्यालय खोलवायें, ताकि जो योजनाएं चल रही हैं, जो नीतियां चल रही हैं, वहीं पर वह उससे फायदा उठा सकें। डेढ़ सौ किलो मीटर उसको आना जाना न पड़े। मान्यवर, आगरा में एक चर्म विकास विपणन निगम चल रहा है, जो गरीबों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है कि गरीब लोग उसके तहत अपना व्यापार आगे बढ़ा कर काम कर सकें और फायदा उठा सकें।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस निगम की ओर ले जाना चाहता हूं कि उसका फायदा गरीब लोगों को न मिल कर, कुछ राजनैतिक दबदबेदार लोगों को मिल रहा है। इस निगम में पिछले दो साल से जो अनियमिततायें बरती जा रही हैं, अगर माननीया मन्त्री जी इसकी जांच करावें, तो काफी लोग इसमें दंडित होंगे और जो इसकी वस्तु स्थिति वह सरकार के सामने आ जायगी।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी को तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था, आगरे

के अन्दर चर्म नगर की घोषणा की थी। इस चर्म नगर के माध्यम से आगरा जनपद के जितने भाई हैं, उनको इससे काफी फायदा होगा और उनको अपने व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मान्यवर, मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना के तहत जो गरीब भाई हैं जिनको इन योजनाओं से फायदा उठाने में कठिनाई होती है, उनके लिए बाह या फतिहाबाद में एक उप कार्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

मान्यवर, आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा दीदी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, आज निर्बल, दुर्बल और बगैर घर के भूखे नंगे लोगों के भाग्य का फैसला आज माननीय सदन कर रहा है, जिससे इसमें जो भी सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, वह आबादी को देखते हुए कम है। मान्यवर, कभी हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को बौद्धिक विकास करने का मौका नहीं मिला। अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं, तो देखेंगे कि जो महर्षि बाल्मीकि थे, उन्होंने इतना बड़ा ग्रन्थ लिखा, जिसको बाल्मीकि रामायण कहा गया। इसी तरह वेद व्यास ने श्री मद भागवत ग्रन्थ की रचना की, जो जाति के धीमर थे। डा0 अम्बेदकर ने भारत का संविधान लिखा। लेकिन इतनी बुद्धि की परख होने के बाद भी, जब से कांग्रेस आई है, जो किताबें इन्होंने लिखी हैं, उन्हें इस बजुंगवादी कांग्रेस ने किसी को पढ़ने को दूर रहा उन किताबों को छुआ तक नहीं जाता है।

अब मान्यवर, मैं जो प्रोग्राम इनके दिए हुए हैं, उनके सम्बन्ध में कहूंगा। एक योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है, इसमें इन्होंने हरिजन, निर्बल और गरीब लोगों के लिए भैंसें, गायें, और व्यापार के लिए चीजें खरीदने की बात कही हैं। अगर हम देखें तो जितना भ्रष्टाचार इस विभाग में व्याप्त है इतना किसी और विभाग में नजर नहीं आता है। वैसे तो सारे विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन इस विभाग में कुछ ज्यादा ही भ्रष्टाचार है जो सुविधा मुहैया करने की बात कह रहे हैं, वह वोट लेने के लिए है, घड़ियाली आंसू बहाकर वोट लेने के लिए। यह कागजी आंकड़ों में ही सुविधायें दे रहे हैं। मान्यवर, जब एक गरीब हरिजन अपने भैंस के लिए, व्यापार के लिए लोन की बात करता है, लोन लेने जाता है, तो इस बीच इतने बिचौलिए और दलाल लगते हैं कि अगर उसका दो हजार रुपया मन्जूर हुआ है, तो मुश्किल से एक हजार रुपया उसे मिल पाता है। मान्यवर, संवासिनी की बात कही गई, माननीय रामगोविन्द चौधरी ने कानपुर की संवासिनी गृह का मामला उठाया था, उसको देखा जाए। हरिजनों के आरक्षण की बात कही गई, तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी किसी भी विभाग के कोटे की जांच करवा लें...

किसी विभाग में हरिजन कोटा पूरा नहीं है। इसके साथ साथ हरिजन उत्पीड़न, और हरिजनों के अत्याचार को उत्पीड़ कहना चाहता हूं। 1984 में सबसे अधिक हरिजन उत्पीड़न देश में उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारे यहां बांदा जनपद में 2 हरिजनों की हत्या हो गई। हमारे जिले के विधायक राम सजीवन जी इस चीज को सदन में उठाने की बात कही लेकिन कोई भी बयान सरकार का उस पर नहीं आया। इनके विभाग में जो जमीन खरीद कर, हरिजनों को पट्टे की बात है। इसमें बहुत भ्रष्टाचार है। बांदा जनपद में कोई जमीन खरीदी नहीं गई, जो खरीदी गई वह हरिजनों में वितरित नहीं की गई।

*श्री मोतीराम--

मान्यवर, हरिजन समाज कल्याण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये, विकास के लिये इस सरकार ने जो योजनायें बनाई, वह क्रान्तिकारी कदम है। उससे वह अवश्य आगे बढ़ेंगे। एक निवेदन मैं करना चाहती हूं कि इस विभाग के अन्दर जिन जातियों को लिया गया है, उसमें थारु, बुक्सा, भोटिया, राजी और जौनसारी हैं। हमारे यहां पूर्वी बंगाल से आये हुये कुछ बंगाली हैं। वह भी इसी जाति के हैं, उनको भी यह सुविधायें मिलनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि उन लोगों को जनजाति में शामिल किया जाय, वह जनजाति के लोग हैं। जो हमारी सरकार सुविधा इस जाति के लोगों को देती है, वह कम नहीं है। हमारे क्षेत्र में इससे पहले क्या दशा थी, कितने पिछड़े थे, लेकिन आज जो सुविधा हरिजनों को मिल रही है, उससे हमारे क्षेत्र हरिजन लोग अच्छी स्थिति में हैं। आज जो सुविधा दी जा रही है, मैं समझता यह बहुत अधिक नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसमें विशेष सुविधा देने के लिये क्रान्तिकारी कदम उठाया जाय। यह कांग्रेस और हिंदुस्तान के संविधान का अंग है, इसमें माना गया है कि इस जाति के लोगों को आगे उठाना है, महात्मा गांधी और पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरागांधी ने इसको माना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करें और अधिक से अधिक पिछड़े लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करें। भाषाओं में सब कहते हैं, लेकिन जब समाज में जाकर काम करने का प्रश्न उठता है तो समाज में जाकर कोई काम नहीं कर पाता है। मैं निवेदन करूंगा कि उस समाज में जाकर उनके उत्थान के काम करें। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात सही है कि जो बजट मंजूर किया जाता है, उसमें अनियमितता होती है, उसमें कोई ऐसी कमेटी बने, जिसके तहत इस बजट का सदुपयोग हो और सही लाभ उन लोगों को मिल सके। इन शब्दों के साथ में इस बजट का अनुमोदन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, बड़ी विडम्बना है कि जो लोग सदैव से समाज के शोषक रहे हैं, सदा से जिन्होंने समाज का शोषण किया है, आज वही रानी स्वरूप कुमारी बख्शी मंत्री हैं, समाज कल्याण विभाग की। जिन राजाओं, महाराजाओं ने सदा हरिजनों का शोषण किया, उनसे हरिजन समाज कल्याण की कल्पना कैसे की जा सकती है। मान्यवर, सत्तापक्ष के लोग हरिजन और समाज कल्याण की बात करते हैं, मान्यवर, आज जहां राजाओं के कल्याण की बात की जाती है, पुराने जमींदारों और तालुक्केदारों के कल्याण की बात-बात की जाती है उनके ही कल्याण की बात मुख्य रूप से जहां चल रही हो, उनसे समाज के दलितों और उपेक्षितों के कल्याण की बात करने सम्भव है। मान्यवर, वह गांधी जी ही थे जिन्होंने देश में हरिजनों के अधिकार दिलाने का काम किया। देश में गरीबों के लिये लड़े। उस समय यदि ये आधुनिक गांधी मौजूद होते, तो हरिजनों को कल्याण करने के बजाय इन्हीं राजाओं महाराजाओं को और अधिकार दे दिया गया होता। हमारी माननीय सदस्या ने कहा कि पुराने समय में हरिजनों के यहां बच्चा पैदा होता था, उसको वहां के राजा या ताल्लुकेदार के पास ले जाकर यह कहा जाता था कि एक गुलाम और पैदा हो गया। आज भी वही स्थिति है। यह बड़ा ही सम्वेदनशील विभाग है। इस विभाग का कार्य केवल सरकारी आंकड़ों से ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्भव नहीं है। केवल आदेश बनाने से ही सम्भव नहीं है। मान्यवर, यह बहुत ही सम्वेदनशील विभाग है, अन्तःकरण से जिसमें समाज के कल्याण की भावना होनी चाहिये। जरूरत इस बात की है कि दिल में हरिजनों के कल्याण की भावना होनी चाहिये। ऐसा कार्यक्रम चलावें कि उनको लाभ हो सके। आज योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लिये प्रचार, प्रसार किया जाता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी गहराई से इन योजनाओं को लागू करने का काम किया जाता है। एक बालाहार योजना चलाई गई थी। उसके माध्यम से गरीबों के बच्चों को बालाहार दिया जाता था। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि आहार के नाम पर जो बच्चों के लिये दलिया दूध मिलता है, वह जिले के अधिकारियों तक आते-आते आधा साफ हो जाता है। आधा पहुंचता है तो वहां के प्रमुख राजनीतिज्ञों में बंट जाता है। बच्चों को न दलिया पहुंचाया जाता है और न दूध। जब किसी अधिकारी या मंत्री का दौरा होता है देगची चढ़ा दी जाती है और दलिया पक जाता है। तो यह वर्ल्ड बैंक की जो परियोजना है कि बालाहार उपलब्ध कराया जाय, उसका सही इस्तेमाल किया जाय। मान्यवर, इसी प्रकार हरिजनों को मकान उपलब्ध कराने की बात है। संख्या बता देंगे कि 20 मकान तैयार हो गये, लेकिन ऐसे मकान बनते हैं कि एक बरसात भी झेल नहीं सकते। पुरानी लकड़ी उनमें लगा दी जाती है। दीवारों में नींव नहीं होती। कोई भी हरिजन वहां जाकर बरसात में बचने की उम्मीद नहीं कर सकता। फिर ये मकान आबादी से दूर बनाये जाते हैं। अगर सही माने में उनके पुनर्वास की बात है तो उनको धन उपलब्ध करा दीजिये ताकि वे जहां रहते हैं, वहीं मकान का निर्माण कर सकें। उनको ग्राम सभा की जमीन दीजिये। पैसा दीजिये ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार मकान बना सकें समन्वित विकास योजना में दुकान बनाने की बात है। दुकानें बनाई जाती हैं लेकिन उनको चलाने के लिये जो सुविधाएं होनी चाहियें, जो तकनीकी ज्ञान होना चाहिये, आर्थिक संसाधन होने चाहिये, वहां यह विभाग मौन हो जाता है। तो मान्यवर, सही माने में हरिजनों के पुनर्विस्थापन की बात है, तो यह जो काम चल रहा है इसका समय-समय पर पुनरीक्षण हो सही माने में ऐसा काम करें कि उनको लाभ हो सके। होता यह है कि आपकी योजनाओं से वे और कर्ज में डूब जाते हैं।

मान्यवर, आज जो निराश्रित संवासिनियों की स्थिति है वह दयनीय है जो समाज की उपेक्षित महिलाएं हैं, समाज में कहीं स्थान पाना चाहती हैं कि उन्हें संरक्षण मिले, तो वह उन्हें नहीं मिलता। उत्पीड़न के कारण उनमें से अनेक को मजबूर होकर भाग जाना पड़ता है। इन सारी चीजों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं इस बात की सराहना करूंगा कि इस भ्रष्ट समाज कल्याण विभाग के मौजूदा निदेशक का यह प्रयास है कि भ्रष्टाचार कम हो। उनके कार्यभार वहन के बाद अब तक जो चयन हुआ है, उसमें अपेक्षाकृत भ्रष्टाचार कम हुआ है। वे स्वयं चयन के समय बैठे। उनके कार्यों में शासन का सहयोग हो, अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग हो, तो निश्चय ही कार्य सही रूप से चल सकता है। मैं मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इन पिछड़े, दब लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करें, सजग रहें। मान्यवर, जनता पार्टी ने मण्डल आयोग का गठन किया था, मण्डल आयोग की सारी सिफारिशें आ चुकी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब का क्या कारण है जबकि उन सिफारिशों को लागू करने के लिये तमाम वर्गों से जन प्रतिनिधियों से जनता की ओर से बराबर मांग की जा रही है। मान्यवर, मण्डल आयोग की

सिफारिशों को पूरी तरह से अविलम्ब लागू किया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय हरीश जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती केप्रस्ताव का भरपूर समर्थन करता हू (धन्यवाद)

*श्री इन्द्रजीत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ब ट का समर्थन करता हूं । माननीय हरीश जी अपने कटौती के प्रस्ताव को न लाकर, हरिजनों और इन पिछड़े हुए लोगों के उत्थान, उनके विकास की बात चर्चा के रूप में कराते, तो ज्यादा उपयोगी होता । क्योंकि यह बजट हरिजनों के उत्थान, उनको आवास उपलब्ध कराने, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने, उन्हें रोजगार की सुविधा उपलब्ध करने, उनके बच्चों को शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने के निमित्त है । माननीय हरीशजी अपनी बात कटौती के प्रस्ताव के रूप में न रखकर, सुझाव के रूप में रखते, उनके हमें सुझाव मिलते, तो मैं उनका आभारी होता । जो वे कटौती, का प्रस्ताव लाये हैं, मैं उनका विरोध करता हूं । विभाग के द्वारा जो स्पेशल कम्पोनेंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये, 6 हजार से 20 हजार रुपये तक ऋण की व्यवस्था है । इसमें 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है । इस अनुदान के तहत जो गरीब लोग हैं, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये नाना प्रकार की वस्तुएं, पशु आदि उपलब्ध किये जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्र में, बैल, भैंस, तांगा आदि तथा शहरी क्षेत्रों में दुकाने बनाकर और अन्य रोजगार की चीजें उपलब्ध कराकर—रोजगार देने की बात है ।

मान्यवर, ऐसे कामों में जो शिकायतें मिलती हैं, उस पर अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । मैं बताना चाहता हूं कि 13 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गयीं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम से सम्बन्धित पुस्तिका सदस्यों को वितरित न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का जिक्र किया ।

मान्यवर, आज प्रातःकाल भी किसी माननीय सदस्य ने यह बात उठायी थी कि जिस मद में बहस होनी है, उसका पूरा साहित्य मिलना चाहिये । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का जिक्र किया, किसी भी रूप में किया, क्या उसका साहित्य माननीय सदस्यों में वितरित कराया गया ?

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि वह साहित्य माननीय सदस्यों को नहीं मिला । इसलिए मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी जानबूझकर विभाग के उस अंश को, तथ्यों को, छिपाना चाहती हैं, जिस निगम में गम्भीर भ्रष्टाचार व्याप्त है । डेढ़ करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार काआरोप मैं ही सदन में लगा चुका हूं ।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी, मन्त्री, हरिजन समाज कल्याण द्वारा एक पुस्तिका को हाथ पर लेकर दिखाने पर मेजों की थप-थपाहट)

मान्यवर, अगर मिला है तो आप उस पुस्तक को अपनी पीठ पर मंगवा लें । मुझे यह पुस्तिका पत्रकारों से मिली है । पीजन होल में यह पुस्तक नहीं रखी गयी थी । क्यों नहीं रखी गयी थी, इसके कारण मैं बाद में बताऊंगा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आप उस पुस्तिका को मंगवा लें जिसे माननीया मन्त्री जी दिखा रही थीं इस आदरणीय सदन में। आप उसे देख लें, जिससे मेरी बात की सत्यता प्रमाणित हो जायेगी। मैं जिस पुस्तक की बात कह रहा हूं वह है उत्तर प्रदेश अनुसूचित वित्त विकास निगम। यदि यह पुस्तक माननीय सदस्यों को बंटी है तो इसके सबसे पहले साक्षी आपके सचिव हैं। आप सचिव से पूछ लीजिये कि क्या वह पुस्तक माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी है? बजट का जो साहित्य बांटा जाता है, उसके वितरण के लिये वहां पर एक रजिस्टर होता है। उसे विभाग रसिव करता है और उसके बाद उसे पीजन होल में डाला जाता है। मान्यवर, यदि यह पुस्तक माननीय सदस्यों में बांटी गयी है तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया। उस पर माननीया मन्त्री जी जो सन् 1974 से इस आदरणीय सदन की सदस्या रही हैं, ने खड़े होकर दोनों हाथों को नचा-नचा कर पूरे सदन में एक पुस्तक दिखा कर कहा कि यह साहित्य वितरित हुआ है। पहले तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी इस सदन के अन्दर इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं सदन की मर्यादा बढ़ाने की बात कह रहा था। इस प्रकार का प्रदर्शन करने से पहले उन्हें आप से अनुमति लेनी चाहिये थी। यदि कोई कैबिनेट स्तर का मन्त्री इस प्रकार का प्रदर्शन करता है, तो उससे इस सदन का स्तर गिरता है। यह बड़े अफसोस की बात है। चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों या फिर उधर के बैठने वाले लोग हों, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिये। अगर इसे नजरअन्दाज कर भी लिया जाय कि माननीय मन्त्री जी ने एक किताब का प्रदर्शन सदन में किया। मेरी निश्चित जानकारी है कि वह जो किताब है, वह, वह किताब नहीं है जिस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। जिस किताब का जिक्र किया गया था वह अनुसूचित वित्त विकास निगम से सम्बन्धित था, परन्तु माननीय मन्त्री जी ने जो पुस्तक दिखाई वह हरिजन कल्याण विभाग की कार्य पूर्ति दिग-दर्शिका 1985-86 है। एक तरह से माननीय मन्त्री जी ने सदन को साफ-साफ गुमराह किया है। क्या ये समझती हैं कि यहां बेवकूफ लोग बैठे हैं (शेम-शेम की आवाज) वह जो पुस्तक दिखाई गयी है, सदन के संज्ञान में बात आयी है। इसे आप सबने देखा है। वह किताब साहित्य उन्होंने बंटवाया है यह साफ-साफ सदन के संज्ञान में लाकर गुमराह किया गया है मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखता हूं क्योंकि यह सदन के संज्ञान में बात आ गयी है।

(अत्यधिक शोर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया बैठें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

आपने मुझे बुलाया है....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मेरी बात सुन लीजिये पहले, जब मैं खड़ा हुआ हूं तो यह व्यवस्था के अन्तर्गत है कि सभी माननीय सदस्य बैठ जायें। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी इसमें....

(पहले किताब मंगवा लीजिये की आवाजें)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

जब तक यह किताब नहीं पहुंचेगी आपके पास आपको मालूम नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा साहित्य दिखाया था। यह किताब आपके पास....

(शेम-शेम की आवाजें)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन को गुमराह करने का मामला बनता है। इसलिये आप पुस्तक को मंगाकर अपने सचिव से दिखवा लें....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैं तो बोल रहा था मान्यवर, आपने....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे बोलने की आज्ञा दी जाय....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये कृपया।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय मन्त्री जी को एक बार मां कह दिया था, हालांकि वह मां के बराबर हैं, लेकिन वह नाराज हो गयी थीं, अब कह रहा हूं नाराज मत हो जाइयगा। बात अधूरी रह गयी थी, मैं उस अधूरी बात को पूरा कर रहा हूं क्योंकि शत्रुघ्न जी का नाम ले लिया था आपने मैंने उन को सम्मान दिया, मौका दिया। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जब मैं राज्य मन्त्री का भाषण सुन रहा था, निगम को सुनते हुए यह साहित्य, एक हमारे मित्र थे, उनके द्वारा मिल गया, किसी तरह से, जितनी बुद्धि है उतना समझता हूं....

(हंसी)

वह पुस्तक मैंने आप को दिखाई, आदरणीय सदन को वह नहीं बांटी गई है और जानबूझकर माननीय मन्त्री जी ने अपने विभाग के साहित्य को छिपा लिया क्योंकि करोड़ों का जो घपला हुआ कोई सदस्य उसे जान न जाये, अपने पास से पुस्तक दिखाई और कहा कि यह पुस्तक बंट गई है, यह उन्होंने जानबूझ कर आदरणीय सदन को गुमराह करने के लिये किया। मैं जब बोल रहा था, शत्रुघ्न जी खड़े हुये और विशेषाधिकार की सूचना दी....नियम 63 क्या है। विशेषाधिकार कैसे लाया जायेगा तो मान्यवर, मैं इसको पढ़ दूं। नियम 63 में यह है कि--

विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना--किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से--

(1) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,

(2) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा,

(3) याचिका द्वारा अथवा

(4) समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा :

परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।

मान्यवर, आप सक्षम हैं कार्यवाही करने के लिये। मैंने यह पुस्तक दिखाई और माननीय मन्त्री जी ने एक पुस्तक दिखाई कि यह बंट गयी है। मैंने अपनी पुस्तक भेज दी आपके पास। अगर वह पुस्तक जिसका उल्लेख किया गया है मेरे द्वारा अगर वह पुस्तक बांटी गई है तो मान्यवर, मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं लेकिन अगर वह नहीं बंटी है तो माननीय मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की बात प्रावधान में सही हो जाती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय शतरुद्र जी का प्रस्ताव आ गया है। मान्यवर, अब प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया यह है कि यदि यह आपके चैम्बर में दिया गया होता तो इसे आप विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर देते लेकिन मान्यवर, चूंकि यह मामला सदन के समक्ष हुआ है इसलिये सदन स्वयं सक्षम है कि--

*(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपकी बात सुन ली है।

(पुनः कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैंने जो व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है नियम 63 के अन्तर्गत आप पहले उस पर व्यवस्था दे दें फिर कार्यवाही चलायें। वह किताब आप पहले मंगवा लीजिये जो सदन में दिखाई गई है। जब तक आप किताब को मंगायेंगे नहीं तब तक साक्ष्य आयेंगे कैसे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है--

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी, आप कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी की बात सुनने के बाद जो बातें आपने कही हैं, सब चीजों पर विचार किया जायेगा। पुस्तक भी यहीं है और जो साहित्य बंटा है वह भी यहीं है। सबको मंगा लिया जायेगा और उस पर विचार किया जायेगा।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने और माननीय शतरुद्र प्रकाश ने जो प्रश्न उठाये हैं बहुत संक्षेप में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि जब माननीय राज्य मन्त्री अपने भाषण के दौरान अपनी बात को कह रहे थे तो कोई बात उन्होंने कही उसके बाद राजेन्द्र गुप्त ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। जिसके सम्बन्ध में उन्होंने बात कही थी उसी के सम्बन्ध में उन्होंने अपनी व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि वह साहित्य माननीय सदस्यों को नहीं बांटा गया है। बजट में इन्टरनवीन करते हुए हम लोग सीमाओं में रहेंगे और जो साहित्य बंटा है क्या उस तक हम सीमा में रह कर अपनी बात को कह सकेंगे? मान्यवर, यह बात मेरी व्यवस्था के सम्बन्ध में है। यह सारी बात की शिकायत ऐसे ही हुई थी। माननीय मन्त्री जी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। राजेन्द्र गुप्ता जी की बुद्धि बहुत काम करती है, वे तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, क्या गुप्ता जी इस बात से इन्कार करेंगे कि उन्होंने ही सबसे पहले पुस्तक उठा कर सबके सामने यहां सदन में नहीं दिखायी थी?

मैं मान्यवर, इस बात से सहमत हूं कि हमको आपको इस सदन में नियमों और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्पराओं के अन्तर्गत बंध कर रहना चाहिये, किसी को किसी बात के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। लेकिन हम उन परम्पराओं का पालन कहां तक कर पाते हैं ? कहां पर किस सीमा तक हम इसका उल्लंघन कर कहां तक पहुंच जाते हैं ? मान्यवर, आज सुबह की बात आपको स्मरण ही होगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

उस बात का इससे क्या सम्बन्ध है ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मैं अपनी बात को पूरी कर लूं।

श्री अधिष्ठाता--

हां, आप कहिये।

श्री हुकुम सिंह--

मेरी बात आपको मान्य हो या न हो लेकिन मेरा आग्रह मान्यवर आपसे है कि किताब को हम चाहे इस तरह से दिखायें या उस तरह से दिखायें, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अगर विशेषाधिकार के अवहेलना की बात आती है, यदि आप कड़ाई से नियमों का पालन करते हैं तो सबसे पहले माननीय गुप्ता जी, आपको इस सदन से क्षमायाचना करनी चाहिये। यदि माननीय मन्त्री जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पुस्तक को यहां दिखाती हैं तो आप उसका उदाहरण पहले प्रस्तुत कर चुके होते हैं।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि विशेषाधिकार के प्रश्न को यहां माननीय शतरुद्र प्रकाश लाये हैं, वह बड़े भारी अध्ययनशील व्यक्ति हैं, बहुत सी अपेक्षायें हम लोगों को उनसे लगी हुई हैं। इन छोटी-छोटी बातों पर आप सदन का समय नष्ट न करें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने दोनों तरफ की बातों को सुन लिया है।

(व्यवधान)

आप लोग कृपा करके बैठें। माननीय सदन में विचार चल रहा है और इसमें सभी माननीय सदस्यों को अपनी-अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है माननीय मन्त्री जी जो कुछ कह रहे थे उसको मैंने ध्यान पूर्वक सुना। मैं हर मंत्रालय से, हर मन्त्री से अपेक्षा करता हूं कि समय पर हिन्दी में सारी सामग्री दे दी जाय। जहां तक इस प्रकार की व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी के बोलने के बाद अब कोई बात नहीं है।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग तथा अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग

(क्रमागत)

(5 बजकर 20 मिनट)

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने वालों के साथ-साथ (कई सदस्यों के एक साथ बोलने से घोर व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

किताब में मंगा रहा हूं। मैंने आपकी बात को मान लिया है और

माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूर्णतया अवगत हूं और इसीलिए मैं कहता हूं कि समय से सामग्री पहुंचा दें।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

जिन लोगों ने सब कुछ कहने के बाद यह कहा कि मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं उन्होंने भी मेरी ही बातों का समर्थन किया। मान्यवर उस ओर से जिन लोगों ने कहा कि कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस हरिजन समाज कल्याण विभाग के लिए जो अनुदान धनराशि निर्धारित की गयी है, कम है, बढ़ायी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे। इस विभाग के प्रति कटौती प्रस्ताव लाने का कोई कारण नहीं था यदि इस विभाग द्वारा जो भी धन है, सही लाभार्थियों के पास पहुंच जाता स्थिति इसके विपरीत होने के कारण ही कटौती को लाने की आवश्यकता पड़ी है। मैं सुझाव के कुछ बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं। मन्त्री जी जरा इन बातों पर ध्यान दें। अभी भी मन्त्री जी ध्यान नहीं दे रही हैं, पिछली बातों पर उनका ध्यान है।

(श्री महरम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

महरम जी, अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ कहा उसके बाद में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने वालों के बाद जिन्होंने विरोध की बात कहीं, सब ने कहा कि हरिजन, अनुसूचित जाति के काम के साथ जो समाज कल्याण का काम उसके साथ जुड़ा हुआ है, वह उपेक्षित सा होता जा रहा है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण निदेशालय को अलग कर दिया जाय और उसके माध्यम से चलने वाली योजनाओं को संचालित करने की व्यवस्था की जाय। मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो भी धन समाज कल्याण के नाम पर आवंटित होता आया है, उसकी पर्याप्त धनराशि लैप्स हो जाती है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को मालूम होगा कि 1980-81 में जो धनराशि आवंटित थी 41 लाख उसमें लैप्स हुई है। इसी तरह से 1982-83 में जो धनराशि आवंटित थी। 135 लाख उसमें से लैप्स हुई है। 1983-84 में धनराशि आवंटित थी उसमें 82 लाख लैप्स हुई है।

मान्यवर, इस तरह से बराबर होता रहा। समाज कल्याण पर जो धन आवंटित होता है उसका उपयोग नहीं होता है। निदेशालय अलग नहीं है उसके अधिकारी कर्मचारी अलग न होने के कारण यह समाज कल्याण उपेक्षित है। मान्यवर, इसी तरह से असहाय और वृद्धों को 60 रुपया माहवार पेंशन दी जाती है, यह आज की महंगाई में बहुत कम है। मान्यवर, 60 रुपये में किसी असहाय वृद्ध का क्या काम चल पायेगा। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस 60 रुपये को बढ़ाकर 100 रुपया माहवार कर दिया जाय। इसी तरह से विकलांग भी उसमें आते हैं। सैनिक कल्याण के नाम पर जो धनराशि आवंटित है, वह कम है। मान्यवर, मन्त्री जी बिलकुल ध्यान नहीं दे रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी आप सुन लें।

श्री हरिशचन्द्र हरीश जी—

एक मान्यवर, कर्नल केशरी सिंह जी हैं, जो कांग्रेस आई के टिकट से

चुनकर आये हैं, वह सेना के एक बड़े अधिकारी रहे हैं उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण के लिए जो धनराशि आवंटित की गयी है, वह बहुत कम है। मेरी बात का उन्होंने समर्थन किया है परन्तु अन्त में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मजबूर थे। लेकिन जो सैनिकों के कल्याण की धनराशि कम निर्धारित की गई है इसको मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सैनिक कल्याण की धनराशि को बढ़ाने की कृपा करें।

मैंने एक बात कही। एक अनुरोध मान लीजिये, बांसी ब्लाक के अन्दर मियाज्योति नाम का गांव है, जिसमें 35 घर ब्राह्मण लोगों के हैं और उन सभी घरों के लोग सेना में काम कर रहे हैं, कुछ भूतपूर्व हैं और कुछ वर्तमान हैं। वह राप्ती की बाढ़ के संकट में हैं। मेरा निवेदन है कि एक रिंग बांध बनाकर उनकी बाढ़ से सुरक्षा की जाये।

मैं संवासिनी गृह, बाल गृह और बालबाड़ी के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह सब ऐयाशी के अड्डे बने हुए हैं और दूसरे लोग मौज करते हैं। मैं चाहूंगा कि विधान सभा की एक कमेटी बना दी जाये जो इन सब जगहों पर जाकर स्थिति की जांच करे। तो मैं समझता हूं कि सही चित्र आपके सामने आ जाएगा।

महिला शौचालयों की बात अभी सामने आयी और इस पर सभी लोगों ने चिन्ता व्यक्त की है। माननीय मंत्री जी मां हैं, महिला हैं और महिलाओं का यह कष्ट देखना हो तो लखनऊ के बाहर गांवों में चले जाइए। डाक्टर कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें था कि गांव में शहरों की अपेक्षा महिलायें अधिक बीमार रहती हैं, उनकी संख्या अधिक है। किसी भी समय उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। मान्यवर, कभी दिन में जब जाना पड़ता है तो वह नहीं जा पाती हैं, यह सभी लोग जानते हैं, तो उनको रोग नहीं होगा तो क्या होगा। एक मां इस विभाग की मंत्री हैं। मैं कहूंगा कि महिलाओं के प्रति वास्तव में दर्द है। आप इसकी जांच करा लें और महिलाओं शौचालय बनवाने का प्रबन्ध करें।

इसी तरह से मान्यवर, आपने कहा कि असहाय और विकलांगों की संख्या गांव में 5 होगी और 60 वर्ष से ऊपर के बूढ़े लोगों की संख्या 5 होगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर एक गांव में इनकी संख्या 10 होगी। एक लाख गांवों का उत्तर प्रदेश है, तो इनकी संख्या 10 लाख होगी, तो जो धनराशि आवंटित की गई है, वह बहुत कम है। आप विधान सभा की एक समिति बना दें जो हर ब्लाक के 10-10 गांव को छांट ले और फिर पता चल जायेगा कि एक-एक गांव में असहाय, विकलांग और 60 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या कितनी है। उनकी संख्या का पता चल जाएगा और उसके अनुसार सहायता दी जाए जिससे उनका दुख और दैन्य समाप्त किया जा सके।

मान्यवर, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की सं0 60 प्रतिशत है और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें 60 प्रतिशत में 55 प्रतिशत उनकी संख्या है जो अनुसूचित जाति जन जाति और विमुक्त जाति के कहलाते हैं, मान्यवर, उनपर जो भी कर्जा है, उसे माफ कर दिया जाये। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी शासन को इस बात की संस्तुति करें कि इस वर्ग का जो सरकारी कर्जा है उसको माफ कर दिया जाये। मैं आपके माध्यम से राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं--

नारी जीवन हाय,
तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध,
आंख में पानी

मान्यवर, इनकी एक पौष्टाहार योजना है, उसमें जो भी दूध आदि आता है वह इनके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं, वह खा जाते हैं, उनके बच्चे खा जाते हैं और जो गरीब धात्री मां का स्तन बच्चे चूसते-चूसते उनको रोगी बना देते हैं, आप उन महिलाओं की ओर ध्यान दीजिए, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं....।

इसके साथ ही साथ में कहना चाहूंगा कि हरिजनों को ऋण या अनुदान जो कुछ दिया जाता है बिचौलिये उसको खा जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि लाभार्थी को सीधे चेक देने की व्यवस्था की जाय। सारे बिचौलियों को हटा दें। डाक्टर क्या करेंगे ? जिस लाभार्थी को भैंस चाहिए, वह स्वयं उसे देख लेगा। वह जानता है कि कौन भैंस ठीक है, कौन घोड़ा ठीक है, कौन गाड़ी ठीक है। लाभार्थी को सीधे माल पहुंचा दें। वे स्वयं माल के दाम तय करेंगे। इसको आप सीधे चेक के द्वारा दे दें। सारे कर्मचारियों को ब्लाक के कर्मचारियों को हटा दें डाक्टर को हटा दें। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मेरे पास कुछ लोग आये थे। उन्होंने कहा कि हमें उस ब्लाक में पहुंचा दिया जाय। मैंने उनसे दो सवाल किये कि वे वहां क्यों जाना चाहते हैं ? पता चला कि यह वही ब्लांक है जहां हरिजनों को भैंस दी जाती है।

इसलिए वे वहां जाना चाहते हैं। यदि आप बिचौलियों को हटा देंगे और यह व्यवस्था कर देंगे कि सीध धनराशि लाभार्थियों को मिल जाय चेक द्वारा, तो यह बहुत अच्छी बात होगी।

भाई मूलचन्द जी ने 19 लोगों की दरख्वास्त का ब्योरा दिया है। 19 लोगों की दरख्वास्तें शासन के पास आई हैं, फोटो भी खिंचवाई हैं हलफनामा भी लगाया है, इसको आप करवा दें। कानपुर में सिंहपुर में जिन 19 लोगों की दरख्वास्ते इस तरह से जो ब्लाक में पड़ी हुई हैं, उनको शासन निस्तारित करने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त एक-दो लोगों ने कुछ छींटें भी कसनी चाहीं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हरिजनों के साथ भोजन करें तो हम जानें। यह बात कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी बात है। जहां हरिजनों के कल्याण और उत्थान की बात चल रही है वहां उनके साथ भोजन करने के लिए कोई इन्कार नहीं करेगा। अगर करेगा तो वह संविधान के विरुद्ध है। बल्कि नैतिकता और धर्म का विरोध करेगा। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में जो भी जीवित रह रहा है चाहे वह किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, वह सब एक हैं। छुआछूत उसके लिए अपराध है, ऊंच नीच की भावना उसके लिए अभिशाप है। इसको दूर होना चाहिए। मान्यवर, काफी समय लगेगा। मान्यवर, कानपुर की एक बस्ती में जहां लोग मैला ढोने का काम करते हैं, वहां रहते हैं। मैं तब मंत्री था। मुझे वहां एक बार भोजन के लिए बुलाया गया। मेरे साथ विभाग के अधिकारी भी वहां गये। वहां जाते समय अधिकारी ने नाक में रुमाल लगा दिया मैंने हाथ से उनके नाक से रुमाल हटा दिया और उनके साथ वहां बैठकर भोजन किया। यदि हम महात्मा गांधी के बताये हुए उसूलों पर चलें तो कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है सभी अन्दर बराबरी का भाव हो जायेगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो यह बात कही गई, वह नहीं कहनी चाहिए थी।

कुछ लोगों ने वेदों की बात कही। वेदों की बड़ी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके बारे में मैंने पहले भी कह दिया था कि बहेलिया जिनको कहते थे, उनके घर में जन्म लेने वाले बाल्मीकि को किसी ने बहेलिया नहीं कहा बल्कि महर्षि बाल्मीकि कहा, धीवर

की कन्या से जन्मे वेदव्यास को किसीने धीवर नहीं कहा उनकी पीठ पूजी जाती है भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हरिजन के घर में जन्म लिया परन्तु उनको संविधान बनाने का अवसर मिला उस संविधान को सर माथे पर रखकर हमने स्वीकार किया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मूल भारतीय-संस्कृति में न कोई ऊंच है और न कोई नीच है, न कोई छूत है न अछूत है, वह तो विदेशियों ने हमारे यहां आकर हुकूमत करने के लिए बनाया, कांग्रेसियों ने उसे बढ़ाया। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा कि इसे मिटाने के लिए एक प्रोग्राम उठाया जाय। मैं आह्वान करता हूं। छुआछूत को मिटाने के लिए हम सब साथ आएं और मैं विपक्ष की ओर से आश्वासन देता हूं उसमें हम सब आपका साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी साथ देगी। इससे उस महामनिषी महात्मा गांधी जिनके चित्र को हम सुबह यहां आकर सिर नवाते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। एक पांच साला योजना बने और उस महायज्ञ में टोलियां बनाकर गांव-गांव जायेंगे और ऊंच-नीच को मिटायेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम सब शामिल होंगे। माननीय मंत्री जी को इस प्रकार का एक अच्छा प्रोग्राम बनाकर इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिए। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी सुझाव अधिक और आलोचना कम की और अब सुझाव दिए हैं और आशा करता हूं, मंत्री जी उन पर विचार करेंगी और जिस तरह से हरिजन, दुखी और पीड़ित वर्ग के कल्याण की बात कही गई है, जिससे 60 परसेंट लोगों के हितों की रक्षा होती है उन सुझावों को स्वीकार करेंगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात पूरा करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने दोनों पक्षों के विद्वान विधायकगणों के विचार सुने जो उन्होंने सदन के समक्ष रखे। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं मैं उनके लिए बहुत आभारी हूं। मैं उन सभी का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और सुन्दर-सुन्दर विचार रखे। यह बात स्पष्ट हुई कि हम दोनों तरफ के लोग इस बारे में एक हैं कि हमें भारतवर्ष से, अपने प्रदेश से छुआछूत को दूर करना है। हम इसे दूर करके रहेंगे जैसे झाड़ू से घर के कूड़े को साफ करते हैं। जिस देश में गंगा-यमुना की धारा बहती है उसमें चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब हो, रोगी हो या निरोगी हो सबको वह अपने आंचल में समा लेती है उसी गंगा की जल धारा में हम छुआछूत और जाति प्रथा के विष को खत्म करेंगे जिसमें हम सब एक हैं।

(व्यवधान)

आप बोल चुके हैं मुझे बोलने दीजिये। दोनों तरफ से यह भावना है कि हम देश के जो गरीब हैं, जो निराश्रित हैं, जो अक्षम हैं, जो विकलांग हैं उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। मुझे दिव्य दृष्टा विश्व के महाकवि जिनका नाम तुलसी दास है की एक पंक्ति याद आ गई है—

मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन,

जासु कृपा सूदयाल बसहु राम उर चाप धरि।

और इस बात को सामने रखकर कि जितने विकलांग हैं, हम लोगों का ध्येय और इच्छा है कि विकलांग, बधिर, मूक आदि को ऊपर उठायें।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है मंत्री जी ने अभी एक बहुत बड़े कवि का नाम लिया, तो मेरा कहना है कि वह

कवि नहीं संत थे और उन्होंने कहा है कि--

ढोल, गंवार शूद्र पशु नारी,
यह सब ताड़न के अधिकारी।

इस पर मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसीलिए मैंने दिव्य दृष्टा कहा है। संत दिव्य दृष्टा होता है।

मान्यवर, अपने ध्येय को साकार करने के लिए हमने बजट में उनकी आर्थिक विकास के लिये प्राविधान किया है।

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त जो विपक्ष के नेता हैं, मैं उनका आदर और सम्मान करती हूं और श्री शतरुद्र प्रकाश को मैं अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मैं तो आपके छोटे लड़के की तरह हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह तो आपने हमारा आदर किया है।

मान्यवर, विश्व में चाहे जहां जायं, बहिन अपने भाई की बहिन होती है, मां अपने बच्चों की मां होती है, बेटी अपने पिता की बेटी होती है। लेकिन भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें एक बहिन अपने एक भाई के लिये नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहिन है और एक औरत जब मां बनती है तो अपने बेटे की मां नहीं होती है बल्कि वह विश्व की मां का रूप धारण करती है।

(व्यवधान)

मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त या अन्य किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं।

मान्यवर, मैंने कोई प्रदर्शन करने की नीयत नहीं रखी है और यह बताने की कोशिश किया है कि पुस्तिका पीजन होल में डाली गई, लेकिन यदि नहीं मिली तो उसके लिए मुझे खेद है। यह अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम हरिजन कल्याण की पुस्तिका है 1985-86 जिसके पेज 61 देखें। मान्यवर, हरिजनों के उत्थान के बारे में विपक्ष से कहा गया है कि उत्थान में हमारी कांग्रेस पार्टी दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो मैं सदन को बताना चाहती हूं कि हरिजनों के उत्थान की कहानी यह है कि इस समय हमारे सत्ता पक्ष के जितने माननीय सदस्य में उनमें 75 विधायक भाई हैं और 57 जिलों में प्रहरी की तरह हैं। मुझे पूरा विश्वास है और आपके विपक्ष में 15 विधायक भाई हरिजन हैं।

मान्यवर, उसके अलावा विभिन्न मंत्रिपरिषदों में सारे भारतवर्ष की, बहुत से मंत्री हैं, विभिन्न प्रदेशों में और केन्द्र में मंत्री हैं, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० और आई० पी० एस० हैं। जो कोटा सर्विसेज में पूरा नहीं हुआ है उसको सबको पूरा करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे श्रीवास्तव जी ने कहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, शायद श्रीवास्तव जी आजादी के पहले की बात भूल गये, जब बंगाल में अकाल पड़ा था, तो उसमें 40 हजार लोग भूख से मरे थे। किन्तु तब से आज तक भारतवर्ष की आबादी 30 करोड़ से 60 करोड़ हो गई है, जिसका विवरण हमारे लोकपति त्रिपाठी जी अच्छी तरह जानते हैं और आजाद भारत में कभी-कभी 5-5 और 6-6 प्रदेशों में सूखा पड़ा, बाढ़ से तबाही आई, किन्तु भुखमरी से कहीं भी एक व्यक्ति नहीं मरा है। यह हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा एचीवमेंट है, हमारी कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा एचीवमेंट है।

छात्रवृत्ति के बारे में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को समय से छात्रवृत्ति मिले और जहां से हमें भ्रष्टा-

चार की सूचना प्राप्त हुई है, हमने उसके विरुद्ध ऐक्शन लिया है। 12 समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा रहा है और निगम में भी 13 व्यक्तियों-अफसरों को हमने सेवा-निवृत्त किया है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप हमारे सामने कोई भ्रष्टाचार का केस लायेंगे तो हम अवश्य ही उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे, लेकिन जब हम एक्शन लें भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उसके ऊपर आपकी सिफारिश न हो। इन शब्दों के साथ में आपसे अनुरोध करती हूं कि विधवाओं, विकलांगों गरीबों, अनाथों और गरीब हरिजनों का जो हम उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप हमें अपना पूरा सहयोग दें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, यह इस सदन का सौभाग्य है कि यह (मंत्री जी) रूलिंग रेस में पैदा हुई हैं और वह साक्षात सरस्वती का औतार स्वरूप मंत्रिमंडल में रही हैं। पिछली बार भी बस्ती जनपद में छात्र-वृत्ति को लेकर आडिट हुआ था जिसमें 5-6 लाख का घपला पकड़ा गया था और उसी प्रकार का घपला आजमगढ़, बलिया, गोंडा व वाराणसी में भी पकड़ा गया था। इन घपलों को जिसने पकड़ा था, लोहा प्रसाद जी ने उन्हें तो मुअत्तल कर दिया गया और आश्वासन के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अन्त में मैं महान् सन्त तुलसीदास जी की निम्न पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं :—

"फूलहिं फलहिं न बेंत,
यद्यपि सुधा बरसहिं जलद।
मूरख हृदय न चेत,
जब गुरु मिलहिं विरंचि सम।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हों, चाहे श्रीपति मिश्र जी हों या फिर चाहे नारायण दत्त तिवारी जी हों, इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री देवकुमार यादव के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय देव कुमार यादव जी, माननीय दीदी जी के सारगर्भित भाषण के बाद कुछ स्पष्टीकरण के लिए रह ही नहीं गया है, जो आप खड़े हैं।

क्या माननीय हरीश जी, आप मंत्री जी के आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री हरिश चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, अपना प्रस्ताव मैं सदन के सामने रखते हुये यह चाहूंगा कि हमारे कटौती के प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर ले। मैं एक निवेदन करूंगा, मैं जानता हूं कि बहुमत के आधार पर, मन इधर है लेकिन हाथ उस ओर उठ जायेंगे, यह जानते हुये कि यह पैसा तो पास करा ही लेंगी लेकिन माननीय मंत्री जी, हमारे 16 सूत्री जो बातें रखीं एक का भी आपने ध्यान नहीं दिया और उत्तर इधर-उधर देती चली गयीं। मैं आशा करता हूं कि दूसरे माननीय सदस्य जो कि सरकारी पक्ष में हैं उनमें से कुछ लोग इन बातों को मंत्री जी को बता देंगे जिससे कि वह इन पर ध्यान देंगी। महिलाओं की बहुत बात उन्होंने की तो मान्यवर, एक आयोग बैठा दें जो महिलाओं की दुर्दशा का अध्ययन करें। माथे पर मैला ढोने की जो प्रथा है उसको समाप्त करें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79- सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घट कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79--सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81--हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,31,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता--

आज दिनांक 1-8-85 को नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । श्री राजेन्द्र गुप्त ने मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) में कलेन्डरिंग के समस्त कारखाने बन्द होने के सम्बन्ध में सूचना दी है । इसको स्वीकार किया गया और शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकृत किया गया ।

हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लास फैक्ट्री, इलाहाबाद में कार्बन डाई आक्साइड गैस से तीन मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद सफी-उर्रहमान अंसारी)--

मेसर्स हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास वर्क्स, बमरौली, इलाहाबाद में . . .।

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें ।)

श्री अधिष्ठाता--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय, गुप्त जी आप प्रश्न करें ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[दिनांक 15 जून, 1985 को कारखाने के पड़ोस के एक सोक पिट की सफाई कराये जाने के लिये एक श्रमिक श्री श्रीनाथ को एक झूले पर रस्सी की सहायता से उतारा जा रहा था । थोड़ी दूर नीचे पहुंचने पर श्री श्रीनाथ झूले से सोकपिट में गिर गये । इसकी सूचना तुरन्त कारखाने के

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों को दी गई जिन्होंने वहां पहुंच कर तुरन्त उस झूले की सहायता से एक अन्य श्रमिक श्री अभय राज को सोकपिट में उतारा। थोड़ी दूर उतरने पर वह भी झूले से सोकपिट में गिर गये। श्री राम सरोजन जो कि श्री अभय राज के सम्बन्धी थे वहीं पर उस समय उपस्थित थे और वह रस्सा के सहारे सोकपिट में उतरे तथा वह भी सोकपिट में गिर गये। कारखाना प्रबन्धक द्वारा एक व्यक्ति को फायर ब्रिगेड के कार्यालय भेजा गया। कुछ समय के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये और उन्होंने इस बात की जानकारी करने के लिये कि सोकपिट में कोई जहरीली गैस तो नहीं है एक जलती हुई लालटेन सोकपिट में उतारी जो कि बुझ गई, जिससे विदित हुआ कि सोकपिट में आक्सीजन गैस की कमी थी और कोई खतरनाक गैस मौजूद थी। जिसके कारण उपरोक्त तीनों श्रमिक बेहोश हुये तथा उनकी मृत्यु हुई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उन्हें रस्सी और कांटे की सहायता से बाहर निकाला और उनके शव पोस्ट-मार्टम के लिये भेज दिये। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

सोकपिट में इन श्रमिकों को उतारने के पहले कारखाने के मैनेजमेंट द्वारा यह जांच नहीं कराई थी कि उसमें कोई जहरीली गैस है या नहीं तथा उनको सुरक्षा हेतु सेफ्टी बेल्ट नहीं दी गई थी और ब्रीदिंग आपरेटस भी नहीं दिया गया था, जो कि कारखाना अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) का उल्लंघन था। इस उल्लंघन की ओर उप निदेशक कारखाना (उप मुख्य कारखाना निरीक्षक) द्वारा कारखाने के मैनेजमेन्ट का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत दिनांक 29-7-85 को न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है।

कारखाने के मैनेजमेन्ट की ओर से प्रत्येक मृत श्रमिक के आश्रितों को ग्यारह-ग्यारह हजार रुपये एक्स ग्रेसिया के रूप में दिये जा चुके हैं और उनके द्वारा प्रत्येक के परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। दो श्रमिक सर्वश्री श्रीनाथ और अभय राज कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते थे जिनके आश्रितों को राज्य कर्मचारी बीमा योजना द्वारा क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। श्री राम सरोजन के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की कार्यवाही उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है।]

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का यह बयान पढ़कर बड़ा दुःख होता है। यह मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया गया, परन्तु फिर भी प्रथम पंक्ति की आखिरी 4 लाइनें में पढ़ देता हूं कि इस फैक्ट्री में कितनी हृदय विदारक घटना हुई मान्यवर, जहां में सोकपिट था, उसमें जहरीली गैस भरी हुई थी, मिल मालिक ने जबरिया मजदूरों को उसमें उतारा, मजदूर मर गये, मिल मालिक ने एक रिपोर्ट लिखाई कि वह अपने आप कूदकर मर गये। मान्यवर, जब मैंने नियम 51 में यह सूचना दी, तब उसकी जांच हुई। मान्यवर, इसमें लिखा कि सोकपिट में इन श्रमिकों को उतारने के पहले कारखाने के मैनजमेन्ट द्वारा यह जांच नहीं कराई गयी थी कि उसमें कोई जहरीली गैस है या नहीं तथा उनको सुरक्षा हेतु सेफ्टी बेल्ट नहीं दी गयी थी और ब्रीदिंग आपरेटस भी नहीं दिया गया था, जो कि कारखाना अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) का उल्लंघन था। इस उल्लंघन की ओर उप निदेशक कारखाना (उप मुख्य कारखाना निरीक्षक) द्वारा कारखाने के मैनेजमेन्ट का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और कारखाना अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत दिनांक 29-7-85

को न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

मान्यवर, आज पहली तारीख है । मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मेरी नियम 51 की सूचना माननीय मन्त्री जी के पास गयी, तो यह वक्तव्य बना और उनको स्वतः जानकारी हो गयी कि आपके अधिकारी मिल मालिक से मिले हुए थे । तो इसके ऊपर आपके जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का फैसला आपने किया है ?

मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

मान्यवर, घटना 15-6-85 की है और घटना के तुरन्त बाद कारखाना मालिक को चाहिए था कि वह हमारे विभागीय इन्सपेक्टर को सूचना दे देते । लेकिन उन्होंने कारखाना अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (3) का उल्लंघन किया । उन्होंने हमें सूचना नहीं दी । उनका फर्ज था कि वह हमें सूचना देते और 12 घंटे के अन्दर उसकी पुष्टि कारखाना निदेशक को कर देते उसके बाद हमारे विभाग के इन्सपेक्टर ने जब यह घटना घटी तो उसने स्वयं मौके पर जाकर जांच प्रारम्भ कर दिया । उसने जांच बाकायदे करके अपनी रिपोर्ट 8 जुलाई को चीफ इंस्पेक्टर को प्रस्तुत कर दिया इस रिकमेन्डेशन के साथ कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाय । तो जहां तक विलम्ब होने का प्रश्न है, हुआ यह जांच की प्रक्रिया चलती रही और 8 जुलाई को यह लिखकर रिपोर्ट भेजी है कि कारखाना अधिनियम की धारा 36 की उप धारा (3) की अवहेलना की गयी है, लिहाजा सेक्शन 92 के अन्तर्गत मुकदमा कारखाना मालिक के खिलाफ दायर किया जाय । 8 तारीख को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुकदमा दायर किया जाय । इसमें यह नीयत नहीं थी कि हम कारखाना मालिक का साथ दें और उसको बचायें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, जो मेरी जानकारी है, उसको सही मान कर, जब यह 15 जून, 1985 को कारखाना में घटना घटी और उसी दिन जाकर कारखाना के मालिक ने फर्जी रिपोर्ट लिखा दी, तब ट्रेड यूनियन के लीडरों ने और वहां के स्थानीय नेताओं ने आन्दोलन छेड़ दिया ।

(इस समय 5 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

उस आन्दोलन के माध्यम से भी आपको जानकारी मिली होगी, तो उसके बाद कारखाना निरीक्षक का यह फर्ज बन जाता था कि उस कारखाना का निरीक्षण करता कि आखिर इसमें जहरीली गैस कैसे थी, तो क्या इसकी भी उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है, तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन) —

अधिष्ठाता महोदय, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इन्ड्रस्टी ने प्रासीक्यूशन किया । और धारा 304 के तहत उनके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया । दूसरा केस कि उन्होंने हमें देर से इत्तला दी । दोनों केसेज हमने कोर्ट में उनके खिलाफ भेज दिए हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, यह घटना 15 जून, 1985 को सुबह साढ़े आठ बजे हुई । इसकी सूचना हमें दो तीन बजे मिली । हमारे साथ श्री गोपाल सिंह यादव और शैलेन्द्र कुमार, हम तीनों वहां पहुंचे और कार्यवाही कराई ।

हमें जो सूचना मिली, वह यह थी कि यह मजदूर, जिनकी मृत्यु हुई है, इसको दो दिन पहले भी सोक पिट में

उतारा गया था और रामसरोजन जिसका काम सोक पिट की सफाई करना नहीं था उसको भी उतारा गया। रामसरोजन को दो दिन पहले भी सोक पिट में उतारा गया था जिससे वह बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करा गया था। उसके बाद यह लोग सोक पिट में उतर नहीं रहे थे लेकिन इनको जबरदस्ती फिर से उतारा गया इसके बाद जो कारखाने के मालिक थे सुरक्षा अधिकारी जो थे उन्होंने एक झूठी एफ0 आई0 आर0 लिखाई...

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, प्रश्न ही कर रहा हूं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है संदिग्ध अवस्था में, तो उसको पोस्ट-मार्टम कराया जाता है। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट क्या है?

दूसरी बात मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मिल मालिकों ने क्या रिपोर्ट लिखाई थी?

तीसरी बात जो तीनों मजदूर मरे हैं इनका काम क्या था इनसे कौन सा काम लिया जा रहा था?

श्री सैयद सईदुल हसन--

यह दोनों मजदूर कारखाने के मुलाजिम थे। श्रीनाथ सफाई का ही काम करता था। वह सोक पिट में उतरा, उसके बाद रामसरोजन उतरा वह बेहोश हो गया। इसके बाद वहां खड़े लोगों ने कहा इनको कैसे निकाला जाए। वहीं उनके एक अजीज खड़े थे वह भी सोक पिट में उतर गये, जिस कारण उनकी भी मृत्यु हो गई।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, यह 15 जून, 1985 की की घटना है इसमें अभी तक पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है?

श्री सूर्यप्रताप शाही--

जैसा कि बताया गया है कि राम सरोजन दो दिन पहले सोक पीट में उतरने के कारण बेहोश हो गये, जिस कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर दुबारा उसको जबकि वह अस्पताल जा चुका था, सोक पिट में उतारा गया, तो क्या मिल मालिकों की नियत मजदूरों को सोक पीठ में उतारकर उनको मारने की नहीं थी? मैं कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर किया जाए। 15 जून को घटना है, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई। कारखाना मालिक प्रशासनिक अधिकारियों को मिलाकर पुलिस की साजिश से पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट को बदलवाना चाहते हैं। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट न आने का क्या कारण है और कब तक पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख देंगे?

श्री सैयद सईदुल हसन--

पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट आ चुकी है जिसके अनुसार दम घुटने से हुई है। यह सही नहीं है कि दो दिन पहले उतार गया था और अस्पताल में भरती किया गया था।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

सोक पिट में आदमियों को उतारा गया, जब वह बेहोश हो गये तो लालटेन जलाई गई और वह बुझ गई। जिन अधिकारी ने सोकपिट की जांच किये बिना इनको उतारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सैयद सईदुल हसन--

आक्सीजन न होने के कारण लालटेन बुझ गई। जहरीली गैस के कारण मृत्यु हुई है। जो गैस थी वह एच0 एस0 थी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें आखिर में लिखा है कि दो श्रमिक सर्वश्री श्रीनाथ और अभय राज कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते थे जिसके आश्रितों को राज्य कर्मचारी बीमा योजना द्वारा क्षतिपूर्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। श्री राम सरोजन के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की कार्यवाही उप श्रमायुक्त, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है। मान्यवर, श्रीनाथ और अभयराज ग्लास फैक्ट्री में शीशा ढालने काम करते थे। उनका काम सोकपिट की सफाई का या किसी तरह की सफाई का नहीं था। इनकी मृत्यु सफाई में हुई है, इसलिये राज्य बीमा के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। क्या मन्त्री जी उन लोगों के आश्रितों को फैक्ट्री मालिक की ओर से मुआवजा दिलायेंगे।

श्री सैयद सईदुल हसन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो आदमियों की डेथ इस प्रकार हुई है, जैसे कुएं में कोई गिर जाय और उसको निकालने के लिये कोई जाय और मर जाय। नियमानुसार देय मुआवजे के अलावा 11-11 हजार रुपये एक्सग्रेसिया के रूप में दिया जा चुका है। लेबर कमिश्नर चेयरमैन होते हैं, जो उसका फन्ड है, जो कुछ रुपया मुआवजा के रूप में नियम के अन्दर दिलाया जा सकेगा, दिलाया जायेगा।

श्री शत्रुद्र प्रकाश—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन श्रमिकों को उतारा गया, उनको आक्सीजन मास्क दिया गया था, यदि नहीं दिया गया था तो एच2—एस से लालटेन बुझ गई, मृत्यु का यह आधार काफी है?

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

हमारे जवाब में लिखा है, धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यह जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की होती है कि वह किसी श्रमिक को बन्द जगह उतारने से पहले उसकी जांच कर सुनिश्चित करें। यह नहीं किया गया। उसको सेफ्टी बेल्ट भी नहीं दिया कि वह बांध लेता।

इस तरह से कई गलतियां उन्होंने की इसलिये धारा 92 के अन्तर्गत मुकदमा किया गया और 36/3 के अन्तर्गत समय पर सूचना नहीं दी, इसके लिये भी हमने मुकदमा किया है। एहतियात नहीं बरती इसलिये भी मुकदमा किया गया।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि गम्भीर बात यह है कि चाहे लेबर इन्सपेक्टर हो या कारखाना निरीक्षक, मैं एकदम आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अधिकांश मिल मालिकों से मिलकर मासिक बांधे रहते हैं। उनकी नियुक्ति इसलिये की जाती है कि कारखाना निरीक्षक द्वारा समय-समय पर निरीक्षण होना चाहिये। मैं जानना चाहूंगा कि इस दुर्घटना के पहले इसका निरीक्षण कब किया गया और उस समय ये सेफ्टी एपरेटस उसमें थे कि नहीं। उस समय जो निरीक्षण किया गया उसकी रिपोर्ट क्या है, बताने की कृपा करें।

श्री सैयद सईदुल हसन—

मान्यवर, यह मामला कारखाने का नहीं है, वह सोक पिट कारखाने के बाहर था। यह तो एक एक्सीडेन्ट था? लेकिन फिर भी जो फार्मेलिटी होनी चाहिये थी, नहीं की गयी, उसका प्रासीक्यूशन कर दिया है और 304—ए के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि कहां था, सवाल यह है कि उस जगह

का इस दुर्घटना से पहले जब कभी भी निरीक्षण हुआ होगा, उसकी निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ?

श्री सैयद सईदुल हसन—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है यह बात सही है कि क्योंकि उसके निरीक्षण का काम होता है, कारखाना निरीक्षक का, कि समय-समय पर निरीक्षण करे। जहां तक इस दुर्घटना का सवाल है, जो कारखाना निरीक्षक ने निरीक्षण किया होगा, उसकी रिपोर्ट इस समय तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको उपलब्ध करा दी जायगी। अगर इस सम्बन्ध में पता लगा कि कारखाना निरीक्षक ने जानकारी नहीं की तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

सहारनपुर के दंगे के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य राज्यमन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैंने सुबह भी अधिष्ठाता महोदय से निवेदन किया था और सम्मानित नेता, विरोधी दल से आग्रह किया था, और राजेन्द्र गुप्त जी से भी आग्रह किया था, इस सम्बन्ध में, उन्होंने स्वीकार किया था। मेरा अनुरोध है कि इसको समाप्त कर दिया जाय।]

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, हम इस बात से सहमत हैं कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। वहां शांति व्यवस्था कायम रहे, इस काम में हम शासन का सहयोग करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि, हमारी नजरों में जब कोई मर जाता है तो मरने वाला न हिन्दू होता है और न मुसलमान होता है, इन्सान होता है। यहां ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो। मैं शासन से केवल एक मांग कर रहा हूं कि वहां शासन आगे की दृष्टि से मैं यह मांग कर रहा हूं और कदाचित उसे स्वीकार करने में असुविधा भी नहीं होनी चाहिये कि वहां तत्काल एक पुलिस चौकी कायम कर दी जाय। आप जांच करा रहे हैं, हम इस समय कुछ नहीं कहेंगे। न ही कोई बात बढ़नी चाहिये। हम पूरा सहयोग करते हैं। बस वहां एक पुलिस चौकी कायम करा दीजिये।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं अपनी चूक के लिये क्षमा मांगता हूं, यह मेरा सबसे पहला दायित्व था। मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन की ओर से सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

जिन्होंने बड़े संतुलन के साथ में, पूरे अपने दायित्व का परिचय दिया और इस तमाम स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिये शासन को सहयोग दिया।

जो सुझाव माननीय कल्याण सिंह जी ने दिया है, उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बज कर 17 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
1 अगस्त, 1985

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 15 पर)

संलग्नक

31 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट का उद्धरण ।

उनकी 31 मांगों के सम्बन्ध में मैंने उनके सम्मुख विवेचना किया और मांग नं0 1, 2, 3 और 4 के सम्बन्ध में उन्हें बताया कि उसमें कार्यवाही हो चुकी हैं और कुछ पर कार्यवाही हो रही है और जिन मामलों में कार्यवाही पूरी नहीं हुयी है उसे पूरी कर ली जाय । मांग नं0 5 के बारे में बताया गया कि यह मामला सतर्कता विभाग के पास पहले से चल रहा है और उन्हें इसमें जल्दी करने के लिए कह दिया जायेगा । मांग नं0 6 के बारे में बताया कि संयुक्त निदेशक के कार्यालय में कार्यरत लिपिकों में से जिनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है उन्हें संयुक्त निदेशक अपने स्तर से अन्य स्थानों पर स्थानान्तरण कर दें और जिनके बारे में स्थानान्तरण का अधिकार निदेशालय स्तर पर है, उनके बारे में निदेशालय को संस्तुति करके भेज दें । मांग नं0 7 में भी लिपिक वर्ग के लोगों के स्थानान्तरण की मांग की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि गोरखपुर के लिपिक वर्ग में दो ग्रुप्स हैं जो कि आपस में एक-दूसरे की शिकायत कराते रहते हैं । इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि समिति के लोगों के पास कार्यालय के बहुत से पत्रों की प्रतिलिपियां भी थी जो कि कार्यालय के कर्मचारी ही उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं । संयुक्त निदेशक से मैंने अनुरोध किया है कि वह इस तरह के लोगों के बारे में सूचना एकत्र करें एवं निदेशालय को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेजें । मांग नं0 8 के बारे में महिला अस्पताल में मच्छरदानी के सम्बन्ध में जांच हो चुकी है । इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । समिति के लोगों ने वहां पर कार्यरत एकाउन्ट्स क्लर्क के खिलाफ इस आमले में दोषी हुआ बताया गया परन्तु संयुक्त निदेशक के अनुसार उसमें उनका कोई दोष नहीं है परन्तु उन्हीं के कारण इसका भुगतान नहीं हुआ । मांग नं0 9 के बारे में मरीजों की मौत के बारे में उन्होंने डा0 गोविल का नाम बताया जिस पर कि कार्यवाही हो चुकी है तथा डा0 गोविल को चेतावनी तथा उनके चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा चुकी है । समिति के लोग इस कार्यवाही से सन्तुष्ट न थे और उनकी मांग थी कि उन्हें तुरन्त निलम्बित किया जाय । यह करना सम्भव नहीं है और यह बात समिति को बता दी गई है । मांग नं0 10 के बारे में साक्ष्य मांगने पर कोई साक्ष्य या अभिलेख नहीं दिये बल्कि उन्होंने अभिलेख का हवाला दिया जो कि मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है और जिनकी प्रतिलिपियां उनके पास भी हैं । मांग नं0 11 से 31 तक सभी बिन्दु लोकल मामलों से सम्बधित हैं जिनके सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक तथा वरिष्ठ अधीक्षक, जिला अस्पताल से तुरन्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और उनमें से कुछ मामलों में कार्यवाही पहले ही हो चुकी है ।

ह0 वी0 एन0 श्रीवास्तव,

24 अगस्त, 1982 ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत जिले वाइज खोले गये क्रय केन्द्र तथा उन पर क्रय किये गये आलू की मात्रा

क्रम संख्या	जनपद का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय की गई आलू की मात्रा (कुन्टल)
1	2	3	4	5
				रु0
1	फर्रुखाबाद	9	1—पी0 सी0 एफ0 कोल्ड स्टो0, फर्रुखाबाद	5,756.01
			2—उत्तर प्रदेश आलू वि0 सं0, फतेहगढ़	6,953.20
			3—जिला सह0 संघ लि0, फर्रुखाबाद	6,540.00
			4—जिला सह0 संघ, मुहम्मदाबाद	1,251.20
			5—सह0 क्रय वि0 समिति, कमालगंज	2132.00
			6—सह0 क्रय वि0 समिति, गुरुसहायगंज	1,706.70
			7—सह0 क्रय वि0 समिति, कन्नौज	572.00
			8—सह0 क्रय वि0 समिति, छिबरामऊ	139.00
			9—सह0 क्रय वि0 समिति, कमालगंज	865.60

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2	मैनपुरी	4	1—सह0 क्रय वि0 समिति, बेबर	2,004.00
			2—सह0 क्रय वि0 समिति, मैनपुरी	677.60
			3—सह0 क्रय वि0 संघ, सिरसागंज	2,435.20
			4—सह0 क्रय वि0 संघ, भोगांव	2083.40
3	मेरठ		1—पी0 सी0 एफ0 को0 स्टो0, मलियाना	2,447.20
			2—सहकारी संघ, खरखौदा	219.20
			3—कृषक सेवा समिति, कैली	241.60
			4—पी0 सी0 एफ0, कनकड़ खेड़ा	632.80
4	मुजफ्फरनगर	2	1—सह0 क्रय विक्रय समिति, मुजफ्फरनगर	4,657.60
			2—सह0 क्रय विक्रय समिति, श्यामली	8,904.80
5	आगरा	3	1—सहकारी संघ, शमशाबाद	4861.80
			2—सहकारी संघ, खदौली	2,915.20
			3—सह0 क्रय वि0 समिति, आगरा	..
6	एटा	1	1—पी0 सी0 एफ0, गंजडुन्डवारा	944.80
7	इटावा	6	1—पी0 सी0 एफ0, जिला कार्या0, इटावा	2,195.20
			2—पी0 सी0 एफ0 जिला क्रय केन्द्र भर्थना	..
			3—पी0 सी0 एफ0 जिला क्रय केन्द्र, औरैया	..
			4—क्रय विक्रय समिति, जसवंतनगर	..
			5—क्रय विक्रय समिति, अछलदा	..
			6—क्रय विक्रय समिति, बिधुना	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
				रु0
8	बाराबंकी	4	1—सह0 संघ, देवा	473.38
			2—सह0 संघ, हैदरगढ़	..
			3—सह0 संघ, भिटरिया	..
			4—सह0 संघ, फतेहपुर	..
9	जौनपुर	2	1—सह0 क्रय वि0 समिति, जौनपुर	151.20
			2—पी0 सी0 एफ0 शीतगह, शाहगंज	..
10	कानपुर देहात	2	1—सहकारी संघ, शिवराजपुर	269.90
			2—साधन सहकारी संघ, बिल्हौर	1,087.70
11	गाजियाबाद	5	1—पी0 सी0 एफ0 क्रय केन्द्र, हापुड़	20,587.00
			2—पी0 सी0 एफ0, गुलावटी ऐंड हापुड़	1,540.80
			3—क्रय विक्रय समिति मगहीगंज, हापुड़	..
			4—क्रय विक्रय समिति, नई मण्डी	..
			5—एफ0 एस0 एस0, बाबूगढ़	..
12	बुलन्दशहर	2	1—सह0 क्र0 वि0 समिति, बुलन्दशहर	2,445.60
			2—पी0 सी0 एफ0 विक्रय समिति, गुलवटी	12,578.40
13	अलीगढ़	4	1—सह0 क्र0 वि0 समिति, खैर	318.40
			2—क्षेत्रीय स0 समिति, इगलास	1,620.00
			3—सह0 क्र0 वि0 समिति, हाथरस	8,888.00
			4—सह0 क्र0 वि0 समिति, अतरौली	194.40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14	रामपुर	4	1—सह0 क्र0 वि0 समिति, रामपुर	535.20
			2—पी0 सी0 एफ0 जिला कार्या0, रामपुर	..
			3—सह0 क्र0 वि0 समिति, विलासपुर	..
			4—पी0 सी0 एफ0 विपणन केन्द्र, विलासपुर	..
15	बरेली	4	1—सह0 क्र0 वि0 समिति, आंवला	16,192.00
			2—पी0 सी0 एफ0 विधायन केन्द्र, बरेली	24,345.60
			3—सह0 संघ फतेहगढ़ (अग्राम)	..
			4—सह0 संघ, बहेड़ी	..
16	बदायूं	4	1—पी0 सी0 एफ0 विक्रय केन्द्र, बदायूं	13,482.40
			2—पी0 सी0 एफ0 विक्रय केन्द्र, उझियानी	16,443.20
			3—सह0 क्र0 वि0 समिति, बदायूं	..
			4—सह0 क्रय0 वि0 समिति, उझियानी	..
17	इलाहाबाद	3	1—पी0 सी0 एफ0 शीतगृह सोरांव	..
			2—डी0 सी0 डी0 एफ0, सोरांव	..
			3—जिला कार्यालय, इलाहाबाद	..
18	वाराणसी	1	1—सह0 क्र0 वि0 समिति, चन्दौली	..
19	देवरिया	3	1—पी0 सी0 एफ0 शीतगृह, फाजिलनगर	..
			2—जिला कार्यालय पी0 सी0 एफ0, देवरिया	..
			3—क्रय विक्रय समिति, देवरिया	..
	योग ..	67	योग ..	1,85,008.29

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

उत्तर प्रदेश में उर्वरक निर्माण सम्बन्धी निबन्धन धारियों की सूची-1

क्रम संख्या	जनपद	निबन्धन धारियों की संख्या
1	मेरठ	2
2	गाजियाबाद	4
3	सहारनपुर	1
4	मुजफ्फरनगर	3
5	मैनपुरी	2
6	एटा	1
7	बरेली	2
8	पीलीभीत	1
9	मुरादाबाद	2
10	रामपुर	1
11	इलाहाबाद	1
12	कानपुर (नगर	1
13	फर्रुखाबाद	2
14	वाराणसी	1
15	मिर्जापुर	1
16	बलिया	1
17	गोरखपुर	2
18	लखनऊ	1
19	उन्नाव	1
20	रायबरेली	2
21	बाराबंकी	1
22	नैनीताल	1
23	देहरादून	1
		35

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निर्माता कम्पनी की सूची, जिनके फक्ट्री परिसर से नमूने लिये गये

[सूची–2

वर्ष 1983–84		वर्ष 1984–85	
क्रम सं0	कम्पनी का नाम	क्रम सं0	कम्पनी का नाम
1	मे0 दयाल कैमि0 एण्ड फर्टिलाइजर्स, मेरठ।	1	मे0 आनन्द निकोल ड्रगस एण्ड कैमि0, गाजियाबाद।
2	मे0 विजय फर्टिलाइजर्स, गाजियाबाद।	2	मे0 खुशरल फर्टिलाइजर्स, रुड़की (सहारनपुर)।
3	मे0 गिरराज फर्टिलाइजर्स, शिकोहाबाद, एटा।	3	मे0 नटराज आग्रेनिक्स, मुजफ्फरनगर।
4	मे0 केवली कैमिकल्स, गाजियाबाद।	4	मे0 अग्रवाल पेस्टी0 एण्ड कैमि0, मुजफ्फरनगर।
5	मे0 राधिका विटामाल्ट, गाजियाबाद।	5	मे0 य0 पी0 पेस्टी एण्ड फर्टिलाइजर्स, मुजफ्फरनगर।
6	मे0 अतुल कैमिकल्स, मुरादाबाद।	6	मे0 लक्ष्मी कैमिकल्स, एटा।
7	मे0 श्री मदन फर्टिलाइजर्स कं0, फर्रुखाबाद।	7	मे0 ममता कैमिकल्स, पीलीभीत।
8	मे0 हरि फर्टिलाइजर्स, वाराणसी।	8	मे0 श्री एसिड्स एण्ड कैमि0 गजरौला (मुरादाबाद)।
9	मे0 बाला जी मिटेल रिफाइनरी, वाराणसी।	9	मे0 अतुल कैमिकल्स, मुरादाबाद।
10	मे0 रवि फर्टिलाइजर्स, बलिया।	10	मे0 कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, इण्डिया, रामपुर।
11	मे0 डी0 आर0 कैमि0 एण्ड फर्टिलाइजर्स, गोरखपुर।	11	मे0 मदन माधव फर्टिलाइजर्स, फर्रुखाबाद।
12	मे0 अवध कैमिकल्स, लखनऊ।	12	मे0 श्री मदन फर्टिलाइजर्स, फर्रुखाबाद।
13	मे0 मित्तल फर्टिलाइजर्स, रायबरेली।	13	मे0 डी0 आर0 कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, गोरखपुर।
14	मे0 इनकेन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमि0, रायबरेली।	14	मे0 मित्तल फर्टिलाइजर्स, रायबरेली।
15	मे0 उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन, लि0, बाराबंकी।	15	मे0 इनकेन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, रायबरेली।
16	मे0 यूनिवर्सल एजेन्सीज, नैनीताल (काशीपुर)।	16	मे0 लबि फर्टिलाइजर्स, बरेली।
		17	मे0 उ0 प्र0 कोआपरेटिव, फैड0, बाराबंकी।
		18	मे0 यूनिवर्सल एजेन्सीज, काशीपुर, (नैनीताल)।

पी0 एस0 यू0 पी0—3 वि0 सभा 9–9–85—813 (पी0डी0)।